



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-258014
CG-DL-E-17102024-258014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 590]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि. 646(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) “नीलामी प्रीमियम” से अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 13 के उप-नियम (2) के अधीन पट्टेदार द्वारा देय रकम अभिप्रेत है;

- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) "अवैध खनन" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित संक्रिया संबंधी अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी भी अपतट क्षेत्र में या उस अपतट क्षेत्र की सीमाओं के बाहर जिसके लिए संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है, की गई कोई भी अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया संबंधी अभिप्रेत है;

परन्तु अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (तक) के अधीन बनाए गए नियमों के अलावा किसी भी नियम का उल्लंघन अवैध खनन नहीं माना जाएगा;

- (ङ) "आनुषंगिक खनिज निष्कर्षण" से सरकार या सरकार द्वारा ऐसी परियोजना या कार्य करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई अवसंरचना परियोजना या अन्य कार्य करते समय किसी अपतट क्षेत्र से खनिजों का निष्कर्षण या उत्खनन अभिप्रेत है और इसमें उस क्षेत्र में संक्रिया संबंधी अधिकार धारक द्वारा निष्कर्षण शामिल नहीं होगा जिसके लिए उसे संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है;
- (च) "पट्टा क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया है;
- (छ) "अनुज्ञप्ति क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;
- (ज) "रन-ऑफ-माइन" से पट्टा क्षेत्र के खनिज क्षेत्र से झमाई या खनन के बाद प्राप्त प्राकृतिक अवस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या बिना पिसी हुई सामग्री अभिप्रेत है;
- (झ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है; और
- (ञ) "परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य" से परमाणु खनिज का वह ग्रेड अभिप्रेत है, जिसे अयस्क में निहित निर्धारित पदार्थों के भार के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जैसा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन बनाए गए परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क में निर्दिष्ट और अधिसूचित किया गया है, जो उस विशेष परमाणु खनिज के लिए प्रारंभिक मूल्य है जो उस रूप में या एक या एक से अधिक खनिजों के साथ पाया जाता है।

- (2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में है।

3. लागू होना.— ये नियम निम्नलिखित के सिवाय-

- (i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन; और
- (ii) परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले परमाणु खनिजों पर, अपतट क्षेत्रों में सभी खनिजों पर लागू होंगे।

4. अन्य अधिनियमितियों के अधीन बनाए गए नियमों की व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से संबंधित अनुज्ञापन के संबंध में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अध्याय 2

संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान करने के लिए अपतट क्षेत्रों की उपलब्धता

5. संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान करने के लिए अपतट क्षेत्रों की उपलब्धता.— (1) कोई भी अपतट क्षेत्र किसी संक्रिया संबंधी अधिकार की मंजूरी के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि मंजूरी के लिए क्षेत्र की उपलब्धता को प्रशासनिकप्राधिका प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाता है, जिसमें वह तारीख निर्दिष्ट की जाती है जिससे ऐसा क्षेत्र अधिनियम की धारा 10 के अधीन मंजूरी के लिए उपलब्ध होगा।

- (2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन किसी अपतट क्षेत्र को अधिसूचित करने से पहले रक्षा मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; गृह मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; अंतरिक्ष विभाग; दूरसंचार विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्य पालन विभाग; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग और किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से, जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, परामर्श करेगी।
- (3) जहां अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अंतर्गत निर्दिष्ट या अधिसूचित किसी अभिकरण द्वारा कोई अवीक्षण संबंधी संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया की जानी है, वहां उपनियम (1) के अंतर्गत कोई अधिसूचना अपेक्षित नहीं होगी:

परन्तु प्रशासनिक प्राधिकारी, संक्रियाओं के प्रारंभ होने से तीस दिन पूर्व एक आदेश जारी करेगा जिसमें उस अपतट क्षेत्र और अवधि का ब्यौरा दिया जाएगा जिसके लिए अवीक्षण संबंधी संक्रिया या खोज संबंधी संक्रियाएं की जानी हैं और ऐसे आदेश की एक प्रति उपनियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट मंत्रालयों या विभागों को पृष्ठांकित की जाएगी।

अध्याय 3

सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों के संक्रिया संबंधी अधिकार

6. सरकार, सरकारी कंपनियों या निगमों को संक्रिया संबंधी अधिकार को प्रदान करना.— (1) प्रशासनिक प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आरक्षित किसी भी अपतट क्षेत्र, या उसके किसी भी भाग के लिए सरकार, या किसी सरकारी कंपनी या निगम को अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान कर सकता है।
- (2) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अधीन कोई संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान करने से पूर्व नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मंत्रालयों या विभागों से परामर्श करेगी।
- (3) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन खनिजों के लिए सरकार, सरकारी कंपनी या निगम को दिए गए सभी उत्पादन पट्टे पचास वर्ष की अवधि के लिए होंगे।
- (4) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन खनिजों के लिए सरकार, सरकारी कंपनी या निगम को दी गई सभी संयुक्त अनुज्ञपत्तियां तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगी:

परन्तु प्रशासनिक प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन माह की अवधि के भीतर किए गए आवेदन पर कारणों को लिखित करके और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं, खोज संबंधी संक्रियाओं के संतोषजनक समापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दो वर्ष की अवधि के लिए विस्तार प्रदान कर सकता है:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक के अधीन प्रदान की गई विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, की समाप्ति पर कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

- (5) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के अनुसार चयनित अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी पर, अधिनियम के अधीन धनराशियों के भुगतान सहित, लागू सभी निबंधन और शर्तें, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया को छोड़कर, सरकार या सरकारी कंपनी या निगम पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी, जिसे अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया है।

अध्याय 4

संक्रिया संबंधी अधिकारों की निबंधन और शर्तें

7. संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें.— (1) संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधन में अंतर्विष्ट संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्ति विलेख की खोज अनुज्ञप्ति अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उप-नियम (4) के अधीन सफल बोलीदाता के साथ प्ररूप 1 में निष्पादित की जाएगी।

(2) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति, इसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्: -

(क) खनिज ब्लॉक के लिए, अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रयोजनों के अतिरिक्त

- (i) अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ऐसे खनिजों की बिना किसी भुगतान की कोई मात्रा;
- (ii) ऐसे खनिजों की कोई मात्रा जो अनुसूची के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो, उन खनिजों के संबंध में अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट स्वामिस्व के भुगतान पर अन्य प्रयोजनों के लिए खनिज निष्कासन कर सकता है और ले जा सकता है-

परन्तु यदि इस खंड में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई मात्रा जीती और ले जाई जाती है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी जीती और ले जाई गई खनिजों की अधिक मात्रा का कीमत वसूल करेगा और अधिनियम की धारा 23 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा;

(ख) प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, अनुज्ञप्तिधारी, रासायनिक, धातुकर्म, सज्जीकरण या अयस्क की ट्रेसिंग करने तथा अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट स्वामिस्व के भुगतान पर, अनुसूची में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक मात्रा में खनिजों को ले जा सकेगा;

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी को अवैध खनन का दोषसिद्ध किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन को निलम्बित करने वाला किसी न्यायालय का कोई आदेश नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आरंभ की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने के पश्चात, उसके द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को जब्त कर सकेगी;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई भी उपाय शामिल होंगे;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करेगा, जिसमें अधिनियम की धारा 19क के अधीन बनाए गए नियम और अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी निर्देश भी शामिल हैं;

(च) अनुज्ञप्तिधारी सभी खोज आंकड़े, रिपोर्ट, नमूने, जिनमें खनिज निष्कासन और निकाले गए ऐसे नमूनों की मात्रा से संबंधित आंकड़े तथा खोज संक्रिया संबंधी के दौरान उसके द्वारा एकत्र की गई अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और यथानिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा और निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

- (i) तिमाही की समाप्ति के पश्चात तीस दिन की अवधि के भीतर त्रैमासिक रिपोर्ट;
- (ii) वर्ष की समाप्ति के पश्चात साठ दिन की अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट;
- (iii) संयुक्त अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट कोई अन्य रिपोर्ट;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संक्रियाओं के दौरान एकत्रित किसी भी आंकड़ा को प्रशासनिक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना भंडारकरण, प्रसंस्करण या निर्वचन के लिए किसी तृतीय पक्षकार के साथ साझा नहीं करेगा;

(ज) अनुज्ञप्तिधारी उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी जलयान, प्लेटफॉर्म, स्थापना या किसी अन्य अवसंरचना में प्रवेश करने वाली प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्राधिकृत प्राधिकारी को अनुज्ञप्त करेगा।

- (झ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संक्रियाओं पर उसके द्वारा किए गए सभी व्ययों का सटीक और सही लेखा रखेगा, तथा ऐसी संक्रियाओं के दौरान प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और अन्य व्यौरे और उनके प्रेषण का लेखा भी रखेगा;
- (ञ) अनुज्ञप्तिधारी उस पोत या संस्थापन पर खोज संक्रियाओं के दौरान एकत्रित आंकड़ों का दैनिक लॉग बनाएगा जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ऐसी संक्रियाएं की जा रही हैं और केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे आंकड़ा लॉग का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी अन्य रिपोर्ट देने से संबंधित आवश्यकताओं का भी अनुपालन करेगा;
- (ट) अनुज्ञप्तिधारी को जलयानों, ड्रोनों को तैनात करने और अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ऐसे सभी अस्थायी बोया, संरचनाओं, भाप और अन्य इंजनों, मशीनरी, सुविधाओं और मालमत्ता को लाने का अधिकार होगा, जिन्हें उसकी खोज संक्रियाओं को प्रभावी ढंग से चलाने या वहां कामगारों के रोजगार के लिए उचित और आवश्यक समझा जा सकता है;
- (ठ) अनुज्ञप्तिधारी को अपतट क्षेत्रों में जलयानों, प्रतिष्ठानों, मशीनरी, इंजन, प्लेटफार्मों, ड्रोन और अन्य प्रतिष्ठानों या उपकरणों की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी लागू विधियों और विनियमों का पालन करना होगा;
- (ड) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी जहाज, स्थापना, मशीनरी, इंजन, प्लेटफॉर्म, ड्रोन और अन्य स्थापनाएं या उपकरण जो उसके द्वारा अपतट क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, उन पर उपग्रह ट्रेकिंग उपकरण और यात्रा आंकड़ा रिकॉर्डर जैसे उपकरण लगे हों और उनका उपयोग किया जाए, जो उनकी गतिविधि पर मॉनीटर रखते हैं और रिपोर्ट करते हैं;
- (ढ) अनुज्ञप्तिधारी, अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उप-नियम (7) के प्रथम परन्तुक के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति या अवसान या प्रचालन के परित्याग या अतिरिक्त क्षेत्र के अभ्यर्पण की तारीख के पश्चात छह मास की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो,—
- (i) खोज संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित है; और
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र में या उसके भीतर बनाए गए या लाए गए सभी जलयानों, संरचनाओं, उत्प्लवों, इंजनों, मशीनरी, औजारों, उपकरणों और अन्य संपत्ति और मालमत्ता को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खनिज निष्कासन के सभी खनिजों के साथ अपनी लागत पर शीघ्रता से हटाएगा:
- परन्तु इस खंड के उपबंध उस क्षेत्र के मामले में लागू नहीं होंगे, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति या समाप्ति पर या उससे पहले उत्पादन पट्टा दिया गया हो, जैसा भी मामला हो;
- (ण) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रिया शुरू करने से कम से कम दो मास पहले प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को नोटिस देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संक्रियाओं से क्षेत्र में किसी भी नौसैनिक अभ्यास में बाधा न आए;
- (त) यदि विदेशी अधिवसित इकाईयां या विदेशी इकाईयां या ठेकेदार, कार्मिक, जहाज या उपकरण खोज संक्रियाओं के लिए नियुक्त या तैनात किए जाते हैं, तो सरकारी प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य घोषित किए गए कोई विशिष्ट अनुमोदन भी शामिल हैं; एकत्र किया गया कोई भी आंकड़ा और निष्पादित कार्य अनुज्ञप्तिधारी के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगा, जो उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे;

- (थ) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि खोज संक्रियाओं के दौरान उत्पन्न आंकड़ा, जिसमें कोई भूवैज्ञानिक आंकड़ा भी शामिल है, भारत में विदेशी इकाईयों या ठेकेदारों द्वारा संसाधित किया जाता है और ऐसा संसाधित और गैर-संसाधित आंकड़ा किसी विदेशी इकाई को केवल प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही दिया जा सकता है;
- (द) खोज संक्रियाओं के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं या अनुबंधित कंपनियों द्वारा तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों और स्थापित किए जाने वाले प्रतिष्ठानों को उनकी तैनाती से पहले संबंधित नौसेना कमान के फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ और फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना होगा और उसे मंजूरी देनी होगी और ऐसे निरीक्षण और मंजूरी को सुकर बनाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अधिकारियों को एक मास का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा;
- (ध) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खोज संक्रियाओं के लिए तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नौवहन महानिदेशालय से पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी;
- (न) अनुबंधित कंपनियों या व्यक्तियों को संविदा अधिनिर्णीत करने के संबंध में सूचना, संविदा इकाई का नाम, संविदा की अवधि, संविदा की विषय-वस्तु, प्रयुक्त उपकरणों की प्रकृति और एकत्र किया जाने वाला आंकड़ा, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों के प्रासंगिक विवरण के साथ, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन आरम्भ करने से पूर्व, प्रशासनिक प्राधिकारी को एक प्रति के साथ नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसमें प्रचालन कंपनियों द्वारा जलयानों की तैनाती पर छह मास का लंबा मामला उपलब्ध कराया जाएगा;
- (प) जलयानों पर सवार सभी विदेशी कार्मिकों के लिए वीजा और अन्य अनुमतियां जो वर्तमान में लागू विधि के अधीन आवश्यक हो सकती हैं, सरकारी प्राधिकारी से प्राप्त करनी होंगी;
- (फ) अनुज्ञप्तिधारक खोज संक्रियाओं के लिए तैनात सभी जलयानों और उपकरणों तथा जलयानों पर सवार कार्मिकों की सुरक्षा के लिए सभी पूर्वावधानी उपाय करेगा;
- (ब) अनुज्ञप्तिधारी समुद्री सुरक्षा चेतावनियां जारी करने के लिए, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में तैनात सभी जलयानों, मौजूदा और निर्माणाधीन अपतट प्रतिष्ठानों या प्लेटफार्मों, उपकरणों और मशीनरी के निर्देशांकों को दर्शाते हुए स्थान की सूचना तुरंत फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और प्रशासनिक प्राधिकारी को देगा और उसके बाद जब भी इसे स्थानांतरित किया जाएगा, इसके नए स्थान की भी सूचना देगा;
- (भ) अनुज्ञप्तिधारी नौवहन के प्रयोजनों या केंद्र सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्गों में किसी भी मार्ग के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा;
- (म) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्तिधारियों या पट्टेधारियों को किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच की उचित सुविधाएं देगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित अनुज्ञप्ति क्षेत्र में समाहित है या उससे सटा हुआ है या उससे पहुंचा जा सकता है:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारियों या पट्टेधारियों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के प्रचालन में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है या असहमति की स्थिति में जैसा कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय किया जा सकता है, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए भुगतान किया जाएगा;

- (य) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी प्रचालक द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी पेट्रोलियम प्रचालन या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी प्रचालन या ऐसे अन्य प्रचालनों में बाधा या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा;

- (यक) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी नियम व शर्त को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विफलता से केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई दावा नहीं मिलेगा या इसे संयुक्त अनुज्ञप्ति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक ऐसी विफलता को केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न माना जाता है और किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी नियम व शर्त को पूरा करने में किसी विलम्ब की स्थिति में, ऐसे विलम्ब की अवधि इन नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति द्वारा निर्धारित अवधि में जोड़ दी जाएगी;

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अप्रत्याशित घटना" से दैवीय कृत्य, युद्ध, विप्लव, बलवा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वारीय लहर, बाढ़, आकाशीय विद्युत, विस्फोट, आग या कोई अन्य घटना अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञप्तिधारी उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता था;

- (यख) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्ति क्षेत्र में खोज संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए तैनात सभी कार्मिक, जलयान, संस्थापन, उपस्कर और अवसंरचना का, संयुक्त अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान, हर समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लागू ऐसी विनियामक अपेक्षाओं और अन्य निबंधनों और शर्तों, जो केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अनुसार बीमा कराया जाएगा;
- (यग) केन्द्रीय सरकार को हर समय अनुज्ञप्ति क्षेत्र से निकाले गए खनिजों के अग्रक्रय का अधिकार होगा, जिसके संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है:

परन्तु अग्रक्रय के समय प्रचलित भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय कीमत का संदाय अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे सभी खनिजों के लिए किया जाएगा;

- (यघ) अनुज्ञप्तिधारी, सक्षम प्राधिकारी और इस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय किसी भी दूरसंचार केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन, तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइनों, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थलों, रक्षा स्थापनों या किसी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई खोज संबंधी संक्रिया नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा, और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी यथास्थिति, सुसंगत पोत, संरचना या स्थापना के बाहरी किनारे से मापी जाएगी;
- (यङ) केन्द्रीय सरकार, या उस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पट्टेदार या व्यक्ति को, कोई पाइपलाइन, केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन विद्युत या उसका रखरखाव करने, उसकी मरम्मत करने या उसे बदलने के लिए उसके ऊपर या उसके माध्यम से या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने अधिकार होगा:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जिस पर परस्पर सहमति हो, या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए,—

- (i) अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए,

दिया जाएगा;

- (यच) अनुज्ञप्तिधारी, खोज संक्रियाओं के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जो मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाती हो या जीवन या संपत्ति को गंभीर

रूप से प्रभावित या खतरे में डालती हो, बिना किसी देरी के, पोत परिवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा;

- (यछ) अनुज्ञप्तिधारी, खोज संक्रियाओं के संबंध में, प्रशासनिक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो भारतीय नागरिक नहीं है;
- (यज) अनुज्ञप्तिधारी अपने अभियानों को इस प्रकार नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे या किसी संस्थापन, जलयान, संकर्म, संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खोज संक्रियाओं के लिए किसी अपतट क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो संयुक्त अनुज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं है;
- (यझ) अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी के समाधान के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में जलयानों, संस्थापनों या अन्य उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा; तथा
- (यञ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संक्रियाओं को उचित रूप से, कौशल और कुशलता से करेगा।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, संयुक्त अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित शर्तें अंतर्विष्ट हो सकती हैं, जिन्हें प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार, अधिरोपित करना उपयुक्त समझे, अर्थात्:—

- (i) तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार और प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति;
- (ii) संरक्षित क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अन्य क्षेत्र भी है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण तथा उसके संरक्षण से संबंधित उपाय;
- (iii) किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी भी क्षेत्र में खोज संक्रियाओं पर निर्बंधन;
- (iv) दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग;
- (v) अपतट क्षेत्रों के कतिपय हिस्सों में प्रवेश के संबंध में शर्तें;
- (vi) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र या आसन्न क्षेत्रों में अन्य खनिजों, खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर काम करने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं; और
- (vi) संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, या तो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, ऐसी और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो खनिजों के संरक्षण और विकास के हित में आवश्यक हों।

(5) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी पर लगाई गई किसी शर्त के भंग की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकती है और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिभूति को पूर्णतः या भागतः रूप से जब्त कर सकेगी तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी अन्य कार्यवाई कर सकेगी:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना और लिखित में कारण अभिलिखित किए बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

8. उत्पादन पट्टे की शर्तें और नियम.— (1) उत्पादन पट्टा विलेख के माध्यम से —

(क) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 10 के उप-नियम (7) के अधीन सफल बोली लगाने वाले; या

(ख) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उप-नियम (9) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक, जिसने अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उप-नियम (6) के खंड (ख) के अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए प्ररूप 2 में आवेदन किया है,

को प्रदान किया गया उत्पादन पट्टा, प्रत्येक मामले में प्ररूप 3 में होगा।

(2) प्रत्येक उत्पादन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

(क) पट्टेदार, उत्पादन पट्टा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसा वार्षिक नियत किराया संदत्त करेगा, और यदि उत्पादन पट्टा एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों की खुदाई की अनुमति देता है, तो केन्द्रीय सरकार प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग-अलग नियत किराया प्रभारित नहीं करेगी;

परन्तु पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में नियत किराया या स्वामिस्व, जो भी अधिक हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) पट्टेदार उत्पादन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी क्षेत्र के लिए सतह किराया और अन्य लागू प्रभार, फीस, कर, उपकर, शुल्क और उदग्रहणों का भी संदाय करेगा, जो ऐसे क्षेत्र के लिए लागू हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट या अधिरोपित किए जाएं;

(ग) पट्टेदार उत्पादन पट्टा विलेख के संपादन की तारीख से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रिया संबंधी प्रारंभ करेगा और उसके पश्चात् उचित रूप से, कौशल और कुशलता से ऐसी संक्रियाओं का प्रचालन करेगा;

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "उत्पादन संक्रिया संबंधी" में किसी भी जलयान की तैनाती, बोया का परिनिर्माण, इंजन या मशीनरी का प्रचालन, उपस्करों का कार्यान्वयन, पट्टा क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप या मंच और परिसर का संनिर्माण या खनिजों को प्राप्त करने के उद्देश्य की गई कोई अन्य संबंधी संक्रिया सम्मिलित होगा;

(घ) पट्टेदार, सक्षम प्राधिकारी और इस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय किसी भी दूरसंचार केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन, तेल मंच या पाइपलाइनों, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थलों, रक्षा स्थापनों या किसी भी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई उत्पादन संबंधी संक्रिया नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा, और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी यथा लागू, सुसंगत जलयान, संरचना या स्थापना के बाहरी किनारे से मापी जाएगी;

(ङ) पट्टेदार निम्नलिखित की परिमाण और अन्य विशिष्टियां दर्शित करते हुए, सटीक और सही लेखा रखेगा —

(i) पट्टा क्षेत्र से प्राप्त और भेजे गए सभी खनिज;

(ii) पट्टा क्षेत्र से उत्खनित अपशिष्ट पदार्थ;

(iii) उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता;

(iv) पट्टा क्षेत्र की पूर्ण योजनाएँ, तथा केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसके द्वारा रखे गए किसी भी खाते, योजना, डाटा लॉग और अभिलेखों की किसी भी समय जाँच करने की अनुमति देगा और प्रशासनिक प्राधिकारी को ऐसी जानकारी और विवरणियाँ प्रदान करेगा, जिनकी वह या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे; और

(v) उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ;

(च) पट्टेदार उत्पादन पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा किए गए उत्पादन संक्रियाओं के दौरान पट्टेदार द्वारा किए गए सभी उत्खनन, गड्ढों और ड्रिलिंग का सटीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात्:—

(i) समुद्र तल के नीचे की उप-भूमि और परत जिसके माध्यम से ऐसे उत्खनन, गड्ढे या ड्रिलिंग गुजरती है;

(ii) पाए गए किसी भी खनिज का विवरण; और

(iii) ऐसे अन्य विवरण जिनकी केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी को अपेक्षा हो;

(छ) पट्टेदार अपतट क्षेत्रों में जलयानों, स्थापनों, मशीनरी, इंजन, प्लेटफॉर्म, ड्रोन और अन्य स्थापनों या उपकरणों की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी लागू विधियों और विनियमों का पालन करेगा;

(ज) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अपतट क्षेत्रों में उसके द्वारा तैनात किए गए किसी भी जलयान, स्थापन, मशीनरी, इंजन, प्लेटफॉर्म, ड्रोन और अन्य स्थापनों या उपकरणों में उपग्रह ट्रैकिंग उपकरणों और यात्रा आंकड़ा रिकॉर्डर जैसे उपकरणों लगे हों और उनका उपयोग किया जाए, जो उनके क्रियाकलापों की मॉनीटरिंग और रिपोर्ट करते हों;

(झ) पट्टेदार, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को निरीक्षण के उद्देश्य से पट्टा क्षेत्र में किसी भी जलयान, प्लेटफॉर्म, स्थापन या किसी अन्य बुनियादी ढांचे में प्रवेश करने की अनुमति देगा;

(ञ) केन्द्रीय सरकार को हर समय उस पट्टा क्षेत्र से प्राप्त खनिजों के अग्रक्रय का अधिकार होगा जिसके संबंध में उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया है:

परन्तु अग्रक्रय के समय प्रचलित भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय कीमत का संदाय पट्टेदार को ऐसे सभी खनिजों के लिए किया जाएगा;

(ट) पट्टेदार भविष्य में उपकृति के लिए अप्रयुक्त या गैर-विक्रय योग्य, उप-श्रेणी अयस्कों या खनिजों का पट्टा क्षेत्र के भीतर उचित रूप से भंडारण और लेखाओं का रखरखाव करेगा;

(ठ) पट्टेदार उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और उपाय करेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित हैं;

(ड) पट्टेदार अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन करेगा, जिसमें अधिनियम की धारा 19 के अधीन बनाए गए नियम और अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी निदेश सम्मिलित हैं;

(ढ) पट्टेदार अपने संबंधी संक्रियाओं को इस प्रकार नहीं चलाएगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे या किसी अन्य व्यक्ति के किसी स्थापन, जलयान, संक्रिया संबंधी, संपत्ति या अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा पट्टेदार द्वारा उत्पादन संक्रियाओं या ऐसे उद्देश्यों के लिए किसी अपतट क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जो उत्पादन पट्टे में सम्मिलित नहीं हैं;

(ण) पट्टेदार नौचालन के प्रयोजनों या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्गों में किसी भी मार्ग के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(त) पट्टेदार किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच की उचित सुविधाएं देगा जो पट्टेदार द्वारा धारित पट्टा क्षेत्र में समाहित है या उससे सटा हुआ है या उससे पहुंचा जा सकता है:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के संक्रियाओं में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और पट्टेदार को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए उचित प्रतिकर, जिस पर पारस्परिक सहमति हो या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए, उनके द्वारा पट्टेदार को दिया जाएगा;

(थ) पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रचालक द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी पेट्रोलियम संक्रिया संबंधी या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी संक्रिया संबंधी या ऐसे अन्य संक्रियाओं में बाधा या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा;

(द) केन्द्रीय सरकार, या उस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पट्टेदार या व्यक्ति को, कोई पाइपलाइन, केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन विद्यमान या उसका रखरखाव करने, उसकी मरम्मत करने या उसे बदलने के लिए उसके ऊपर या उसके माध्यम से या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने अधिकार होगा:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जिस पर परस्पर सहमति हो, या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए,—

- (i) अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए,

दिया जाएगा;

(ध) पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर प्रशासनिक प्राधिकारी और अन्य संबंधित सरकारी प्राधिकारियों जिसके अंतर्गत भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना भी है, के समाधान के लिए पट्टा क्षेत्र की सीमा को चिह्नित करने वाले सभी नोटिस या प्लावकों या चिन्ह या बोया को स्थापित, अनुरक्षित, प्रदर्शित और मरम्मत करेगा;

(न) पट्टेदार जलयान या स्थापना पर उत्पादन संक्रिया संबंधी के दौरान एकत्र किए गए डाटा के दैनिक लॉग का अनुरक्षण करेगा, जिसके द्वारा पट्टा क्षेत्र में ऐसी संक्रिया संबंधी की जा रही हैं और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे डाटा लॉग का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और पट्टेदार उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा।

(प) पट्टेदार को सभी उत्पादन डाटा, रिपोर्ट, नमूने, जिसमें अंतर्गत नियोजित व्यक्तियों की संख्या, उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय डाटा, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, परमाणु खनिजों का गवेषण, प्राप्त किए गए और निकाले गए खनिजों की मात्रा और उत्पादन संबंधी संक्रिया के अनुसरण में अपने द्वारा एकत्र की गई अन्य सुसंगत जानकारी सम्मिलित है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, को उपलब्ध करानी होगी और निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अर्थात्:—

(i) वर्ष की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों की अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट;

(ii) उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य रिपोर्ट;

(फ) पट्टेदार उत्पादन संक्रिया संबंधी के दौरान एकत्र किए गए किसी भी डाटा को प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना भंडारण, प्रसंस्करण या निर्वचन के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा;

(ब) पट्टेदार उस नुकसानी, क्षति या व्यवधान के लिए, जो उसके द्वारा पहुँचाया जाए, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार प्रतिकर का संदाय करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसी नुकसानी, क्षति या व्यवधान तथा उससे संबंधित सभी खर्चों और व्ययों के संबंध में किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध प्रशासनिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा;

(भ) यदि विदेशी अधिवासित इकाई या विदेशी इकाई या ठेकेदार, कार्मिक, पोत या उपस्कर उत्पादन संक्रिया संबंधी करने के लिए नियोजित या तैनात किए जाते हैं, सरकारी प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आज्ञापक कोई विनिर्दिष्ट अनुमोदन भी है, प्राप्त किया जाएगा, तथा एकत्र किया गया कोई भी डाटा और की गई संक्रिया संबंधी पट्टेदार के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगी, जो उचित रक्षोपाय सुनिश्चित करेंगे;

(म) पट्टेदार, प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी के समाधान के लिए, पट्टा क्षेत्र में जलयानों, स्थापनों या किसी अन्य उपस्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;

(य) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन प्रचालनों के दौरान जनित डाटा, जिसमें कोई भूवैज्ञानिक डाटा भी सम्मिलित है, का प्रसंस्करण भारत में विदेशी संस्थाओं या ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत डाटा किसी विदेशी संस्था को केवल प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही दिया जा सकता है;

(यक) पट्टेदार परिचालन प्रारंभ करने से कम से कम दो महीने पहले प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस देगा कि ऐसे परिचालन क्षेत्र में किसी भी नौसैनिक अभ्यास में बाधा न डालें;

(यख) उनकी तैनाती से पहले, पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पट्टेदार या संविदाकृत कंपनियों द्वारा पट्टा क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों और स्थापित किए जाने वाले स्थापनों को संबंधित नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और फ्लैग ऑफिसर, ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के नौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना होगा और उसमें सफल होना होगा और ऐसे निरीक्षण और मंजूरी को सुकार बनाने के लिए पट्टेदार द्वारा पूर्वोक्त अधिकारियों को एक महीने का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा;

(यग) पट्टेदार द्वारा उत्पादन संक्रियाओं के लिए तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पोत परिवहन महानिदेशालय से पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी;

(यघ) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदाकृत कंपनियों या व्यक्तियों को संविदा दिए जाने के संबंध में सूचना, संविदाकृत इकाई का नाम, संविदा की अवधि, संविदा की विषय-वस्तु, उपयोग किए जाने वाले उपस्करों की प्रकृति और एकत्र किए जाने वाले डाटा, यदि कोई हो, सहित संविदा के सुसंगत विवरण के साथ नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, साथ ही एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी को भी दी जाएगी, पट्टेदार द्वारा संबंधी संक्रिया प्रारंभ करने से पहले, संबंधी संक्रिया कंपनियों द्वारा जलयानों की तैनाती पर छह मास का लंबा मामला उपलब्ध कराया जाएगा;

(यङ) बीजा, और इस तरह की अन्य अनुज्ञाएं जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आवश्यक हो, जलयान पर सवार सभी विदेशी कार्मिकों के लिए सरकारी प्राधिकारी से प्राप्त करनी होंगी;

(यच) पट्टेदार, उत्पादन संक्रियाओं के लिए तैनात सभी जलयानों और उपस्करों और जलयान पर सवार कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सभी पूर्वावधानात्मक उपाय करेगा;

(यछ) पट्टेदार समुद्री सुरक्षा चेतावनियां जारी करने के लिए तुरंत फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और प्रशासनिक प्राधिकारी को सभी जलयानों, विद्यमान और निर्माणाधीन अपतट प्रतिष्ठानों या प्लेटफार्मों, पट्टा क्षेत्र के भीतर तैनात उपकरणों और मशीनरी के निर्देशांकों को इंगित करते हुए स्थान और उसके पश्चात् उसके नए स्थान को स्थानांतरित किए जाने पर सूचित करेगा;

(यज) पट्टेदार बिना किसी देरी के अपने उत्पादन कार्यों के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालने वाली दुर्घटना हो सकती है, पोत परिवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को भेजेगा;

(यझ) पट्टेदार उस पोत या संस्थापन पर उत्पादन योजना की एक प्रति बनाए रखेगा जिसके माध्यम से पट्टा क्षेत्र में या किसी निर्धारित स्थल पर उत्पादन कार्य किए जा रहे हैं;

(यञ) पट्टेदार, उत्पादन कार्यों के संबंध में, प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो भारतीय नागरिक नहीं है;

(यट) पट्टेदार, यथा स्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, पट्टा क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने की अनुमति देगा युक्तियुक्त समय पर पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण और मांग किए जाने पर पट्टा क्षेत्र की सभी लागू योजनाओं और खंडों के साथ-साथ ग्रेड-वार आरक्षित मात्रा की आपूर्ति भी करेगा;

(यठ) पट्टेदार, जब तक कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो, पट्टा क्षेत्र के भीतर या पट्टा क्षेत्र से उतारे जाने के स्थान पर तथा भारत में उतराई या उतार के बंदरगाह पर, जहां खनिजों को लाया जाएगा, एक उचित रूप से निर्मित तथा कुशल तौल या माप प्रणाली, जिसे निर्दिष्ट किया जाए, उपलब्ध कराएगा तथा हर समय उसे बनाए रखेगा;

(यड) पट्टेदार सभी उत्पादित और प्रेषित खनिजों को निर्दिष्ट तरीके के अनुसार तौलेगा या मापेगा, या तुलवाएगा या उनका माप करवाएगा;

परन्तु पट्टेदार प्रत्येक दिन के अंत में यह सुनिश्चित करेगा कि खनिजों के उत्पादन और प्रेषण पर कुल आंकड़े, सभी भार और माप सहित पट्टेदार द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में दर्ज किए जाएं:

परन्तु यह और कि, पट्टेदार उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान हर समय प्रशासनिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार को उक्त खनिजों के तौलने या माप के समय उपस्थित रहने, और उसका लेखा रखने, और पट्टेदार द्वारा रखे गए लेखों की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करने की अनुमति देगा और पट्टेदार प्रत्येक ऐसे तौलने या माप के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी और भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को लिखित में सात दिन पूर्व सूचना देगा, ताकि वह या उसकी ओर से कोई अधिकारी वहां उपस्थित हो सके;

(यह) पट्टेदार उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूर्वोक्त रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली और रखी जाने वाली प्रत्येक तौल मशीन या माप प्रणाली और उसके साथ प्रयुक्त बाटों या प्रणालियों की जांच और परीक्षण करने की अनुमति देगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे क्रमशः सही और अच्छी हालत में और व्यवस्थित हैं या नहीं:

परन्तु यदि ऐसी किसी जांच या परीक्षण में कोई तौल मशीन या बाट या माप प्रणाली गलत या खराब पाई जाती है तो प्रशासनिक प्राधिकारी यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसे पट्टेदार द्वारा और उसके खर्च पर समायोजित किया जाए और यदि ऐसी मांग का अनुपालन, उसके किए जाने के चौदह दिन की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति तब तक पारगमन अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी तौल मशीन या बाट या माप प्रणाली का अंशांकन नहीं कर दिया जाता और उसे व्यवस्थित नहीं कर दिया जाता है;

(यण) यदि पूर्वोक्त किसी जांच या परीक्षण के पश्चात् किसी तौल मशीन या बाट में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार के प्रतिकूल कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी त्रुटि उसके पाए जाने से पूर्व या उसी तौल मशीन, बाट और माप प्रणाली की जांच और परीक्षण के अंतिम अवसर से तीन मास की अवधि के लिए विद्यमान मानी जाएगी, यदि ऐसा अवसर उक्त तीन मास की अवधि के भीतर हो, और पट्टेदार, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लगाए जा सकने वाले किसी अन्य दंड या सिविल दायित्व के अतिरिक्त, किराया, स्वामिस्व, नीलामी प्रीमियम या लागू होने वाला कोई अन्य भुगतान तदनुसार करेगा;

(यत) यदि पट्टेदार इस उप-नियम के अधीन या उत्पादन पट्टा विलेख के अधीन अपने किसी दायित्व को उस निमित्त निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करने या निष्पादित करने में विफल रहता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी अपने विवेक से उसे पूरा करने या निष्पादित करने का कारण बन सकता है और पट्टेदार, मांग किए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए सभी व्ययों का प्रशासनिक प्राधिकारी को भुगतान करेगा और ऐसे व्ययों के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा;

(यथ) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उत्पादन पट्टे के अंतर्गत किसी भी शर्त या निबंधन को पूरा करने में पट्टेदार की ओर से विफलता से केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी को पट्टेदार के विरुद्ध कोई दावा नहीं मिलेगा या इसे उत्पादन पट्टे का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी विफलता को अप्रत्याशित घटना के कारण उत्पन्न माना जाता है और अप्रत्याशित घटना के कारण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उत्पादन पट्टे के अंतर्गत किसी भी शर्त या निबंधन को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा किसी देरी की स्थिति में, ऐसी देरी की अवधि इन नियमों या उत्पादन पट्टे द्वारा निर्धारित अवधि में जोड़ दी जाएगी।

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ दैवीय कृत्य, युद्ध, विप्लव, बलवा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वारीय लहर, बाढ़, आकाशीय विद्युत्, विस्फोट, आग या कोई अन्य घटना है जिसे पट्टेदार उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता था;

(यद्) पट्टेदार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उत्पादन पट्टा विलेख के अधीन देय किराया, दरें और स्वामिस्व का भुगतान करने के पश्चात्, उत्पादन पट्टा अवधि की समाप्ति या समाप्ति पर या उसके पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर (जब तक कि पट्टेदार की चूक के कारण उत्पादन पट्टा समाप्त न कर दिया गया हो, और उस स्थिति में ऐसी समाप्ति के पश्चात् तीन मास से कम और छह मास से अधिक समय न हो) उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान उत्खनित सभी या किसी भी अयस्क खनिज, जलयानों, प्रतिष्ठानों, इंजनों, मशीनों, पाइपलाइनों, संरचनाओं, उपकरणों, प्लेटफार्मों और अवसंरचना, निर्माण और सुविधाओं को अपने लाभ के लिए खंड कर और हटा सकता है,

जिन्हें पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र में या उसके ऊपर बनाया, स्थापित या रखा गया हो और जिन्हें पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को देने के लिए बाध्य न हो या जिन्हें केन्द्रीय सरकार खरीदना न चाहती हो;

(यध) यदि उत्पादन पट्टा अवधि की समाप्ति या पर्यवसान के पश्चात् छह मास की अवधि के अंत में पट्टा क्षेत्र में या उसके ऊपर कोई अयस्क या खनिज, इंजन, मशीनरी, पाइपलाइन, संरचना, उपकरण, प्लेटफार्म और अन्य कार्य, निर्माण और सुविधाएं या अन्य संपत्ति बची रहती है, जिसकी पट्टेदार को आवश्यकता नहीं है, तो उसे, यदि पट्टेदार द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अधिसूचना दिए जाने के एक मास की अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है, तो उसे केन्द्रीय सरकार की संपत्ति समझा जाएगा और उसे पट्टेदार की लागत पर, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से, उसके संबंध में पट्टेदार को कोई प्रतिकर देने या हिसाब देने के दायित्व के बिना बेचा या निपटाया जा सकेगा; तथा

(यन) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पट्टा क्षेत्र में उत्पादन कार्यों के प्रयोजनों के लिए तैनात सभी कार्मिक, जलयान, संस्थापन, उपकरण और अवसंरचना का, उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान हर समय, पट्टेदार द्वारा ऐसी विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार बीमा कराया जाएगा, जैसा कि किसी भी समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत लागू हो, और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

(3) पट्टेदार, उत्पादन पट्टे में निर्दिष्ट न किए गए किसी खनिज की पट्टा क्षेत्र में खोज की सूचना यथाशीघ्र, तथा किसी भी स्थिति में ऐसी खोज की तारीख से साठ दिन की अवधि के अंदर प्रशासनिक प्राधिकारी को देगा, तथा ऐसे खोजे गए खनिज को उत्पादन पट्टा विलेख में सम्मिलित किए बिना उसे प्राप्त नहीं करेगा और उसका निपटान नहीं करेगा।

(4) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, उत्पादन पट्टे में निम्नलिखित शर्तें हो सकेगी, जिन्हें प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार लागू करना उचित समझे, अर्थात्:—

- (क) किराए और स्वामिस्व के भुगतान की समय-सीमा, तरीका और स्थान;
- (ख) संरक्षित क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित उपाय, जिनमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अन्य क्षेत्र सम्मिलित है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;
- (ग) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निषिद्ध किसी क्षेत्र में उत्पादन कार्यों पर प्रतिबंध;
- (घ) पट्टेदार द्वारा नोटिस:—
 - (i) उत्पादन संक्रिया प्रारम्भ होने से पहले पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु; और
 - (ii) उत्पादन संक्रिया प्रारम्भ करने हेतु;
- (ङ) भेजे गए खनिज के उचित भार संबंधी उपबंध;
- (च) दुर्घटनाओं को रिपोर्ट करना;
- (छ) तृतीय पक्षकार के दावों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार और प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति;
- (ज) उत्पादन पट्टे के अभ्यर्पण, अवसान या पर्यावसान पर पट्टा क्षेत्र के कब्जे का परिदान;
- (झ) उत्पादन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् छोड़ी गई संपत्ति की जब्ती;
- (ण) युद्ध या आपातकाल की स्थिति में पट्टा क्षेत्र, जलयानों, प्रतिष्ठानों और अन्य अवसंरचनाओं पर कब्जा करने की शक्ति; और
- (त) उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कोई अन्य शर्तें।

(5) प्रशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो खनिजों के संरक्षण और विकास के हित में आवश्यक हों।

(6) जब केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन पट्टा प्रदान किया जाता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पट्टाधारक के व्यय पर पट्टा क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन की व्यवस्था की जाएगी।

(7) इस नियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, पट्टाधारक को पट्टा क्षेत्र पर उत्पादन कार्यों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का अधिकार होगा—

- (क) खानों को चलाना, खनिज प्राप्त करना और ले जाना;
- (ख) पिट को सिंक करना;
- (ग) किसी भी यथा स्थिति जलयान, प्लेटफार्म, उपकरण, स्थापना और अन्य अवसंरचना को, खड़ा करना, स्थापित करना या तैनात करना;
- (घ) उत्पादन कार्यों या परिवहन के लिए आवश्यक होने पर समुद्री जल का उपयोग करना;
- (ङ) भंडारकरण प्रयोजन के लिए अपतट पट्टा क्षेत्र के किसी भाग का उपयोग करना; और
- (च) उत्पादन पट्टे में निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।

(8) यदि पट्टेदार उपनियम (2) के खंड (ड), खंड (च), खंड (झ), खंड (द), खंड (न), खंड (ट) खंड (यड) या खंड (यड) के अधीन प्रवेश या निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को लिखित में नोटिस देगा जिसमें उससे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उत्पादन पट्टा समाप्त क्यों न कर दिया जाए और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को जब्त क्यों न कर लिया जाए और यदि पट्टेदार प्रशासनिक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पूर्वोक्त समय के भीतर कारण बताने में विफल रहता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी उत्पादन पट्टा समाप्त कर सकता है और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति के पूरे या हिस्से को जब्त कर सकता है, और अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी अन्य कार्यवाई कर सकता है।

(9) यदि पट्टेदार को अवैध खनन का दोषसिद्ध किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित करने वाला किसी न्यायालय का कोई आदेश नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आरंभ की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उत्पादन पट्टे को समाप्त कर सकेगी और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को, ऐसे पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और कारणों को लेखबद्ध करके, जब्त कर सकेगी और पट्टेदार को सूचित करेगी।

(10) यदि पट्टेदार अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित स्वामिस्व के भुगतान में या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित नियत किराए के भुगतान में या अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के प्रति अंशदान या अधिनियम की धारा 16(क) की उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित अपतट क्षेत्र खनिज ट्रस्ट के प्रति अंशदान में कोई चूक करता है या उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (6) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को भंग करता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को नोटिस देगा जिसमें उससे भंग को ठीक करने के लिए स्वामिस्व या नियत किराया या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण या अपतट क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को अंशदान का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर और यदि स्वामिस्व या नियत किराया या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण या अपतट क्षेत्र खनिज ट्रस्ट को अंशदान का भुगतान नहीं किया जाता है या उक्त अवधि के भीतर भंग को ठीक नहीं किया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार, उसके विरुद्ध प्रारम्भ की जा सकने वाली अन्य कार्यवाहियों के किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, उत्पादन पट्टे को समाप्त कर सकेगी तथा पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति की पूरी रकम या उसका एक भाग जब्त कर सकेगी।

अध्याय 5

अवसान, व्यपगत, अभ्यर्पण या पर्यवसान

9. **नीलामी.**— उत्पादन पट्टा अवधि के अवसान पर, अधिनियम की धारा 13 और अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के अध्याय 2 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पट्टा क्षेत्र को नीलामी के लिए रखा जा सकेगा, और ऐसी नीलामी की प्रक्रिया ऐसी समाप्ति से एक वर्ष पहले आरम्भ की जा सकेगी।
10. **संयुक्त अनुज्ञप्ति का व्यपगत होना.**— (1) जहां अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर खोज संक्रिया संबंधी आरम्भ करने में विफल रहता है, या आरम्भ होने पर, दो वर्ष की अवधि के लिए संक्रिया बंद कर देता है, प्रशासनिक प्राधिकारी, नियम 12 के उप-नियम (1) के

उपबंधो के अधीन, एक आदेश द्वारा, संयुक्त अनुज्ञप्ति को, यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति के संपादन की तारीख से या संक्रिया के बंद होने की तारीख से, समाप्त घोषित करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को घोषणा की सूचना देगा।

- (2) प्रशासनिक प्राधिकारी संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर सकेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा संपादन प्रतिभूति के अतिरिक्त, खोज कार्यों से प्रभावित समुद्रतल के नैसर्गिक पुनर्वास को समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आवश्यक कदम उठाने या उपाय करने के लिए किए गए किसी भी व्यय का भुगतान करेगा।
- (4) प्रशासनिक प्राधिकारी संयुक्त अनुज्ञप्ति के व्यपगत होने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को लिखित रूप में सूचित करेगा।

11. उत्पादन पट्टे का व्यपगत होना.—(1) जहां पट्टेदार उत्पादन पट्टा दिए जाने के पश्चात दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रियाएं आरंभ करने में असफल रहता है, या आरंभ होने पर, दो वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन संक्रियाएं बंद कर देता है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी, नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा, उत्पादन पट्टे को, यथास्थिति, उत्पादन पट्टे के संपादन की तारीख से या, संबंधी संक्रियाएं बंद करने की तारीख से व्यपगत घोषित करेगा, और पट्टेदार को घोषणा की सूचना देगा।

- (2) जहां उत्पादन और प्रेषण उत्पादन पट्टे के संपादन के पश्चात चार वर्ष की अवधि के भीतर आरंभ नहीं हुआ है, या उत्पादन और प्रेषण के आरंभ के पश्चात दो वर्ष की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी, नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा, उत्पादन पट्टे को यथा स्थिति उसके संपादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या, उत्पादन और प्रेषण के बंद होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर व्यपगत घोषित करेगा, और पट्टेदार को घोषणा की सूचना देगा।
- (3) प्रशासनिक प्राधिकारी, उत्पादन पट्टे के व्यपगत होने पर, पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर सकेगा।
- (4) पट्टेदार, उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के नैसर्गिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए, किसी सुरक्षात्मक उपाय को करने या कोई आवश्यक कदम उठाने, या ऐसे अन्य उपाय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकेंगे, के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा संपादन प्रतिभूति के अतिरिक्त किए गए किसी भी व्यय का भुगतान करेगा।
- (5) प्रशासनिक प्राधिकारी उत्पादन पट्टे के इस प्रकार व्यपगत हो जाने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को लिखित रूप में सूचित करेगा।

12. अवधियों के विस्तार के लिए आवेदन.—(1) जहां—

- (क) कोई अनुज्ञप्तिधारी नियम 10 के उपनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर खोज संबंधी संक्रिया आरंभ करने में असमर्थ है या आरंभ करने पर संबंधी संक्रिया बंद कर देता है;
- (ख) कोई पट्टेदार—
 - (i) उत्पादन संबंधी संक्रिया आरंभ करने में असमर्थ है या आरंभ करने पर संबंधी संक्रिया नियम 11 के उपनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधी संक्रिया बंद कर देता है; या
 - (ii) उत्पादन और प्रेषण आरंभ करने में असमर्थ है, या आरंभ होने पर, ऐसा उत्पादन और प्रेषण नियम 11 के उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है,

प्रत्येक मामले में, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, वह ऐसी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन मास पहले प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी अवधि के विस्तार की मांग की जाएगी:

परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार अपने नियंत्रण से परे कारणों से ऐसे समय के भीतर आवेदन करने में विफल रहा है, किन्तु यथा स्थिति उसने संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के व्यपगत होने से पहले आवेदन किया है, प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे आवेदन करने में देरी को क्षमा कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में यह निर्दिष्ट किया जाएगा—

- (क) वे कारण जिनके कारण, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के लिए, यथास्थिति, खोज संक्रियाएं या उत्पादन संक्रियाएं या उत्पादन और प्रेषण, यथास्थिति, करना या खोज संक्रियाएं या उत्पादन संबंधी संक्रियाएं या उत्पादन और प्रेषण, जारी रखना संभव नहीं था;
- (ख) वह तरीका जिससे ऐसे कारण अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के नियंत्रण से बाहर थे; और
- (ग) ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा उठाए गए कदम।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक लाख रुपए की फीस संलग्न होगी।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, यथास्थिति खोज संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं या उत्पादन और प्रेषण के प्रारंभ न होने या, उसे बंद करने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता की जांच करने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या उस तारीख से पूर्व, जिसको, यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा अन्यथा व्यपगत हो जाता, जो भी पहले हो, ऐसे आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा:

परन्तु ऐसा कोई विस्तार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और ऐसा विस्तार, यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान एक बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

13. उत्पादन पट्टे का अभ्यर्पण.— (1) पट्टेदार, इच्छित अभ्यर्पण की तारीख से कम से कम छह मास की अवधि का लिखित नोटिस देने के पश्चात् सम्पूर्ण पट्टा क्षेत्र या उसके किसी भाग को अभ्यर्पित करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन उत्पादन पट्टे के अभ्यर्पण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकेगा, अर्थात्:—

- (क) पट्टा क्षेत्र या उसके भाग के अभ्यर्पण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अनुमोदित अंतिम खान बंद करने की योजना संलग्न होगी;
- (ख) पट्टेदार ने अनुमोदित अंतिम खान बंद करने की योजना के कार्यान्वयन के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं;
- (ग) पट्टा क्षेत्र के भाग के अभ्यर्पण में केवल विद्यमान पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के साथ-साथ सन्निहित मानक ब्लॉक सम्मिलित होंगे तथा ऐसे क्षेत्र का समुचित सर्वेक्षण किया गया होगा;
- (घ) उत्पादन पट्टे के संबंध में सभी बकाया रकम का निपटान किया गया है;
- (ङ) पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, अनुमानित व्यय (यदि कोई हो, विद्यमान संपादन प्रतिभूति से अधिक) के बराबर रकम सुरक्षात्मक उपायों के लिए जमा करेगा या कोई आवश्यक कदम

उठाएगा या ऐसे अन्य उपाय करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टा क्षेत्र में उत्पादन कार्यों से प्रभावित समुद्रतल के नैसर्गिक पुनर्वास को सक्षम बनाने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(च) उत्पादन योजना में पर्यावरण संरक्षण के उपायों सहित खनिज भंडार के व्यवस्थित विकास के संबंध में दिए गए उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

(3) खनिज संसाधनों के समाप्त होने पर संपूर्ण पट्टा क्षेत्र के अभ्यर्पण की स्थिति में, पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति जप्त कर ली जाएगी:

परन्तु पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति उस स्थिति में जप्त नहीं की जाएगी, यदि —

(i) पट्टेदार को पेट्रोलियम या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं के अन्य पट्टेदारों की संबंधी संक्रियाओं या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों या अन्य सरकारी एजेंसियों की संबंधी संक्रियाओं के कारण उत्पादन संक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ता है; या

(ii) उत्पादन पट्टे के संपादन के बाद दस वर्ष बीत गए हैं और पट्टेदार को लगता है कि उत्पादन संबंधी संक्रियाएं अलाभकारी है।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को लिखित रूप में सूचित किए जाने वाले कारणों से संपूर्ण या आंशिक पट्टा क्षेत्र के ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

(5) पट्टेदार प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उपगत संपादन प्रतिभूति के अतिरिक्त भी व्यय का भुगतान करेगा, जो कि अभ्यर्पित पट्टा क्षेत्र में उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के नैसर्गिक पुनर्वास को सक्षम बनाने के लिए किसी भी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आवश्यक कदम उठाने या उपाय करने के लिए, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपाय भी शामिल हैं, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार किया जाएगा।

14. पर्यवसान.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति का पर्यवसान कर सकती है, यदि उसका यह मत है कि ऐसा पर्यवसान लोकहित, देश के सामरिक हित, अपतट खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन के हित में, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम, लोक स्वास्थ्य या संचार के लिए खतरे से बचने, किसी अपतट संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने या खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए या किसी अन्य कारण से समीचीन है।

(2) उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा नियम 7 के उपनियम (2) के खंड (यक) या नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (यप) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार किसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का पर्यवसान कर सकती है, यदि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, जैसा भी मामला हो, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय—

(क) उसमें या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित किसी भी नियम, अनुबंध और शर्त को पूरा करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है; या

(ख) अपने द्वारा कवर किए गए अपतट क्षेत्र का उपयोग सद्भावपूर्वक प्रयोजन के लिए करने में विफल रहता है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया है; या

(ग) ऐसे अपतट क्षेत्र का उपयोग उस प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया है; या

(घ) भारतीय विधियों और विनियमों, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों या संधियों का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिनमें भारत एक पक्ष है, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, खतरनाक अपशिष्टों के लिए लागू कानून भी शामिल हैं; या

(ङ) प्रशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के निदेशों का पालन करने में विफल रहता है।

- (3) इस नियम के अधीन सक्रिय संबंधी अधिकार के समयपूर्व पर्यवसान का कोई आदेश पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां समयपूर्व पर्यवसान देश के सामरिक हित के आधार पर किया जा रहा हो।
- (4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई विफलता, उल्लंघन या उपयोग सुधार योग्य प्रकृति का है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को नोटिस दे सकती है जिसमें उसे नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उसका समाधान करने की आवश्यकता होगी और उसे सूचित किया जाएगा कि यदि ऐसी विफलता, उल्लंघन या उपयोग का समाधान ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसकी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा का बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के पर्यवसान किया जा सकता है।
- (5) उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की स्थिति में, प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति जब्त कर सकता है।
- (6) पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी, खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के नैसर्गिक पुनर्वास को सक्षम बनाने के लिए, जैसा भी मामला हो, कोई सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आवश्यक कदम उठाने या ऐसे अन्य उपाय करने के लिए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उपगत किए जाने वाले अनुमानित व्यय (जब्त की गई संपादन प्रतिभूति से अधिक), यदि कोई हो, के बराबर रकम जमा करेगा।

अध्याय 6

अंतरण

15. **उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति का अंतरण.**— (1) उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति का धारक (जिसे इसके बाद अंतरक कहा जाएगा) अपने उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति को, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 13बी और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति रखने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को (जिसे इसके बाद अंतरिती कहा जाएगा) प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अंतरण कर सकता है।
- (2) अंतरक और अंतरिती, अंतरण से पहले, संयुक्त रूप से प्रशासनिक प्राधिकारी को प्ररूप 4 में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें अंतरण के लिए अंतरिती द्वारा देय प्रतिफल का विवरण होगा, जिसमें खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया संबंधी या दोनों के संबंध में प्रतिफल, जो पहले से ही किए गए हैं, और संबंधी संक्रिया के दौरान उत्पन्न रिपोर्ट और आंकड़ा सम्मिलित होगा, जैसा भी मामला हो।
- (3) प्रशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे अंतरण को अनुमोदित या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय सूचित करेगा:

परन्तु उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति का ऐसा कोई अंतरण किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा जिसके अधीन उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी।
- (4) इस नियम के अधीन किए गए सभी अंतरण इस शर्त के अधीन होंगे कि संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सभी शोध का ऐसे अंतरण से पूर्व निपटान कर दिया जाएगा, और अंतरिती ने किसी भी समय लागू विधि के अधीन उन सभी शर्तों और देनदारियों को स्वीकार कर लिया है, जिनके अध्याधीन अंतरण ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति, जैसा भी मामला हो, के संबंध में था।

- (5) अंतरण की तारीख से ही अंतरिती संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे, जैसा भी मामला हो, के संबंध में किसी भी और सभी देनदारियों के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।
- (6) अंतरक और अंतरिती उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमोदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप 5 में एक पंजीकृत विलेख संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- (7) यदि उपनियम (6) के अनुसार पंजीकृत अंतरण विलेख प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उपनियम (2) के अधीन किया गया अंतरण आवेदन अपात्र हो जाएगा।
- (8) अंतरण विलेख के प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को निष्पादित अंतरण विलेख पंजीकृत किया जाता है।
- (9) संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, ऐसे अंतरण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक और प्रशासनिक प्राधिकारी को प्ररूप 6 में इसकी सूचना भेजेगा।
- (10) प्रशासनिक प्राधिकारी भारतीय खान ब्यूरो, नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या विभाग को संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे जैसा भी मामला हो के किसी भी अंतरण के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।
- (11) केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी की सिफारिश पर, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी समय, किसी उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगी और संपादन प्रतिभूति जब्त कर सकेगी, यदि पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी ने, केन्द्रीय सरकार की राय में, इस नियम के किसी उपबंध का भंग किया है या ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति या उसमें कोई अधिकार, हक या हित को इस नियम के अनुसार न करके किसी अन्य तरीके से अंतरित किया है:

परन्तु ऐसा कोई आदेश पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

- 16. उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति का नामांतरण.—** (1) उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होने जाने की स्थिति में, विधिक वारिस, मृतक पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति में अपने नाम के नामांतरण के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

- (2) प्रशासनिक प्राधिकारी नामांतरण के लिए ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर मृतक पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर ऐसे विधिक वारिसों के नाम अभिलेखों में दर्ज करेगा या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे नामांतरण को अस्वीकार कर देगा:

परन्तु उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति में नाम का ऐसा नामांतरण किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा जिसके अधीन ऐसा उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया था।

- (3) प्रशासनिक प्राधिकारी भारतीय खान ब्यूरो, नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या विभाग को इस नियम के अधीन किसी भी नामांतरण के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

- 17. प्रतिभूति हित का विल्लंगम और प्रवर्तन.—** (1) एक संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा रखने वाला व्यक्ति ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे पर कोई विल्लंगम सृजित कर सकता है।

- (2) ऐसे विल्लंगम के संबंध में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की स्थिति में, संक्रिया संबंधी अधिकार केवल ऐसे अंतरिती को सौंपा जाएगा जो पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता है जो ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए अंतरक द्वारा और नियम 15 में निर्दिष्ट रीति से पूरी की जानी अपेक्षित थी:

परन्तु ऐसे मामलों में प्रतिभूति हित का प्रवर्तन करने वाले लेनदार अंतरिती की ओर से अंतरिती आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्याय 7

खनिज मूल्यांकन

18. **विक्रय मूल्य.**— विक्रय मूल्य वह कुल रकम है जो क्रेता द्वारा विक्रय बीजक में दर्शाई गई है, जहां विक्रय लेनदेन आसन्निकट आधार पर है और विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है, जिसमें कर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को अंशदान, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण.— विक्रय मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित किराया, स्वामिस्व, अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को भुगतान के संबंध में कुल रकम से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

19. **स्वामिस्व का भुगतान.**— (1) स्वामिस्व रन-ऑफ-माइन पर पट्टा क्षेत्र के भीतर या बाहर इसके प्रसंस्करण पर ध्यान दिए बिना लगाई जाएगी:

परन्तु स्वामिस्व पट्टा क्षेत्र से प्रेषण के समय देय होगी।

- (2) जहां अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी खनिज के संबंध में स्वामिस्व का भुगतान मूल्यानुसार किया जाना है, वहां स्वामिस्व की गणना, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित, निष्कासन या उपभोग के मास के लिए, ऐसे खनिज ग्रेड या सांद्र के औसत विक्रय कीमत के विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर की जाएगी, और इसमें से स्वामिस्व और अपतट क्षेत्र खनिज ट्रस्ट के लिए देय रकम को घटाया जाएगा, जिसकी गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय कीमत पर की जाएगी।
- (3) जहां अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है कि बहुधात्विक पिंड और क्रस्टों सहित किसी भी खनिज के संबंध में स्वामिस्व का भुगतान लंदन मेटल एक्सचेंज या लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन कीमत या किसी अन्य सूचकांक, प्रकाशन या एक्सचेंज के आधार पर किया जाना है, वहां स्वामिस्व की गणना, उस मास के लिए ऐसे खनिज की, यथास्थिति, निकाले गए अयस्क में निहित धातु या वास्तव में उत्पादित कुल उपोत्पाद धातु के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मास के लिए धातु की औसत विक्रय कीमत की विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर की जाएगी:

परन्तु उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित स्वामिस्व और अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के लिए देय रकम की कटौती इस उप-नियम के अधीन आने वाले खनिजों के लिए लागू नहीं होगी।

- (4) जहां अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि किसी खनिज का स्वामिस्व टन भार के आधार पर दिया जाएगा, वहां स्वामिस्व की गणना पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उपभोग किए गए खनिज के उत्पाद और स्वामिस्व की विनिर्दिष्ट दर के रूप में की जाएगी।

20. **अनंतिम मूल्यांकन और समायोजन.**— (1) पट्टा क्षेत्र से खनिज को हटाने या उपभोग के समय, पट्टेदार उक्त खनिज ग्रेड के नवीनतम उपलब्ध औसत विक्रय कीमत के आधार पर स्वामिस्व और अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को भुगतान की रकम की गणना करेगा और उसी के लिए अनंतिम भुगतान के रूप में केन्द्रीय सरकार को भुगतान करेगा।

- (2) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मास के लिए खनिजों के औसत विक्रय कीमत के प्रकाशन के बाद, अनंतिम भुगतान के सापेक्ष देय वास्तविक रकम का उचित समायोजन किया जा सकता है।

21. **स्वामिस्व शुष्क आधार पर प्रभार्यः**— स्वामिस्व हटाए गए खनिज के वजन पर प्रभार्य होगी, जिसे शुष्क आधार पर मापा जाएगा।
22. **औसत विक्रय कीमत की गणना**— (1) खनिज ग्रेड या सांद्र के औसत विक्रय कीमत की गणना करने के लिए खान-द्वार कीमत का उपयोग किया जाएगा।
- (2) खनिज ग्रेड या सांद्र का खान-द्वार कीमत होगा—
- (क) जहां निर्यात हुआ है, वहां खनिज का फ्री-ऑन-बोर्ड कीमत में से पट्टा क्षेत्र से बाहर समुद्र या सड़क द्वारा परिवहन प्रभार लोडिंग और अनलोडिंग प्रभार, रेलवे भाड़ा (यदि लागू हो), बंदरगाह चढ़ाई-उतराई प्रभार, निर्यात शुल्क, नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए प्रभार, बाड़ा में भूखंड के लिए किराया, बंदरगाह में चढ़ाई-उतराई प्रभार, नौभरण और ट्रिमिंग के लिए प्रभार, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित पट्टा क्षेत्र के बाहर किए गए किसी भी अन्य आकस्मिक प्रभार के लिए किए गए वास्तविक व्यय को घटाकर कुल निर्यात की गई मात्रा से विभाजित किया जाएगा;
- (ख) जहां घरेलू विक्रय हुआ है, खनिज के विक्रय मूल्य में से परिवहन, लदाई, उतराई, भंडारण बाड़ा में भूखंड का किराया, नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए प्रभार तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित पट्टा क्षेत्र से परे अन्य प्रभार पर किए गए वास्तविक व्यय को घटाकर कुल बेची गई मात्रा से विभाजित किया जाएगा;
- (ग) जहां विक्रय संबंधित पक्षकारों के बीच हुआ है या जहां विक्रय आसन्निकट आधार पर नहीं हुआ है, या जहां खनिज का उपयोग पट्टेदार द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किया गया है, तो ऐसे विक्रय को इस नियम के प्रयोजन के लिए विक्रय के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी:
- परन्तु जहां संबंधित पक्षकारों के बीच विक्रय के लिए या आसन्निकट आधार पर नहीं किये गये विक्रय के लिए या अपने स्वयं के उपभोग के लिए विक्रय के लिए कोई घोषणा पट्टेदार द्वारा नहीं की गई है या उसके बाद में और उस मास के औसत विक्रय कीमत के प्रकाशन से पहले, ऐसी घोषणा तथ्यात्मक रूप से गलत या गलत तरीके से प्रस्तुत की गई पाई जाती है तो, खनिज की ऐसी मात्रा को बेचा हुआ माना जाएगा और उस खनिज ग्रेड या सांद्र के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध औसत विक्रय कीमत को इस मात्रा के लिए खान-द्वार कीमत माना जाएगा;
- (घ) जहां विक्रय नहीं हुआ है, उस खनिज ग्रेड या सांद्र के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध औसत विक्रय कीमत।
- (3) किसी मास के संबंध में किसी खनिज ग्रेड या सांद्र का औसत विक्रय कीमत उपनियम (1) और (2) के अनुसार संगणित खान-द्वार मूल्यों का भारित औसत होगा, तथा भार प्रत्येक खान-द्वार कीमत से सुसंगत खनिज ग्रेड या सांद्र की पट्टा क्षेत्र से भेजी गई मात्रा होगी।
23. **औसत विक्रय कीमत का प्रकाशन**— भारतीय खान ब्यूरो मासिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मास में पट्टा क्षेत्र से निकाले गए प्रत्येक खनिज ग्रेड या सांद्र का औसत विक्रय कीमत प्रकाशित करेगा।
24. **धातु का औसत विक्रय कीमत**— भारतीय खान ब्यूरो हर मास धातुओं, तत्वों या उनके यौगिकों का औसत विक्रय कीमत भारतीय रुपये में निम्नलिखित रीति से प्रकाशित करेगा, जिनकी कीमतें लंदन मेटल एक्सचेंज या लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन या किसी अन्य प्रकाशन, एक्सचेंज या सूचकांक में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, उपलब्ध हैं, अर्थात्:—
- (क) यदि दैनिक कीमत उपलब्ध है, तो मास के सभी दिनों के दौरान उपलब्ध ऐसी कीमत को भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण की उस मुद्रा के लिए, जिसमें कीमत प्राप्त किया गया है, उस दिन की संदर्भ दर से गुणा किया जाएगा;

- (ख) यदि कीमत दैनिक आधार पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है, तो मास में प्रकाशित ऐसे साप्ताहिक मूल्यों को, भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण की उस मुद्रा के लिए, जिसमें कीमत प्राप्त किया गया है, ऐसे साप्ताहिक कीमत के प्रकाशन के दिन की संदर्भ दर से गुणा किया जाएगा;
- (ग) यदि कीमत दैनिक या साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन मासिक आधार पर उपलब्ध है, तो ऐसे मासिक कीमत को भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण की उस मुद्रा के लिए, जिसमें कीमत प्राप्त किया गया है, संदर्भ दर के मासिक औसत से गुणा किया जाएगा;
- (घ) जहां किसी ऐसे दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है जिस दिन प्रकाशन, विनिमय या सूचकांक की कीमत उपलब्ध है, वहां तत्काल पूर्ववर्ती दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर का उपयोग किया जाएगा;
- (ङ) केन्द्रीय सरकार किसी धातु या तत्व के कुछ अयस्क या यौगिक के लिए लागू किए जाने वाले किसी रूपांतरण कारक को विनिर्दिष्ट कर सकती है ताकि मामले दर मामले आधार पर किसी धातु या तत्व का मासिक औसत विक्रय कीमत निकाला जा सके, जिसका उपयोग भारतीय खान ब्यूरो द्वारा औसत विक्रय कीमत प्रकाशित करने के लिए किया जाएगा।

- 25. बहुधात्विक पिंड और क्रस्टों का औसत विक्रय कीमत.**— बहुधात्विक पिंड और क्रस्टों का औसत विक्रय कीमत बहुधात्विक पिंड और क्रस्टों में निहित व्यक्तिगत तत्व के प्रतिशत का योग होगा, जिसे लंदन मेटल एक्सचेंज या लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन कीमत या किसी अन्य सूचकांक, प्रकाशन या एक्सचेंज के आधार पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उस तत्व या धातु के औसत विक्रय कीमत से गुणा किया जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार है:—

$$\text{औसत विक्रय कीमत} = \sum (Q_i \times P_i)$$

जहाँ:

Q_i = बहुधात्विक पिंड और क्रस्टों में i वां तत्व या धातु का प्रतिशत,

P_i = बहुधात्विक पिंड और क्रस्टों में i वां तत्व या धातु का औसत विक्रय कीमत:

परन्तु, जहां प्रासंगिक तत्व या धातु का औसत विक्रय कीमत इन नियमों के अधीन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के अधीन प्रकाशित ऐसे तत्व या धातु के उच्चतम ग्रेड अयस्क के औसत विक्रय कीमत को माना जाएगा:

परन्तु यह और कि, किसी खान या खानों के समूह के लिए भारतीय खान ब्यूरो उन तत्वों को विनिर्दिष्ट करेगा जो औसत विक्रय कीमत की गणना में कीमत के आधार पर पांच प्रतिशत या उससे अधिक भार का योगदान करते हैं, जिन्हें औसत विक्रय कीमत की गणना के लिए सम्मिलित किया जाएगा।

- 26. महानियंत्रक द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति.**— महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जब कभी आवश्यक हो, निदेश जारी कर सकेगा।

अध्याय 8

भुगतान

- 27. भुगतान की जाने वाली फीस और जमा.**— अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन देय कोई रकम, ऐसी रीति से चुकाई जाएगी, जैसी केन्द्रीय सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।
- 28. ब्याज का भुगतान.**— भारतीय खान ब्यूरो का महानियंत्रक, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार को देय किसी किराए,

स्वामिस्व या फीस या अन्य रकम पर, जैसा भी मामला हो, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तारीख की समाप्ति से लेकर ऐसे स्वामिस्व, किराए, फीस या अन्य रकम के भुगतान तक, प्रति वर्ष बारह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूल कर सकेगा।

29. **अधिनियम की धारा 16ए और धारा 18 के अधीन भुगतान.**— इसमें विनिर्दिष्ट भुगतानों के अतिरिक्त, उत्पादन पट्टे के धारक को अधिनियम की धारा 16क और धारा 18 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अपतट क्षेत्र खनिज न्यास और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण को भुगतान करना होगा।
30. **अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 13 के अधीन भुगतान.**— इस अध्याय में विनिर्दिष्ट भुगतानों के अतिरिक्त, उत्पादन पट्टे का धारक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रासंगिक माह के लिए प्रकाशित खनिज ग्रेड या सांद्र के औसत विक्रय कीमत में से स्वामिस्व और अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के लिए देय रकम घटाकर, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय कीमत के आधार पर, मासिक आधार पर केन्द्रीय सरकार को नीलामी प्रीमियम का भुगतान करेगा:
- परन्तु स्वामिस्व और अपतट क्षेत्र खनिज न्यास के लिए देय रकम की कटौती, बहुधात्विक पिंड और क्रस्ट सहित उन खनिजों के लिए लागू नहीं होगी, जिनके लिए औसत विक्रय कीमत लंदन मेटल एक्सचेंज या लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन कीमत या किसी अन्य सूचकांक, प्रकाशन या एक्सचेंज के आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
31. **लाभप्रद रूप से न बेचे गए या उपभोग किए गए अधिभार या अपशिष्ट के लिए भुगतान.**— नियम 19, 29 और 30 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी खान से अधिभार या अपशिष्ट को हटाने के मामले में स्वामिस्व, अपतट क्षेत्र खनिज न्यास या नीलामी प्रीमियम के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा, यदि ऐसा अधिभार या अपशिष्ट लाभप्रद रूप से न बेचा गया हो या न उपभोग किया गया हो।

अध्याय 9

शास्ति

32. **शास्ति.**— जो कोई नियम 7 और 8, नियम 13 के उपनियम (5), नियम 14 के उपनियम (6), नियम 15, 17, 20, 29, 30, 39, 40, 41, 42 और 44 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या पचास लाख रुपये के जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी उल्लंघन के मामले में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अध्याय 10

अपील

33. **अपील के लिए आवेदन.**— (1) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप 7 में तीन प्रतियों में केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा:

परन्तु ऐसी किसी भी अपील पर तीन महीने की अवधि के पश्चात् विचार किया जा सकेगा यदि अपीलकर्ता केन्द्रीय सरकार को संतुष्ट करता है कि उसके पास निर्धारित समय के भीतर अपील को नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(2) अपील के साथ नई दिल्ली में देय “वेतन और लेखा अधिकारी, खान मंत्रालय” के नाम से या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भुगतान के किसी अन्य तरीके से अनुसूचित बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दस हजार रुपये की फीस देय होगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील सभी आवश्यक पक्षों को अभियोजित करने और अग्रिम तामील के माध्यम से ऐसे पक्षों पर अपील के ज्ञापन की एक प्रति की तामील करने और उसके प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् ही की जाएगी।

(4) अपीलकर्ता, उपनियम (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ, उसकी उतनी प्रतियां प्रस्तुत करेगा जितनी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(5) अपील के ज्ञापन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन अभियोजित प्रत्येक पक्ष को एक नोटिस भेजेगी, जिसमें एक तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिस पर या उससे पहले वह अपील के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, कर सकेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार इस नियम के अधीन अपील का विनिश्चय करने के लिए किसी भी लागू प्रक्रियाओं या अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त होगी।

34. **अपील पर आदेश.**— (1) नियम 33 के अधीन अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार ऐसे अपील ज्ञापन की प्रतियां प्रशासनिक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी, जिसमें उन्हें जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसी टिप्पणियां करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि वे करना चाहते हैं, और प्रशासनिक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय टिप्पणियों की एक प्रति अन्य पक्षों को एक साथ पृष्ठांकित करेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी भी पक्ष से प्राप्त टिप्पणियों को संसूचना जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर ऐसी और टिप्पणियां करने के लिए अन्य पक्षों को अग्रेषित किया जाएगा जो वे करना चाहते हैं और आगे की टिप्पणियां करने वाले पक्ष उन्हें अन्य सभी पक्षों को भेजेंगे।

(3) अपील के लिए आवेदन, उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों वाले संसूचना, मामले के अभिलेख होंगे।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् और अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, केन्द्रीय सरकार अपील किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी या यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के ऐसे निदेशों के साथ मामले को वापस भेज सकेगी, जो वह नए आदेश के लिए ठीक समझे।

(5) अपील के लंबित रहने के दौरान, केन्द्रीय सरकार, पर्याप्त कारण से, उस आदेश के संपादन को रोक सकेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

35. **उत्पादन पट्टों का समामेलन.**— (1) केन्द्रीय सरकार, खनिज विकास के हित में और लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पट्टेदार द्वारा धारित दो या दो से अधिक निकटवर्ती उत्पादन पट्टों के समामेलन की अनुमति दे सकेगी:

परन्तु समामेलित उत्पादन पट्टों की अवधि उस उत्पादन पट्टे के साथ सह-विस्तारी होगी जिसकी अवधि पहले समाप्त हो जाएगी।

(2) अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या उत्पादन पट्टे के नियमों और शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक, उत्पादन पट्टों के समामेलन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उपनियम (1) के अधीन समामेलित किए गए पट्टे की सूचना, भारतीय खान ब्यूरो और प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा।

36. **प्रकट त्रुटियों को सुधारने की शक्ति.**— इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश में कोई लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि और आकस्मिक चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली कोई भी त्रुटि, आदेश की तारीख से

दो वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसी सरकार, प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकेगी:

परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई सुधार आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

37. **संक्रिया संबंधी अधिकारों की सूची, संयुक्त अनुज्ञप्ति और उत्पादन पट्टों की प्रतियां, वार्षिक रिटर्न और अन्य प्राधिकरणों को आपूर्ति की जाने वाली रिपोर्ट.—** (1) किसी भी संक्रिया संबंधी अधिकार के अनुदान पर, एक सूची जिसमें अपतट क्षेत्रों का विवरण शामिल है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा संक्रिया संबंधी अधिकार दिया गया है, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन यथानिर्दिष्ट मंत्रालयों और विभागों को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए प्रत्येक उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति की एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो और महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय को ऐसे अनुदान के दो महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए सभी उत्पादन पट्टों और अनुज्ञप्तियों की एक समेकित वार्षिक विवरणी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को ऐसे रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जो उस वर्ष के पश्चात् जून के 30वें दिन से अपश्चात् है जिससे रिटर्न संबंधित है, जिसकी एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय को एक ही समय में प्रस्तुत की जाएगी।

(4) नियम 7 के उपनियम (2) के खंड (च) के अधीन अनुज्ञप्ति धारी द्वारा प्रस्तुत की गई खोज संचालन और उत्पादन संचालन से संबंधित सभी सुसंगत डाटा, रिपोर्ट, नमूने और अन्य सुसंगत जानकारी और नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (प) के अधीन पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मुख्य हाइड्रोग्राफर, भारत सरकार को प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

38. **संक्रिया संबंधी अधिकारों से संबंधित रजिस्टर.—** केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त किए गए संक्रिया संबंधी अधिकारों का एक रजिस्टर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 8 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में रखा जाएगा।

39. **नए संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को कतिपय जानकारी की आपूर्ति.—** जहां किसी भी क्षेत्र को पहले एक संक्रिया संबंधी अधिकार के अधीन रखा गया है, जिस व्यक्ति को ऐसा संक्रिया संबंधी अधिकार दिया गया था, वह नए संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को सभी योजनाओं की मूल या प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगा, जिसमें उस क्षेत्र में परित्यक्त कार्य शामिल हैं।

40. **नाम बदलना, राष्ट्रीयता, आदि सूचित किया जाना.—** (1) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार प्रशासनिक प्राधिकारी को साठ दिनों की अवधि के भीतर किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा जो उसके नाम, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और बहुमत स्वामियों के विवरण या प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत अन्य विशिष्टियों में हो सकेगा।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार उपनियम (1) में निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो केन्द्रीय सरकार पांच लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा और उपनियम (1) के उपबंधों के निरंतर उल्लंघन के मामले में केन्द्रीय सरकार परिचालन अधिकार को समाप्त कर सकेगी और संपादन प्रतिभूति को जब्त कर सकेगी:

परन्तु, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति धारी या पट्टेदार को अपना मामला बताने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

41. **बहुमत स्वामित्व या नियंत्रण में परिवर्तन.—** (1) बहुमत स्वामित्व में कोई परिवर्तन या पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में परिवर्तन केवल प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

(2) पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी प्रशासनिक प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें विद्यमान शेयरधारिता पैटर्न, बहुसंख्यक स्वामित्व या नियंत्रण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बना शेयरधारिता पैटर्न आने वाले स्वामी का निम्नलिखित विवरण, सम्मिलित होगा, अर्थात्:—

(क) स्थायी खाता संख्या या कर कटौती और संग्रह खाता संख्या;

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कार्यालय का पता; तथा

(ग) कॉरपोरेट निकायों के मामले में निगमन प्रमाण पत्र और संवैधानिक दस्तावेजों की प्रति।

(3) पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन, नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन पर अपने निर्णय से अवगत कराएगा।

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "नियंत्रण" पद से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (27) में दिया गया पद अभिप्रेत है।

42. भूभौतिकीय डाटा आदि प्रस्तुत करना.— (1) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:—

(क) महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को गवेषण या उत्पादन या इंजीनियरिंग सर्वेक्षणों जैसे विसंगति मानचित्र, अनुभाग, योजनाएं, संरचनाएं, समोच्च मानचित्र, गवेषण संचालन या उत्पादन संचालन के दौरान उसके द्वारा एकत्रित लॉगिंग से संबंधित सभी भूभौतिकीय डाटा;

(ख) निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय को गवेषण और अनुसंधान के लिए गवेषण संचालन या उत्पादन संचालन के दौरान उसके द्वारा खोजे गए और संग्रहीत परमाणु खनिजों की आकस्मिक जांच से संबंधित सभी जानकारी, और जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट डाटा या जानकारी प्रत्येक वर्ष संक्रिया संबंधी अधिकार की अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से दी जाएगी।

43. खोज डाटा का स्वामित्व और गोपनीयता.— (1) गवेषण संक्रिया या उत्पादन संक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त सभी डाटा, जिसमें गवेषण या उत्पादन या इंजीनियरिंग सर्वेक्षणों से संबंधित सभी भूभौतिकीय डाटा शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसे कि विसंगति मानचित्र, अनुभाग, योजनाएं, संरचनाएं, समोच्च मानचित्र, लॉगिंग, रिपोर्ट, नमूने, ऐसे नमूनों की मात्रा से संबंधित डाटा सहित, जो निष्कर्षित और निकाले गए हैं, केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति होगी:

परन्तु अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित ऐसा अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या अभिकरण, यथास्थिति, ऐसे गवेषण कार्यों या उत्पादन कार्यों के उद्देश्य से, ऐसे डाटा का निःशुल्क उपयोग कर सकेगा।

(2) नियम 7 के उपनियम (2) के खंड (च) के अधीन रिपोर्टें प्रस्तुत करते समय, अनुज्ञप्तिधारी यह निर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और डाटा का पूरा या कोई हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित प्राधिकारी तब प्रस्तुत रिपोर्टों और डाटा के ऐसे हिस्से को गोपनीय रखेंगे, जैसा वे ठीक समझें:

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों का स्वयं के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादन पट्टे के लिए प्रस्तुत आवेदन केन्द्रीय सरकार के पर्यवसान द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या संयुक्त अनुज्ञप्ति के पर्यवसान या समाप्ति पर या अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम

18 के उपनियम (7) के पहले परन्तुक के अनुसार संचालन का परित्याग या अतिरिक्त क्षेत्र का अर्पण पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टें और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे।

(3) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (प) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, पट्टेदार यह निर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और डाटा का पूरा या कोई हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी इसके पश्चात् प्रस्तुत रिपोर्टों और डाटा के ऐसे हिस्से को गोपनीय रखेंगे जैसा कि वह ठीक समझे:

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टें और डाटा का स्वयं के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह और कि, उत्पादन पट्टे के पर्यवसान या समाप्ति या अर्पण या परित्याग पर, उक्त पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टें और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे।

44. **नए खनिजों की खोज.**— (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, गवेषण संक्रिया या उत्पादन संक्रिया निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्:—

(क) यदि पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी पट्टे के क्षेत्र या अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी भी खनिज (किसी भी परमाणु खनिज सहित) की खोज करता है जो उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसे खनिज की खोज की सूचना प्रशासनिक प्राधिकारी को या किसी भी परमाणु खनिज के मामले में निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय और परमाणु ऊर्जा विभाग को, जितनी जल्दी संभव हो, दी जाएगी, लेकिन यह अवधि किसी भी मामले में ऐसे खनिज की खोज की तारीख से साठ दिनों की अवधि के पश्चात् नहीं होगी:

परन्तु ऐसी रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी खंड (ख) के अधीन रहते हुए, खंड (क) में निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी को ऐसे नए खोजे गए खनिज को उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकेगा और संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन ऐसे खनिज को, उन खनिजों को छोड़कर, जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, यथास्थिति, उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा;

परन्तु यह और कि प्रशासनिक प्राधिकारी, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे में ऐसे नए खोजे गए खनिज को शामिल करने का अनुमोदन करने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा;

(ख) पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले किसी भी परमाणु खनिज को निष्कर्षित नहीं करेगा और उसका निपटान नहीं करेगा, और इसे अधिनियम की धारा 6 के पहले परन्तुक के अनुसार व्यवहार किया जाएगा:

परन्तु यदि पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी सरकार या सरकारी कंपनी या निगम है, तो उक्त पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी, परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले परमाणु खनिज की खोज पर, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जिसमें उसके अधीन बनाए गए नियम शामिल हैं, ऐसे खनिजों को संभालने के लिए एक पट्टा या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से परमाणु ऊर्जा विभाग को आवेदन करेगा और परमाणु ऊर्जा विभाग, यथास्थिति, उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के किसी भी मुद्दे के बारे में प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचित करेगा;

(ग) ऐसे गवेषण संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं से आनुषंगिक वसूल किए गए परमाणु खनिजों की मात्रा को पृथक् एकत्र और संग्रहीत किया जाएगा और इस प्रभाव की एक रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा विभाग और निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय को प्रत्येक तीन माह में पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी जैसा कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निदेशित किया जाए।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार, यदि, यथास्थिति, गवेषण संक्रिया या उत्पादन संक्रिया के दौरान अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र में खनिज तेल के किसी भी रूप, अर्थात्, तेल, गैस, गैस हाइड्रेट, तेल रेत या कोई अन्य हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के संकेतों को प्राप्त करता है तो ऐसे संकेत की तारीख से साठ दिनों की अवधि के

भीतर प्रशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो बदले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचना देगा।

45. **आनुषंगिक खनिज निष्कर्षण.—** (1) इन नियमों या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जिसके संक्रिया या क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप आनुषंगिक खनिज निष्कर्षण हो सकता है; वह—

(क) ऐसे किसी भी संक्रिया या क्रियाकलापों के आरंभ होने से तीस दिन पहले प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देगा;

(ख) अपने प्राधिकृत क्षेत्र से किसी भी खनिज को हटाने या उपभोग करने से पहले प्रशासनिक प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परन्तु यदि बंदरगाहों के रखरखाव या किसी अवसंरचना की स्थापना या ऐसी किसी गतिविधि के उद्देश्य से किसी खनिज को हटाया जाता है और इस प्रकार हटाए गए खनिज को बेचा या उपभोग नहीं किया जा रहा है तो किसी अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के खंड (ए) के अधीन सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:—

(क) अवसंरचना परियोजना या किए जाने वाले अन्य कार्यों का नाम और ऐसी परियोजनाओं या कार्यों के प्रारंभ होने की तारीख और उनकी अवधि; तथा

(ख) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य आदेश या रियायत करार की प्रति।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:—

(क) अवसंरचना परियोजना या किए जाने वाले अन्य कार्यों की प्रकृति से संबंधित विवरण और ऐसी परियोजनाओं या कार्यों के आरंभ होने की तारीख और उसकी अवधि;

(ख) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य आदेश या रियायत करार की प्रति;

(ग) प्रस्तावित मात्रा और खनिज जिसके लिए ऐसा आवेदन किया जा रहा है;

(घ) अपने प्राधिकृत क्षेत्र से किसी भी खनिज को हटाने या उपभोग के लिए प्रस्तावित योजना; तथा

(ङ) ऐसे खनिज की संरचना पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित प्रयोगशाला की रिपोर्ट।

(4) आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो वह विनिर्दिष्ट करे ऐसे खनिज को हटाने या उपभोग के लिए अपना अनुमोदन दे सकेगा:

परन्तु प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसी अतिरिक्त जानकारी या डाटा की मांग कर सकेगा, जो अपेक्षित हो, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग से अनापत्ति शामिल है।

(5) यदि यह पाया जाता है कि आनुषंगिक खनिज निष्कर्षण के अनुसार निष्कर्षित खनिज में कोई परमाणु खनिज है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे खनिजों को हटाने या उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इसे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निदेशित रीति से व्यवहार किया जाएगा।

(6) आनुषंगिक खनिज निष्कर्षण के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति द्वारा हटाया गया या उपभोग किया गया कोई भी खनिज प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लागू स्वामित्व के भुगतान के अधीन होगा:

परन्तु बंदरगाहों के रखरखाव या किसी अवसंरचना की स्थापना या ऐसी किसी गतिविधि के उद्देश्य से किसी भी खनिज को हटाने के मामले में कोई स्वामित्व देय नहीं होगी और इस प्रकार हटाए गए खनिज को बेचा या उपभोग नहीं किया जा रहा है।

- (7) केन्द्रीय सरकार को हर समय आनुपंगिक खनिज निष्कर्षण के अनुसार निष्कर्षित किए गए खनिजों के पूर्व-क्रय का अधिकार होगा।
46. **एक क्षेत्र में एक से अधिक खनिज के लिए पट्टा अवधि.**— जहां नीलामी के माध्यम से दिए गए क्षेत्र में एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं, सभी खनिजों के लिए उत्पादन पट्टे की अवधि उस के साथ सह-विस्तारी होगी जिसके लिए उत्पादन पट्टा मूल रूप से दिया गया था।
47. **सार्वजनिक अवकाश पर किसी भी अपेक्षा को पूरा करना.**— जब इन नियमों के अधीन किसी भी अपेक्षा को पूरा करने का दिन सार्वजनिक अवकाश पर शोध्य हो रहा है, तो पूरा होने का दिन अगले कार्य दिवस पर शोध्य समझा जाएगा।
- स्पष्टीकरण*— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'सार्वजनिक अवकाश' पद में शनिवार, रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया कोई अन्य दिन सम्मिलित है।
48. **समुद्र के स्तर के नीचे सीमाएं.**— एक संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की सीमाओं को देशांतर और अक्षांशों द्वारा इंगित किया जाएगा और वे पृथ्वी के केंद्र की ओर समुद्र की सतह के नीचे लंबवत अधोगामी होंगी।
49. **विवाद समाधान का स्थान.**— नई दिल्ली में न्यायालयों को अधिनियम के अधीन अनुदत्त किए गए किसी भी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर अनन्य अधिकारिता होगी।

प्ररूप 1

[नियम 7(1) देखें]

खोज अनुज्ञप्ति

यह संयुक्त अनुज्ञप्ति ("अनुज्ञप्ति") की खोज अनुज्ञप्ति का विलेख निम्नलिखित के द्वारा और उनके बीच बनाया गया है:

पक्षकार:

1. **भारत के राष्ट्रपति, खान मंत्रालय ("केन्द्रीय सरकार")** के माध्यम से कार्य करते हुए, जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

और

2. **[अनुज्ञप्तिधारी का नाम]** कारपोरेट पहचान संख्या [सीआईएन] के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में निगमित, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [मूल कारबार का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न है] या [एक व्यक्ति जो आयकर स्थायी खाता संख्या [संख्या] वाला भारत का नागरिक है, [पता] पर रहता है या जो [फर्म/व्यक्तियों के संघ] के नाम पर [फर्म/ व्यक्तियों के संघ] के रूप में संगठित अनुसूची क में सूचीबद्ध, जो सभी भारतीय नागरिक हैं और भारत में रहते हैं ("अनुज्ञप्तिधारी")।

पृष्ठभूमि:

क. अनुज्ञप्तिधारी ने अनुसूची ख में अधिक विशिष्ट रूप से यथावर्णित संयुक्त अनुज्ञप्ति [अनुज्ञप्ति क्षेत्र का विवरण अंतःस्थापित करें] प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लिया था, जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्र हो गया है और अनुज्ञप्तिधारी ने संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

ख. तदनुसार, केन्द्रीय सरकार, इसमें इसके पश्चात् आरक्षित और अब अनुज्ञप्ति भाग के लिए भुगतान, पालन और निष्पादित किए जाने वाले शुल्क, स्वामित्व, प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफल में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए इस विलेख को निष्पादित कर रही है।

1. परिभाषाएं

इस अनुज्ञप्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिया गया है।

2. अनुज्ञप्ति प्रदान करना

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित खनिजों:— [खनिजों का नाम] ("खनिज") के संबंध में विधिवत निष्पादित अनुज्ञप्ति विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होकर, 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए खोज कार्य करने के लिए अनुसूची ख ("अनुज्ञप्ति क्षेत्र") में वर्णित क्षेत्र पर अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करती है।

3. अधिकार और दायित्व

3.1. केन्द्रीय सरकार और अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार और दायित्व, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट होंगे जिसके अंतर्गत बिना किसी सीमा के, अपतट क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 सम्मिलित हैं।

3.2. पूर्वोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) अनुज्ञप्तिधारी को—

(i) प्रत्येक समय अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और किसी भी अन्य लागू विधि के उपबंधों का अनुपालन करना;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित स्वामित्व और किसी भी शुल्क या अन्य भुगतान का शीघ्र भुगतान करना;

(iii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई क्षति, चोट या विघ्न के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार मुआवजा देना और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसी किसी क्षति, चोट या विघ्न तथा उससे संबंधित सभी लागतों और खर्चों के संबंध में किए गए सभी दावों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार और प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति देना और क्षतिपूर्ति प्रदान करना;

(iv) खोज कार्यों से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करना, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित हो सकते हैं;

(v) इस अनुज्ञप्ति के अधीन परिचालन के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरा हो सकता है बिना किसी देरी के महानिदेशालय, महानिदेशक, पोतपरिवहन, भारतीय तटरक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशालय प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को अग्रेषित करना;

(vi) अनुज्ञप्ति क्षेत्र से प्राप्त सभी खनिजों को तौलना या मापना, या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के किसी भाग पर तौलना या माप करवाना, प्रत्येक ऐसे तौलने या माप के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को [सात दिन] की लिखित सूचना देना जिससे वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति वहां उपस्थित हो सके;

(vii) इस अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान करें;

(viii) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करना तथा इस विलेख में विविनिर्दिष्ट खनिज के लिए खोज कार्य करना;

(ix) खोज कार्यों को उचित, कुशल या कारीगर की तरह चलाना,

(x) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, जिसके अधिनियम की धारा 19क के अधीन बनाए गए नियम तथा उसके अधीन जारी किए गए निर्देश और अधिनियम की धारा 21 के अधीन का अनुपालन करना, सम्मिलित हैं;

(xi) निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अर्थात्:—

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कार्य की तिमाही रिपोर्ट जिसमें लगे हुए व्यक्तियों की संख्या बताई गई हो और अवधि के दौरान एकत्र किए गए भूवैज्ञानिक,

भूभौतिकीय या अन्य डेटा को प्रकट किया हो। रिपोर्ट संबंधित तिमाही के समापन के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कार्य के पूरे व्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट तथा इस अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए कार्यों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों की रिपोर्ट अर्जित सभी जानकारी को प्रकट करना।

रिपोर्ट भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जैसा कि विविनिर्दिष्ट किया जाए उस वर्ष की समाप्ति के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिससे यह संबंधित है:

परन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि इस उप-खंड के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और डाटा का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी प्रस्तुत रिपोर्ट और डेटा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा कि उचित समझा जाए:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों को अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादन पट्टे के लिए प्रस्तुत आवेदन केन्द्रीय सरकार के पर्यवसान द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या संयुक्त अनुज्ञप्ति के पर्यवसान या समाप्ति पर या अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उपनियम (7) के पहले परन्तुक के अनुसार संचालन का परित्याग या अतिरिक्त क्षेत्र का अर्पण पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे

(xii) संपादन प्रतिभूति को वापस करने या किसी अन्य खाते में अंतरित करने से पूर्व किसी भी समय, या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पर्यवसान या खोज कार्यों को छोड़ने, या अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उप-नियम (7) के पहले परन्तुक के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र को समर्पित करने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा और अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के बारे में इस अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए खोज कार्यों के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी जानकारी को प्रकट करेगा:

परन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रिपोर्ट और डेटा को या उसके किसी भाग को गोपनीय रखा जाएगा और तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार प्रस्तुत रिपोर्ट और डेटा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेगी, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादन पट्टे के लिए प्रस्तुत आवेदन केन्द्रीय सरकार के पर्यवसान द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या संयुक्त अनुज्ञप्ति के पर्यवसान या समाप्ति पर या अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के नियम 18 के उपनियम (7) के पहले परन्तुक के अनुसार संचालन का परित्याग या अतिरिक्त क्षेत्र का अर्पण पर उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों और डाटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे;

(xiii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रयोजन के लिए लगाए गए उपस्कर या जलयान इस प्रकार चिह्नित, सुसज्जित और प्रकाशित हों कि पोत परिवहन के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो;

(xiv) यह सुनिश्चित करना कि पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग में किसी मार्गाधिकार में कोई हस्तक्षेप न किया जाए;

(xv) अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर खोज कार्यों से उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्ट सहित ठोस या तरल अपशिष्ट का व्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उचित कदम उठाना और उपाय करना;

(xvi) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री अभयारण्यों या किसी अन्य क्षेत्र सहित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण से संबंधित उपाय करना, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(xvii) किसी दूरसंचार केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन, तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइन, पानी के नीचे स्थित पुरातात्विक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान या किसी सार्वजनिक क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी स्थान पर कोई खोज कार्य नहीं करना या करने की अनुमति नहीं देना, सिवाय सक्षम प्राधिकारी और प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी सुसंगत पोत, संरचना या प्रतिष्ठान के बाहरी किनारे से, जैसा लागू हो, मापी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार—

(i) सभी समयों पर अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को उन सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने की स्वतंत्रता देने या देने का अधिकार होगा, जिनके लिए अधिकार और अनुज्ञप्ति पर स्पष्ट रूप से प्रदत्त किए गए हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में, उसके ऊपर या उसके माध्यम से ऐसे जलयानों, उपस्करों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और अन्य ऐसे उपकरणों को नियोजित करना सम्मिलित है, जिन्हें किसी भी प्रयोजनों के लिए आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, और अनुज्ञप्ति से ऐसे पत्थर, भूमि या अन्य सामग्री प्राप्त करना जो ऐसे जलयानों, उपस्करों, प्लेटफार्मों पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और अन्य ऐसे उपकरणों की तैनाती, मरम्मत या रखरखाव के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो सकते हैं, सभी प्रयोजनों के लिए और अवसर के रूप में ऐसे क्षेत्र से हर समय दोबारा गुजरने के लिए अपेक्षित होगा;

(ii) ऐसे संपादन प्रतिभूति और कारण की शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी संपादन प्रतिभूति को विनियोजित करने का अधिकार होगा। अनुज्ञप्तिधारी को संपादन प्रतिभूति की भरपाई करनी अपेक्षित होगी। यदि संपादन प्रतिभूति, प्रतिभूति निक्षेप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, ऐसी दशा में अनुज्ञप्ति की समाप्ति और अनुज्ञप्तिधारी के सभी दायित्वों के निर्वहन के बाद, यह प्रतिभूति निक्षेप समुचित कटौतियों के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारक को वापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति निक्षेप पर कोई व्याज नहीं लगेगा;

(iii) किसी ऐसे कार्य या मामलों को करने या निष्पादित करने का अधिकार होगा, जो उस संबंध में अनुबंधों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने हैं, किंतु उस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया है और अनुज्ञप्तिधारी मांग पर केन्द्रीय सरकार को उन सभी खर्चों का भुगतान करेगा जो इसके कार्यान्वयन या प्रदर्शन में खर्च होंगे।

(iv) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या अपनी ओर से किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने और उस पर अधिकार करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी और (i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज करने, खोदने, निकालने और ले जाने के लिए, (ii) अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उपकेंद्रों को लगाने या उनका रखरखाव करने, उनकी

मरम्मत करने या उन्हें बदलने के लिए; (iii) इन प्रयोजनों के लिए या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसे संयंत्र, स्थापनों, पाइपलाइन, केबल, जलमार्ग, इंजन, मशीनरी और सुविधाओं को स्थापित करने, चलाने, खड़ा करने, निर्माण करने, रखरखाव करने और उपयोग करने के लिए जिन्हें आवश्यक समझा जाए:

परन्तु ऐसी शक्ति के प्रयोग में इन सम्प्रतियों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों में कोई पर्याप्त बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है या असहमति की स्थिति में प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जा सकता है और उचित मुआवजों का भुगतान किया जाएगा—

(i) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण अनुज्ञप्तिधारी को हुई किसी हानि या क्षति के लिए,

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को हुई किसी हानि या क्षति के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए, और

(v) सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदार या ऑपरेटर को उक्त क्षेत्रों में प्रवेश करने और सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदार या ऑपरेटर द्वारा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के प्रयोजनों के लिए पाइपलाइन बिछाने या पंपिंग स्टेशन स्थापित करने की शक्ति प्रदान करने और हस्तांतरित करने की शक्ति होगी, और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अधीन सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रचालक या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी भी पेट्रोलियम प्रचालक द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे अन्य प्रचालनों में बाधा या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करे।

3.3 यदि केन्द्रीय सरकार किसी भी खनिज के संबंध में, अपने अग्रक्रय अधिकार का प्रयोग करने की इच्छुक है, केन्द्रीय सरकार अग्रक्रय के समय विद्यमान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित खनिजों का औसत विक्रय कीमत अदा करेगी।

3.4 युद्ध या आपातकाल की स्थिति के अस्तित्व की घटना (जिसका अस्तित्व भारत के राष्ट्रपति एकमात्र न्यायाधीश होंगे और इस आशय की अधिसूचना भारत के राजपत्र विनिश्चयायक सबूत होगा) केन्द्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान एक बार (अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में नोटिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला) अधिकार होगा कि वह अनुज्ञप्ति क्षेत्र में या इसके अधीन प्रचालनों के संबंध में अनुज्ञप्ति के जलयानों, स्थापनों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस्करों और परिसरों को तुरन्त अपने कब्जे में ले ले और नियंत्रण कर ले और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे जलयानों, स्थापनों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, संयंत्रों, मशीनों, उपस्करों परिसरों और खनिजों के उपयोग, नियोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करेगा, परन्तु उचित मुआवजा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में अवधारित किया जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके परिणामस्वरूप उसे हुई सभी हानि या क्षति के लिए दिया जाएगा और परन्तु यह भी कि ऐसी शक्ति का प्रयोग दी गई उक्त अवधि या इस खंड के नियमों और उपबंधों के पश्चात् समाप्त नहीं होगा।

3.5. अनुज्ञप्तिधारी को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी तथा ऐसे नामांकन की सूचना लिखित रूप में प्रशासनिक प्राधिकारी को दी जाएगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में दर्शाए गए पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर जिसे अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट करे, भेजा जाएगा तथा ऐसी प्रत्येक सेवा अनुज्ञप्तिधारी को उचित तथा वैध सेवा मानी जाएगी तथा उसके द्वारा उस पर प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे या उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

3.6. यदि किसी भी घटना में प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेशों को अपतट क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 के अधीन कार्यवाही के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षित, समीक्षा या रद्द किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी इन उपबंधों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकार के प्रयोग में अनुज्ञप्तिधारी को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

4. अपरिहार्य घटना

4.1 इस खंड में "अपरिहार्य घटना" से दैवीय कार्य, युद्ध, विद्रोह, नागरिक उपद्रव, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वार की लहर, बाढ़, बिजली, विस्फोट, आग या कोई अन्य घटना अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञप्तिधारी उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता।

4.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफलता से केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई दावा नहीं मिलेगा या इस अनुज्ञप्ति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी विफलता को किसी अपरिहार्य घटना से उत्पन्न माना जाता है और यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त को पूरा करने में अपरिहार्य घटना से देरी होती है, तो ऐसी देरी की अवधि इस अनुज्ञप्ति द्वारा निर्धारित अवधि में जोड़ दी जाएगी।

4.3 किसी भी रीति से, जो कोई भी हो, किसी अपरिहार्य घटना का घटित होना या अस्तित्व में होना अनुज्ञप्तिधारी को इससे संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगी।

5. शासित विधि

इस अनुज्ञप्ति और इसके निर्वचन के सभी प्रश्नों को भारत की विधि के अनुसार समझा जाएगा। अधिनियम की धारा 28 में निहित उपबंधों के अधीन, नई दिल्ली स्थित न्यायालय को इस विलेख के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

जिसके साक्ष्य में [स्थान का नाम] पर [तारीख] को विलेख निष्पादित किए गए हैं।

अनुसूची क

व्यक्तियों की सूची*

क्र. सं.	नाम	पीएएन नंबर	पता

* यदि अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों का संगम नहीं है तो उसे हटा दिया जाए।

अनुसूची ख

खोज अनुज्ञप्ति का क्षेत्र

(अपतट क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अध्वांश और देशांतर भी है, का विवरण प्रदान करें।)

प्ररूप 2

[नियम 8(1) (ख) देखें]

उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा आवेदन करने का प्ररूप

सेवा में

[पता]

मैं/हम अनुरोध करते हैं कि इन नियमों के अधीन मुझे/हमें उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया जाए।

क्र. सं. (1)	मद के ब्यौरे (2)	विशिष्टियां (3)
1.	पता सहित आवेदक का नाम (किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, फर्म या यथा स्थिति संगम व्यक्तियों का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम प्रदान करें)	
2.	आवेदक का पता (किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, फर्म या यथा स्थिति व्यक्तियों के संगम, का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पता प्रदान करें)	
3.	आवेदक की प्रास्थिति • व्यक्ति • फर्म • व्यक्तियों के अन्य संगम • कंपनी	
4.	संयुक्त अनुज्ञप्ति संख्या	
5.	संयुक्त अनुज्ञप्ति के खोज अनुज्ञप्ति विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और समाप्ति की तारीख	
6.	देय आवेदन फीस (प्रति मानक ब्लॉक पांच लाख रुपये की दर से गणना की जाएगी)	
7.	तारीख के साथ बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, जिसके माध्यम से आवेदन फीस संदत्त की गई है।	
8.	खनिज(जों) जिसके/जिनके लिए उत्पादन पट्टे का आवेदन किया जा रहा है	
9.	क्षेत्र का विस्तार जिसके लिए उत्पादन पट्टा अपेक्षित है [अनुज्ञप्ति क्षेत्र में सम्मिलित मानक ब्लॉकों की संख्या तथा उत्पादन पट्टे के अधीन आने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के सीमा निर्देशांक]	हां/नहीं
10.	क्षेत्र के भू-निर्देशांक	
11.	एनएचओ चार्ट संख्या	
12.	किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति या पट्टा, जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा परियोजना, या आवेदन किए गए क्षेत्र में विद्यमान पत्तन, केबल, पाइपलाइन जैसी कोई अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं भी हैं, की विशिष्टियां।	
13.	क्या आवेदन के किया गया क्षेत्र किसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या समुद्री अभयारण्य या अन्य संरक्षित क्षेत्र जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए का भाग है।	हां/नहीं
14.	यदि हां, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या समुद्री अभयारण्य या अन्य संरक्षित क्षेत्र जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, का मानचित्र संलग्न करें, जिसमें आवेदन के अधीन क्षेत्र को चिह्नित किया गया हो। यदि ऐसा मानचित्र उपलब्ध नहीं है, तो क्षेत्र की सभी विशेषताओं को दर्शाते हुए पैमाने पर खींची गई योजना का रूपरेखा पर क्षेत्र को चिह्नित किया जाना चाहिए।	

15.	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 13क के उपबंधों के अधीन, अपतट क्षेत्रों में खनिज-वार क्षेत्र की विशिष्टियां जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से- (क) उत्पादन पट्टा के अधीन पहले से ही धारक है; (ख) उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन किया है, किंतु अनुदत्त नहीं किया गया है; और (ग) उत्पादन पट्टे के लिए साथ-साथ आवेदन किया जा रहा है।	
16.	क्या आवेदक ने संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन धारित क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रियाएं की हैं और अपतट क्षेत्र (खनिज संसाधन की विद्यमानता) नियम, 2024 के अनुरूप भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की है?	हां/नहीं
17.	क्या भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्रति आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न की गई है?	हां/नहीं
18.	क्या आवेदक ने संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया है?	हां/नहीं
19.	क्या आवेदक अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र हो गया है?	हां/नहीं
20.	क्या आवेदक ने अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदन किया है?	हां/नहीं
21.	क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए दोष सिद्ध किया गया है?	हां/नहीं

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर प्रस्तुत की गई विशिष्टियां सही हैं और कोई अन्य ब्यौरे जिसके अंतर्गत सही योजनाएं और अग्रिम संदाय की पहली किस्त, जो आपके द्वारा अपेक्षित है, भी है, प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं/हैं।

भवदीय

तारीख:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदकों के लिए अनुदेश:

(क) आवेदक को आवेदन के साथ प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में शोधों का संदाय, जैसे स्वामित्व नियत किराया और देय अन्य संदाय को अधिनियम या तकीन बनाए गए नियमों के अधीन या विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:

परन्तु यदि आवेदक कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम है तो ऐसा प्रमाण पत्र फर्म के सभी भागीदारों या, यथास्थिति, व्यक्तियों के संगम के सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां किसी व्यक्ति ने प्रशासनिक प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह वर्णित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वह संयुक्त अनुज्ञप्ति सेमित्र कोई अन्य संक्रिया संबंधी अधिकार धारित नहीं करता है और न ही करता था, तो उसके लिए उक्त विधिमान्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुदान से ऐसे प्रमाण पत्र के धारक को किन्हीं शोधों के संदाय के दायित्व से, जो तत्पश्चात् अधिनियम या तकीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा देय पाए जाए निमुक्ति।

- (ख) यदि आवेदक कोई कंपनी है, तो आवेदक के सम्यकरूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगी। यदि आवेदक कोई व्यक्ति है, तो आवेदक को व्यक्तिगत रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि यह फर्म या व्यक्तियों का संगम है, तो फर्म या व्यक्तियों के संगम में सम्मिलित सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (ग) आवेदक (जो एक कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का निगमित प्राधिकरण आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। ऐसे निगमित प्राधिकरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत प्रशासनिक प्राधिकारी को दी जाएगी।

प्ररूप 3

[नियम 8(1)(ख) देखें]

उत्पादन पट्टे का प्ररूप

उत्पादन पट्टे ("पट्टा") के अनुदान के लिए यह विलेख निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच बनाया गया है:

पक्षकार:

1. भारत के राष्ट्रपति, खान मंत्रालय ("केन्द्रीय सरकार") के माध्यम से कार्य करते हुए, जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया है।
और
2. [पट्टेदार का नाम] भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित, जिसकी निगम पहचान संख्या [सीआईएन] है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता] भारत में है और कारोबार का मुख्य स्थान [कारोबार के मुख्य स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न है] या [कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर संबंधी स्थायी खाता संख्या [संख्या] है, जो [पता] पर निवास करता है या [अनुसूची 'क' में सूचीबद्ध व्यक्ति जो [फर्म या व्यक्तियों के संगम का नाम] के नाम पर [फर्म/व्यक्तियों के संगम] के रूप में संगठित हैं, सभी भारतीय नागरिक हैं और भारत के निवासी हैं] ("पट्टेदार")।

पृष्ठभूमि:

- क. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और तकीन बनाए गए नियमों के अधीन उत्पादन पट्टे के अनुदत्त के लिए पट्टेदार ने [उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लिया था, जिसके अनुसरण में पट्टेदार उत्पादन पट्टे के अनुदान का पात्र हो गया है] या [संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में भाग लिया था, जिसके अनुसरण में उसने/इसने खोज संबंधी संक्रियाओं को पूर्ण कर लिया है और उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए पात्र हो गया है]
- ख. तदनुसार, केन्द्रीय सरकार अब पट्टेदार की ओर से संदाय, संप्रेक्षित और निष्पादित किए जाने के लिए तत्पश्चात आरक्षित और अंतर्विष्ट फीस, स्वामित्व, प्रसंविदाओं और करारों के फलस्वरूप पट्टेदार को पट्टे के अनुदान के लिए इस विलेख को निष्पादित कर रही है।

1. परिभाषाएं

इस पट्टे में प्रयुक्त पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और तकीन बनाए गए नियमों में उनके लिए आरोपित है।

2. पट्टे का अनुदान.

- 2.1. केन्द्रीय सरकार पट्टेदार को अनुसूची ख ("पट्टा क्षेत्र") में वर्णित क्षेत्र में 50 (पचास) वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन संबंधी संक्रियाएं संचालित करने के लिए पट्टे का अनुदान करती है, जो निम्नलिखित खनिज(जों) के संबंध में सम्यक रूप से निष्पादित उत्पादन पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकृत होने की तारीख से आरंभ होगा: - [खनिजों का नाम] ("खनिज")।
- 2.2. पट्टा, पट्टा क्षेत्र में या उसके अधीन स्थित, पड़े या मौजूद सभी खनिजों के भंडारों के संबंध में होगा।

- 2.3. इस शर्त के अधीन कि पट्टेदार स्वामित्व का संदाय करेगा तथा अन्य अपेक्षित संदाय करेगा और पट्टेदार की ओर से उनका संप्रेक्षित और निष्पादित किए जाने वाले इसमें अंतर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं और करारों का संप्रेक्षण और संपादन करेगा तथा, वह अनुदत्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार या इसके अधीन अधिकारपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कोई विधि विरुद्ध व्यवधान किए बिना पट्टा क्षेत्र के अधिकारों और परिसर को शांतिपूर्वक धारण करेगा तथा उसका आनंद उठाएगा।

3. अधिकार और बाध्यताएं

- 3.1. केन्द्रीय सरकार और पट्टेदार के अधिकार और बाध्यताएं अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट होंगे, जिसके अंतर्गत बिना किसी सीमा के अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 तथा अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार तारीख [तारीख] भी है।

- 3.2. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) पट्टेदार—

- (i) प्रत्येक समय अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य लागू विधि के उपबंधों का अनुपालन करेगा;
- (ii) पट्टेदार द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित स्वामित्व और किसी भी प्रभार या अन्य संदाय का शीघ्र संदाय करेगा;
- (iii) पट्टेदार द्वारा की गई क्षति, चोट या व्यवधान के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार प्रतिकर देगा तथा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी भी ऐसी क्षति, चोट या व्यवधान तथा उससे संबंधित सभी लागतों और व्ययों के संबंध में किए जाने वाले सभी दावों से केन्द्रीय सरकार और प्रशासनिक प्राधिकारी की क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूरित रखेगा;
- (iv) उत्पादन संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा तथा उपाय करेगा, जिसके अंतर्गत कोई अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए भी हैं;
- (v) बिना विलम्ब के पोत परिवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक दल, खान सुरक्षा महानिदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी तथा किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को मृत्यु कारित करने वाली या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन या संपत्ति पर गंभीर रूप से प्रभाव डालने या संकटापन्न करने वाली ऐसी किसी दुर्घटना जो इस पट्टे के अधीन किसी संबंधी संक्रिया के अनुक्रम में घटित हो, की रिपोर्ट अग्रेषित करेगा;
- (vi) पट्टा क्षेत्र से उत्पादित और प्रेषित सभी खनिजों को तौलेगा या मापेगा, या पट्टा क्षेत्र के किसी भाग पर तौल या माप करवाएगा, ऐसी प्रत्येक तौल या माप के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी तथा भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी को लिखित में [सात दिन] पूर्व सूचना देगा, ताकि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति वहां उपस्थित हो सके;
- (vii) ऐसे स्टॉप शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण प्रभार का संदाय करेगा जो इस विलेख के संबंध में लागू किए जाए;
- (viii) पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करेगा तथा अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इस विलेख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्पादन संबंधी संक्रियाएं कराएगा;
- (ix) अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों का पालन करेगा, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 19 के अधीन बनाए गए नियम और अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी किए गए निदेश भी हैं;
- (x) उनकी तैनाती से पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि पट्टेदार या संविदा की गई पोतों और स्थापित किए जाने वाले प्रतिस्थापन जिनको पट्टा क्षेत्र में पट्टेदार या संविदा की गई कंपनियों द्वारा खड़ा किया जाना है को संबंधित नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और फ्लैग ऑफिसर, ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के नौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण से

करवाना होगा और ऐसे निरीक्षण और मंजूरी की सुविधा के लिए पट्टेदार द्वारा उपरोक्त कार्यालयों को एक मास का सुस्पष्ट नोटिस दिया जाएगा;

- (xi) संरक्षित क्षेत्रों में समुद्री पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री अभयारण्यों या किसी अन्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र जों केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण तथा उनके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपाय करेगा;
- (xii) सिवाय, सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के अधीन और उसके अनुसार तथा प्रशासित करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के अधीन और उसके पूर्वानुमोदन के अनुसार किन्हीं दूरसंचार केबलों, अपतट पवन टरबाइन जनरेटरों, अपतट विद्युत उपकेंद्रों, तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइनों, जलमग्न पुरातात्विक स्थलों, रक्षा प्रतिष्ठापनों या किसी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी समय किन्हीं उत्पादन संबंधी संक्रियाओं को नहीं करेगा या करना अनुज्ञात नहीं करेगा तथा पांच सौ मीटर की उक्त दूरी को सुसंगत जलयान, ढांचे या प्रतिष्ठापन, जो लागू हों, के बाहरी किनारे से नापा जाएगा;
- (xiii) निम्न को प्रस्तुत करेगा—

- (क) पट्टेदार द्वारा किए गए कार्य का पूरा विवरण अंतर्विष्ट करते हुए वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनिर्दिष्ट किए जाए को दिए गए पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र में भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में इस पट्टे के अधीन की जाने वाली संबंधी संक्रियाओं के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा अर्जित सभी सूचना के प्रकटन की रिपोर्ट उस वर्ष की समाप्ति जिससे वह संबंधित है के पश्चात् साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ख) कार्य-संपादन प्रतिभूति को वापस करने या किसी अन्य खाते में अंतरित करने से पहले किसी भी समय, या पट्टे के अवसान या समाप्ति या परित्याग या समर्पण, जो भी पहले हो, के पश्चात् तीन मास की कालावधि के भीतर, पट्टेदार द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा, और पट्टा क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में इस पट्टे के अधीन किए गए उत्पादन संबंधी संक्रियाओं के दौरान पट्टेदार द्वारा अर्जित समस्त जानकारी का प्रकटन करेगा:

परन्तु अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, पट्टेदार यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उपर्युक्त खंड 3.2(क) (xiii) के अनुसरण में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और डेटा का पूर्ण या आंशिक भाग गोपनीय रखा जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी प्रस्तुत रिपोर्ट और डेटा के ऐसे भागों को अपने विवेकानुसार गोपनीय रखेंगे:

परन्तु केन्द्रीय सरकार इन गोपनीय रिपोर्टों और डेटा का अपने निजी प्रयोजनों का स्वतंत्रता से उपयोग कर सकेगी:

यह भी है कि पट्टे की या समाप्ति या अवसान या अर्पण या परित्याग, जो भी पहले हो, उक्त पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और डेटा केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति हो जाएगी.

- (xiv) यह सुनिश्चित करेगा कि नौवहन के प्रयोजनों के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग में किसी मार्गाधिकार में कोई हस्तक्षेप न हो;
- (xv) भारतीय तट रक्षक और भारतीय नौसेना सहित प्रशासनिक प्राधिकारी और अन्य संबंधित सरकारी प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए पट्टा क्षेत्र की सीमा को चिह्नित करने वाले सभी नोटिस या फ्लोटर्स या साइनेज या बोया को लगाएगा, बनाए रखना, प्रदर्शित करेगा और उनकी मरम्मत करेगा; तथा
- (xvi) ठोस या तरल अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पट्टाक्षेत्र के भीतर उत्पादन संबंधी संक्रियाओं बेहतर करने या प्रसंस्करण संबंधी संक्रियाओं से उद्भूत परिसंकटभव अपशिष्ट सम्मिलित के क्रमबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उपाय करेगा ;
- (xvii) उचित, कुशल और कारीगरीपूर्ण रीति से कार्य करेगा और उत्पादन संबंधी संक्रियाएं करेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार को—

(i) उन प्रयोजनों जिनके लिए पट्टेदार को संपूर्ण अधिकार और पट्टा अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त किया गया है से भिन्न सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रवेश करने का सभी समय अधिकार होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों चाहे जो भी हो को प्रवेश करने का अधिकार अनुदत्त करने या अधिकार का अंतरण करने का पट्टा क्षेत्र में अधिकार होगा जिसके अंतर्गत बिना किसी सीमा के पट्टा क्षेत्र में अधिकार होगा जिसके अंतर्गत बिना किसी सीमा के पट्टाक्षेत्र में या पट्टा क्षेत्र पर या पट्टा क्षेत्र को छोड़कर ऐसे जलयानों उपस्करों, मंचों, पाइपलाइनों दूरसंचार केंद्रों और अन्य ऐसे साधनों जो वह किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे को तैनात करने का और पट्टाक्षेत्र से ऐसे चट्टान, मृदा अन्य सामग्रियों को अभिप्राप्त करने जो वह आवश्यक समझे या जो ऐसे जलयानों, उपस्करों, मंचों पाइपलाइनों, दूरसंचार केंद्रों और ऐसे अन्य साधनों को तैनात करने, मरम्मत या अनुरक्षित करने के लिए अनिवार्य या आवश्यक समझे सभी प्रयोजनों के लिए और ऐसे अवसर जो अपेक्षा करे पर ऐसे क्षेत्र से गुजरने और पुनः गुजरने का सभी समय पर अधिकार होगा;

(ii) पट्टेदार द्वारा संपादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई गई किसी भी संपादन प्रतिभूति को विनियोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा और पट्टेदार से संपादन प्रतिभूति की पुनः पूर्ति की अपेक्षा का अधिकार होगा। यदि संपादन प्रतिभूति, प्रतिभूति निक्षेप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, ऐसी दशा में पट्टे की समाप्ति और पट्टेदार के सभी दायित्वों के निर्वहन के बाद, यह प्रतिभूति निक्षेप समुचित कटौतियों के पश्चात् पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगा;

(iii) किसी कार्य या मामलों को कराने या निष्पादित कराने का अधिकार प्राप्त हो, जो उस संबंध में प्रसंविदाओं के अनुसार पट्टेदार द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, किंतु उस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा निष्पादित नहीं किए गए हैं और पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को मांग पर उन सभी व्ययों का संदाय करेगा जो इस कार्य या मामले को कराने या संपादन कराने में उपगत किए जाएंगे;

(iv) इस निमित्त किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र में और पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति होगी और (i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज करने, खोदने, निकालने और ले जाने के लिए; (ii) अपतट पवन टरबाइन जनरेटरों, अपतट विद्युत स्टेशनों को लगाने या रख-रखाव करने, मरम्मत करने या बदलने के लिए; (iii) इन प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे संयंत्रों, प्रतिष्ठानों, पाइप लाईन, केबल, जलमार्गों, इंजनों, मशीनों और सुविधाओं को लगाने, चलाने, खड़ा करने, निर्माण करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए, जैसा आवश्यक समझा जाए, प्राधिकृत करने की शक्ति होगी:

परन्तु की ऐसी शक्ति के प्रयोग में इन प्रस्तुतियों के अधीन पट्टेदार के अधिकारों को कोई सारवान रूकावट या हस्तक्षेप कारित नहीं होगा तथा उचित प्रतिकर, जैसा कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक सहमति या असहमति होने पर विनिश्चय किया जाए,—

(i) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा यथास्थिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण पट्टेदार को हुई किसी हानि या क्षति के लिए पट्टेदार को संदत्त किया जाएगा;

(ii) पट्टेदार द्वारा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण ऐसी अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या किसी अन्य व्यक्ति को हुई किसी हानि या क्षति के लिए ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा;

(v) सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या परिचालक को उक्त क्षेत्रों में या पर प्रवेश करने और सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या परिचालक द्वारा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के प्रयोजनों के लिए पाइप लाईन बिछाने या पंपिंग स्टेशन स्थापित करने की शक्ति, प्रदान करने की शक्ति प्रदान और हस्तांतरित करता है और पट्टेदार किसी भी पेट्रोलियम परिचालन या किसी अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी परिचालन या पट्टा क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप

से प्राधिकृत किसी परिचालक द्वारा किए जा रहे या किए जाने वाले किसी अन्य परिचालनों में बाधाओं या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा।

- 3.3. यदि केन्द्रीय सरकार किसी खनिज के संबंध में अपने अग्र क्रय के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छुक है तो केन्द्रीय सरकार अग्र क्रय के समय चल रहे ऐसे खनिजों की औसत विक्रय कीमत का संदाय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित अनुसार संदाय करेगी।
- 3.4. किसी राज्य के युद्ध या आपातकाल की स्थिति में (जिसके विद्यमान होने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकल न्यायाधीश होंगे और भारत के राजपत्र में इस प्रभाव की एक अधिसूचना निर्णायक सबूत होगी) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को हर समय जलयानों, स्थापनों, प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन, संयंत्र, मशीनों, उपस्करों तथा पट्टा क्षेत्र से संबंधित पट्टेदार का परिसर या इस पट्टे के अधीन परिचालन के तुरंत कब्जे और नियंत्रण का अधिकार होगा (पट्टेदार को लिखित में नोटिस द्वारा प्रयोग किया जाएगा) तथा ऐसे कब्जे और नियंत्रण के दौरान केन्द्रीय सरकार के निमित्त ऐसे जलयानों, स्थापनों, प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन, संयंत्र, मशीनों, उपस्करों, परिसरों और खनिजों के नियोजन के उपयोग के लिए पट्टेदार दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन और पालन करेगा, परन्तु उचित प्रतिकर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा करार के व्यतिक्रम में अवधारित किया जाएगा, पट्टेदार को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप या के कारण हुई हानि या क्षति के लिए संदत्त होगा और परन्तु यह भी कि ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रदान किए गए उक्त निबंधन को समाप्त नहीं करेगी या इस खंड के निबंधनों और उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 3.5. पट्टेदार को दिए जाने वाला प्रत्येक अपेक्षित नोटिस पट्टेदार द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति को लिखित में दिया जाएगा तथा ऐसा नामनिर्देशन लिखित में प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है, तब नोटिस पट्टेदार को रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड डाक/ईमेल द्वारा पट्टे के आवेदन में दर्शित पट्टेदार के पते या भारत के अन्य पते पर जैसा पट्टेदार द्वारा अभिहित किया जाए, भेजा जाएगा तथा ऐसी प्रत्येक सेवा पट्टेदार को की गई उचित और विधिमान्य सेवा मानी जाएगी और जिस पर उसके द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या चुनौती नहीं दी जाएगी।
- 3.6. यदि अपतट क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 के अधीन कार्यवाहियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेश को पुनरीक्षित, पुनर्विलोकित या रद्द किया जाता है तो पट्टेदार इन उपहारों द्वारा प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के निर्वहन में पट्टेदार को हुई किसी हानि के लिए, प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

4. अनिवार्य शक्ति

4.1 इस खंड में पद “अनिवार्य शक्ति से” दैवकृत, युद्ध, विद्रोह, दंगा, नागरिक उपद्रव, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वारीय लहर, बाढ़, बिजली गिरना, विस्फोट, अग्नि या कोई अन्य घटना अभिप्रेत है जिसे पट्टेदार युक्तियुक्त रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता।

4.2 इस पट्टे के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पूर्ण करने में पट्टेदार के पक्ष पर असफलता, केन्द्रीय सरकार को पट्टेदार के विरुद्ध कोई दावा नहीं देती है या इसे इस पट्टे का वचन भंग नहीं माना जाएगा, अनिवार्य शक्ति से उभरने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी असफलता पर विचार किया जाता है तथा यदि इस पट्टे के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को पट्टेदार द्वारा पूर्ण करने में अनिवार्य शक्ति के कारण विलंब होता है तो ऐसे विलंब की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा।

4.3 प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, किसी अनिवार्य शक्ति के होने पर या के विद्यमान होने से संबंधित या उद्भूत किसी हानि के संबंध में पट्टेदार के लिए दायी नहीं होगी।

5. शासी विधि

इस पट्टे और इसके निर्वचन के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत की विधियों के अनुसार होगा, अधिनियम की धारा 28 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, नई दिल्ली के न्यायालयों की इस करार के अधीन उद्भूत विवादों पर अनन्य अधिकारिता होगी।

जिसके साक्ष्य में [स्थान का नाम] पर [तारीख] को प्रस्तुतियां निष्पादित की गई हैं।

अनुसूची क
व्यक्तियों की सूची *

क्र. सं.	नाम	पैन सं.	पता

* यदि अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों का संगम नहीं है तो उसे हटा दिया जाए।

अनुसूची ख

उत्पादन पट्टे का क्षेत्र

(अपतट क्षेत्र जिसके अंतर्गत अक्षांश और देशांतर हैं, का विवरण उपबंधित किया जाना है)

प्ररूप 4

[नियम 15 (2 देखिए)]

अंतरण आवेदन का रूपविधान

सेवा में

[पता-]

मैं/हम उत्पादन पट्टे/संयुक्त अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए अनुरोध करते हैं।

क्र. सं.	मद व्यौरा	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	अंतरक का नाम	
2.	अंतरक का पता	
3.	अंतरिती का नाम	
4.	अंतरिती का पता	
5.	उत्पादन पट्टा/संयुक्त अनुज्ञप्ति सं.	
6.	किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति या पट्टे की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या पवन शक्ति परियोजना, या कोई अवसंरचना परियोजना जैसे कि उपयोजित क्षेत्र में विद्यमान पत्तन, केबल, पाइपलाइन से संबंधित भी हैं।	
7.	उत्पादन पट्टा/संयुक्त अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
8.	क्या अंतरिती अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में उत्पादन पट्टा/संयुक्त अनुज्ञप्ति धारित करने का पात्र है?	हां/नहीं
9.	अंतरिती द्वारा संदेय प्रतिफल जिसके अंतर्गत पहले से परिचालित गवेषण और परिचालन के दौरान सृजित रिपोर्ट और डाटा के संबंध में प्रतिफल भी हैं।	
10.	क्या अंतरिती तत्समय प्रवृत्त किसी विधि जिसके लिए अंतरक उत्पादन पट्टे/संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में अधीन था, के अधीन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए सहमत है?	हां/नहीं

हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तुत की गई विशिष्टियां सही हैं तथा हम अन्य कोई ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, जैसा आपके द्वारा अपेक्षित हो।

अंतरिती और अंतरक, उत्पादन पट्टे/संयुक्त अनुज्ञप्ति के अंतरण के संबंध में अधिनियम की धारा 13ख के उपबंधों तथा अपतट क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 की अनुपालना का भी वचबंध करते हैं।

आपका आज्ञाकारी,

अंतरक

अंतरिती

स्थान.....

तारीख.....

आवेदकों को अनुदेश :

- (क) कंपनी के आवेदक की दशा में आवेदन आवेदक के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदक के व्यक्तिक होने की दशा में आवेदक को व्यक्तिगत रूप से आवेदन में हस्ताक्षर करने चाहिए। फर्म या व्यक्तियों के संगम की दशा में फर्म या व्यक्तियों के संगम को बनाने वाले सभी व्यक्ति आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (ख) आवेदक (जो एक कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का निगमित प्राधिकरण आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। ऐसे निगमित प्राधिकरण में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत केन्द्रीय सरकार को दी जानी चाहिए।
- (ग) अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में उत्पादक पट्टा/संयुक्त अनुज्ञप्ति धारित करने के लिए अंतरिती की पात्रता की पुष्टि का दस्तावेजीय साक्ष्य आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्ररूप 5

[नियम 15(6) देखिए]

अंतरण विलेख

भाग क

संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए अंतरण विलेख का रूपविधान

अंतरण विलेख ("विलेख") [मास], [वर्ष] के इस [दिन] दिन निम्नलिखित के बीच बनाया गया है:

1. (व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत संदर्भ के अनुसार उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), या

(व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय सहित) और (व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार किया गया है, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे); या

(व्यक्ति का नाम सभी साझेदारों के पते सहित) सभी, जो (फर्म का नाम) फर्म के नाम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और शैली के अंतर्गत साझेदारी में कारबार करते हैं और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है, जिसके अंतर्गत, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उक्त सभी साझेदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जाएंगे); या

(कंपनी का नाम), (जिस अधिनियम के अधीन निगमित किया गया) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है, जिस पद में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), पहले पक्ष के रूप में; और

2. (व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है, जिस पद में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जाएंगे); या

(व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय सहित) और (व्यक्ति का नाम पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है, जिस पद में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जाएंगे); या

(सभी साझेदारों के नाम और पता) सभी, जो (फर्म का नाम) फर्म के नाम और शैली के अधीन साझेदारी में कारबार करते हैं, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है, जिस पद में, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उक्त सभी साझेदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल समझे जाएंगे, या (कंपनी का नाम), (जिस अधिनियम के अधीन निगमित किया गया) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस पद में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), दूसरे पक्ष के रूप में;

और

3. भारत के राष्ट्रपति, खान मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए, जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय सरकार" कहा गया है, जिसके अंतर्गत, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल समझे जाएंगे), तीसरे पक्ष के रूप में;

जबकि:

क. अंतरक को केन्द्रीय सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से [तारीख] को एक संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ("संयुक्त अनुज्ञप्ति") और संयुक्त अनुज्ञप्ति के गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख की एक प्रति **उपाबंध-क** के रूप में संलग्न है।

ख. संयुक्त अनुज्ञप्ति के संदर्भ में, अंतरक अपतट क्षेत्र (विद्यमान खनिज संसाधन) नियम, 2024 के अनुसार खनिज संसाधनों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति (विशेष रूप से **उपाबंध-ख** में निर्धारित) ("अनुज्ञप्ति क्षेत्र") के अधीन क्षेत्र में गवेषण कार्य करने का हकदार है, जो लागू शुल्क और रॉयल्टी के संदाय और संयुक्त अनुज्ञप्ति में अंतरक के अनुबंध और शर्तों के पालन और संपादन के अधीन है, जिसमें लागू विधियों के उल्लंघन में संयुक्त अनुज्ञप्ति अंतर्गत नहीं करने की प्रसंविदा भी शामिल है।

ग. अंतरक ने तारीख [तारीख] के अपने अंतरण आवेदन पत्र के अनुसरण में, अंतरिती को संयुक्त अनुज्ञप्ति के अंतरण के संबंध में अनुमोदन के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

घ. प्रशासनिक प्राधिकारी ने अपने पत्र तारीख [तारीख] के अनुसरण में अंतरक के अंतरण आवेदन पर केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, बशर्ते कि अंतरिती इस विलेख में निहित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करे।

अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षित करता है:

1. इस विलेख में प्रयुक्त, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए बड़े अक्षरों वाले शब्दों के, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होंगे जो संयुक्त अनुज्ञप्ति या यथास्थिति अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002, ("अधिनियम") और उसके अधीन बनाए गए नियमों, में दिए गए हैं।

2. अंतरिती केन्द्रीय सरकार के साथ यह प्रतिज्ञा करता है कि संयुक्त अनुज्ञप्ति के अंतरण और समनुदेशन के बाद अंतरिती, संयुक्त अनुज्ञप्ति में निहित सभी प्रतिज्ञाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों से आबद्ध होगा, उनका

पालन करने, अनुरूपता बरतने तथा उनके अधीन रहने के लिए उत्तरदायी होगा, सभी मामलों में उसी तरह जैसे कि संयुक्त अनुज्ञप्ति अंतरिती को अनुज्ञप्तिधारी के रूप में प्रदान किया गया हो। इसके अधीन और उसने मूल रूप से इसे इस रूप में निष्पादित किया था।

3. इसके अलावा एक भाग के अंतरक और दूसरे भाग के अंतरिती द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है और घोषित किया जाता है कि:

3.1. अंतरिती और अंतरक यह घोषणा करते हैं कि अंतरिती सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है और पूरा करना जारी रखेगा, जो अंतरक द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पूरी की जानी अपेक्षित थी।

3.2. अंतरक और अंतरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि खनिज अधिकार सुरक्षित हैं। जिस अनुज्ञप्ति क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अंतरित किया जा रहा है, उस क्षेत्र का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

3.3. अंतरिती यह स्वीकार करता है कि उसने संयुक्त अनुज्ञप्ति की एक प्रति प्राप्त की है, तथा उसे पढ़ा और समझा है, तथा वचनबद्धता, सहमति और पुष्टि करता है कि वह संयुक्त अनुज्ञप्ति के सभी उपबंधों से इस प्रकार आबद्ध रहेगा, जैसे कि वह उसका मूल पक्षकार हो।

3.4. अंतरक यह घोषणा करता है कि उसने किसी अन्य रीति से या किसी समनुदेशित अन्य रीति से संयुक्त अनुज्ञप्ति को अंतरित नहीं किया है। अब अंतरित की जा रही संयुक्त अनुज्ञप्ति अंतरित कर दी गई है और कोई अन्य व्यक्ति या वर्तमान संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार, शीर्षक या हित है, अंतरित किया जा रहा है।

3.5. अंतरिती यह घोषणा करता है कि उसने उन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो अंतरक के पास ऐसे संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में थे।

3.6. अंतरक यह भी घोषणा करता है कि वह वित्तीय रूप से सक्षम है और गवेषण कार्य सीधे तौर पर करेगा।

3.7. अंतरक ने अनुज्ञप्ति क्षेत्र में सभी मानचित्रों, खंडों, गवेषण योजनाओं और परित्यक्त क्षेत्र की मूल या प्रमाणित प्रतियां अंतरिती को उपलब्ध करा दी हैं।

3.8. अंतरिती इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, परिचालन अधिकारों के अधीन उसके/उसके द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल, अधिनियम के उल्लंघन में नहीं है।

3.9 अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतरक द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को उक्त तारीख तक सभी शुल्क, रॉयल्टी तथा अन्य बकाया राशि का संदाय कर दिया गया है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर लिखी तारीख और वर्ष को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

केन्द्रीय सरकार के लिए और के निमित्त :

नाम :

पदनाम :

अंतरक के लिए और के निमित्त :

नाम :

अंतरिती के लिए और के निमित्त :

नाम:

उपाबंध-क

संयुक्त अनुज्ञप्ति के गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख की प्रति

उपाबंध-ख

संयुक्त अनुज्ञप्ति की अवस्थिति और क्षेत्र

[भू-निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर सहित क्षेत्र की विशिष्टियां उपबंधित किया जाना है]

भाग ख**उत्पादन पट्टे के लिए अन्तरण विलेख का रूपविधान**

यह अन्तरण विलेख आज [तारीख] [मास] [वर्ष] को निम्नलिखित के बीच किया गया:-

1. (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अंतरक' कहा गया है और जिसके अन्तर्गत, जहां संदर्भ में उसके अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे); या

(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय सहित) और (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत, जहां संदर्भ में उनके अनुकूल हैं, उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक और उनके अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे); या

(व्यक्ति का नाम सभी भागीदारों के पते सहित) जो सभी, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नाम और अभिनाम की फर्म (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ में इसके अनुकूल हैं, सभी उक्त भागीदार, उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे); या

(कंपनी का नाम), अधिनियम (वह अधिनियम जिसके अधीन निगमित हैं) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत इसके उत्तरवर्ती और अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे), पहले पक्ष के रूप में;

और

2. (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अंतरक' कहा गया और जिसके अन्तर्गत जहां संदर्भ में उसके अनुकूल हैं, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे); या

(व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय सहित) और (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत जहां संदर्भ में उनके अनुकूल हैं, उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक और उनके अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे); या

(सभी भागीदारों का नाम और पता) जो सभी, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नाम और अभिनाम की फर्म (फर्म का नाम) के अधीन भागीदारी में कारबार कर रहे हैं और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ में इसके अनुकूल हैं, सभी उक्त भागीदार, उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे); या

(कंपनी का नाम), अधिनियम (वह अधिनियम जिसके अधीन निगमित हैं) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरक" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत इसके उत्तरवर्ती और अनुमत समनुदेशिती भी समझे जाएंगे), दूसरे पक्ष के रूप में;

और

3. भारत के राष्ट्रपति, खान मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए, जिनका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय सरकार" कहा गया है) और जिसके अन्तर्गत उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे, तीसरे पक्ष के रूप में;

जबकि:

क. अन्तरक को केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन पट्टा मंजूर किया गया है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार और अन्तरक ने उत्पादन पट्टा (सामूहिक रूप से "छूट दस्तावेज") के संबंध में: (क) अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार, तारीख और (ख) पट्टा विलेख तारीख और निष्पादित किया है जो उप-रजिस्ट्रार (पता) के कार्यालय में (तारीख) को सं. (संख्यांक) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, और यह उपाबन्ध 'क' के रूप में इससे संलग्न है।

ख. छूट दस्तावेजों के निबंधनानुसार, अंतरक, लागू होने वाली विधियों के उल्लंघन में उत्पादन पट्टे का अंतरण न करने वाली प्रसंविदा सहित किराए और स्वामिस्व के संदाय तथा छूट दस्तावेज में अंतरक की प्रसंविदा और शर्तों का पालन एवं संपादन के निबंधन के लिए और उसके अधीन रहते हुए, छूट दस्तावेजों की अनुसूचियों में ("पट्टाकर्ता का क्षेत्र") अधिक विशिष्ट रूप से उपाबंध 'ख' में उपवर्णित अपतट क्षेत्र में (खनिजों के नाम) के संबंध में अपतट खानों और खनिजों के लिए खोज करने, उन्हें प्राप्त करने खुदवाने के लिए हकदार है।

ग. अंतरक ने अपने अंतरण आवेदन पत्र तारीख (तारीख) के अनुसरण में, अंतरिती को उत्पादन पट्टे के अंतरण के संबंध में अपने अनुमोदन प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुरोध किया है।

घ. प्रशासनिक प्राधिकारी ने अपने पत्र तारीख के अनुसरण में इस विलेख में अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों का अंतरिती द्वारा अनुपालन के अधीन रहते हुए अंतरक के अंतरण आवेदन के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन हस्तांतरित कर दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्षी है:

1. वे पंजीकृत पदों के, जो इस विलेख में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अपने-अपने अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, छूट दस्तावेज या अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा तद्धीन बनाए गए नियमों में हैं।

2. अंतरिती केन्द्रीय सरकार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि उत्पादन पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश्चात् अंतरिती सभी प्रसंविदाओं के सभी उपबंधों, छूट दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट अनुबंधों और शर्तों से उसी रीति में सभी आबद्ध होंगे, और उनका पालन संपादन करेंगे तथा सम्मत होंगे और उनके अध्यक्षीन होंगे, मानो उत्पादन पट्टा तद्धीन पट्टेदार के रूप में अंतरिती को मंजूर कर दिया गया हो और उसने मूल रूप से छूट दस्तावेज उस रूप में निष्पादित किए थे।

3. एक पक्षकार के रूप में अंतरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा यह और करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:

3.1. अंतरिती और अंतरक यह घोषणा करते हैं कि अंतरिती ऐसी सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है और पूरा करता रहेगा जिन्हें उत्पादन पट्टे के मंजूर किए जाने के लिए अंतरक द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित था।

3.2 अंतरक और अंतरिती यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उस पट्टा क्षेत्र जिसके लिए उत्पादन पट्टा अंतरित किया जा रहा है, पर खनिज अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित किए जा रहे हैं।

3.3. अंतरिती यह अभिस्वीकार करता है कि उसने छूट दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर ली है और उसे पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और यह प्रसंविदा करार और पुष्टि करता है कि छूट दस्तावेजों के सभी उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा, मानो यह उसका मूल पक्षकार हो।

3.4. अंतरक घोषणा करता है कि उसने अब अंतरित किए जा रहे उत्पादन पट्टे को समनुदेशित नहीं किया है या किसी भी रीति में अंतरित नहीं किया है और यह कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है जिसके अधीन वर्तमान उत्पादन पट्टा अंतरित किया जा रहा है।

3.5. अंतरिती यह घोषणा करता है कि उसने सभी ऐसी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जिनको अंतरक ऐसे उत्पादन पट्टे के संबंध में रखता था।

3.6 अंतरक ने अंतरिती को पट्टा क्षेत्र में अभित्यजित खुदाई केस की मानचित्रों, खंडों और रेखाओं की मूल या प्रमाणित प्रतियां दे दी हैं।

3.7 अंतरिती इसके अतिरिक्त, यह भी घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, परिचालन अधिकारों के अंतर्गत उसके/इसके द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल में अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

3.8 अंतरक ने उत्पादन पट्टे के संबंध में केन्द्रीय सरकार को आज की तारीख तक सभी किराए, रॉयल्टी और अन्य को शोध्यों का भुगतान कर दिया है।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने सर्वप्रथम ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से:

नाम:

पदनाम:

अंतरक के लिए और उसकी ओर से:

नाम:

अंतरणी के लिए और उसकी ओर से:

नाम:

उपाबंध क:

छूट दस्तावेजों की प्रति

अनुलग्नक ख:

उत्पादन पट्टे का अवस्थान और क्षेत्र

[भू-निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर सहित क्षेत्र की विशिष्टियां दी जाएं]

प्ररूप 6

[नियम 15(9) देखें]

(संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतरण की सूचना)

प्ररूप भरने हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

- (i) विधिवत भरा हुआ यह प्ररूप, नियम के अंतर्गत यथा विहित संबंधित प्राधिकारियों तक, ऐसे अंतरण की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऑनलाइन या ईमेल द्वारा पहुंच जाना चाहिए।
- (ii) इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भी भेजा जाना चाहिए, जिसके राज्य क्षेत्रीय/अधिकारिता में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अधिसूचित संचालन अधिकार आता है।
- (iii) प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं।

1.	संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रकार	जो लागू हो उसे चिह्नित करें
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति	
	(ख) उत्पादन पट्टा	
2	आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या	

3.	विशिष्ट आईबीएम संक्रिया संबंधी अधिकार संख्या		
	(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति		
	(ख) उत्पादन पट्टे का कूट		
4.	खान का कोड		
5.	खान का नाम		
6.	खनिज या खनिजों के नाम जिनके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया है		(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)
7.	संक्रिया संबंधी अधिकार धारक व्यक्ति का नाम और पता		(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)
8.	संक्रिया संबंधी अधिकार का ब्योरा		(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)
9.	पट्टा क्षेत्र/अनुज्ञप्ति क्षेत्र का स्थान		(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)
10.	अंतरिती या समनुदेशिती का नाम और पता		
	नाम	पता	ईमेल
			पैन नंबर और टैन नंबर (यदि लागू हो)
			आधार संख्या/ रजिस्ट्रीकरण संख्या (कंपनी या एलएलपी के मामले में)
			पासपोर्ट संख्या/जीएसटी संख्या (कंपनी या एलएलपी के मामले में)
			मोबाइल नंबर
11.	प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी अंतरण आदेश के पत्र की संख्या और तारीख		

स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख:	पूरा नाम:
	पदनाम: स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर

प्ररूप 7

[नियम 33(1) देखें]

अपील के ज्ञापन का रूपविधान

प्रेषिती

[पता]

मैं/हम निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ निम्नलिखित अपील प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

क्र. सं.	मद के ब्यौरे	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	अपीलकर्ता का नाम (किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम के मामले में, जैसा भी मामला हो, फर्म या	

क्र. सं.	मद के ब्यौरे	विशिष्टियां
	व्यक्तियों के संगम, का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम दें।)	
2.	अपीलकर्ता का पता (किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम के मामले में, जैसा भी मामला हो, फर्म या व्यक्तियों के संगम, का गठन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम दें।)	
3.	अपीलकर्ता की प्रास्थिति • व्यक्ति • फर्म • व्यक्तियों का अन्य संगम • कंपनी	
4.	क्या अपील विहित समयावधि के भीतर फाइल की गई है	हां/नहीं
5.	यदि नहीं, तो विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने के हैं तथा विलम्ब के लिए माफी का अनुरोध करने के क्या कारण हैं।	
6.	अपील का प्रयोजन	
7.	अपीलकर्ता निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करे- (a) अपीलकर्ता को आदेश की संसूचना देने की संख्या और तारीख तथा उस आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है। (b) क्या यह संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के संबंध में है; (c) कोई अन्य मामला	
8.	अपील के लिए संदेय शुल्क	
9.	बैंक का नाम, डिमांड ड्राफ्ट या चालान संख्या और तारीख जिसके माध्यम से फीस का संदाय किया गया है।	
10.	वह खनिज या वे खनिज जिसके/जिनके लिए अपील फाइल की गई है	
11.	उस क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है (क्षेत्र को कवर करने वाले अक्षांश और देशांतर बताएं)।	
12.	पक्षकार बनाए गए पक्ष/पक्षों का नाम और पूरा पता	
13.	अपील के ज्ञापन की संलग्न प्रतियों की संख्या (यदि किसी पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएं। इसके अलावा, बनाए गए प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जानी है)	
14.	अपील के आधार	
15.	अनुरोध की गई प्रार्थना(एं)	

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और आपके द्वारा जैसी अपेक्षा की जाए कोई अन्य ब्यौरे भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

भवदीय

स्थान:

तारीख:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

अपीलकर्ताओं के लिए निर्देशः

- (क) यदि अपीलकर्ता कोई कंपनी है, तो अपील पर अपीलकर्ता के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। यदि अपीलकर्ता कोई व्यक्ति है, तो अपीलकर्ता को स्वयं अपील पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि यह फर्म या व्यक्तियों का संगम है, तो फर्म या व्यक्तियों के संगम का गठन करने वाले सभी व्यक्ति अपील पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (ख) अपीलकर्ता (जो एक कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का निगम प्राधिकार अपील के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ऐसे निगम प्राधिकार में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्रशासनिक प्राधिकारी को तुरंत दी जानी चाहिए।

प्ररूप 8

[नियम 38 देखें]

भाग क**संयुक्त अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर**

1. क्रम संख्या।
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम।
3. अनुज्ञप्तिधारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास स्थान का पता।
4. संयुक्त अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना की संख्या और तारीख तथा अधिनियम की धारा 8 के अधीन आरक्षण की अधिसूचना की तारीख।
5. (क) संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने की संख्या और तारीख।
(ख) संयुक्त अनुज्ञप्ति का गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित करने की तारीख।
(ग) संयुक्त अनुज्ञप्ति के गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख।
6. अपतट क्षेत्र के भू-निर्देशांक।
7. कुल अपतट क्षेत्र जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
8. नीलामी का प्रीमियम (प्रतिशत में)।
9. वह खनिज या वे खनिज जिसके/जिनके लिए मूल रूप से संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
10. संयुक्त अनुज्ञप्ति में तारीख के साथ जोड़ा गया खनिज या जोड़े गए खनिज।
11. अपतट क्षेत्र के ब्यौरे जिनके लिए मूलतः संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी।
12. वह अवधि जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
13. अनुज्ञप्तिधारी के नाम, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बहुसंख्यक स्वामियों या अन्य विशिष्टियों में हुए परिवर्तन के ब्यौरे के साथ परिवर्तन की तारीख।
14. संयुक्त अनुज्ञप्ति के अंतरण की तारीख, यदि कोई हो, तथा अंतरिती का नाम और पता (प्रत्येक अंतरण के लिए अलग प्रविष्टि करें)।
15. रॉयल्टी तथा कोई अन्य संदाय, यदि संदेय हो।
16. कार्य-संपादन सुरक्षा के ब्यौरे।
17. उत्पादन पट्टे के आवेदन की तारीख (यदि कोई हो)।
18. संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति या पर्यवसान या संबंधी संक्रियाओं के परित्याग या किसी अतिरिक्त क्षेत्र के अभ्यर्ण या उत्पादन पट्टा मंजूर करने की तारीख।
19. वह तारीख जिससे अपतट क्षेत्र पुनः प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगा।
20. प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।
21. टिप्पणियां।
22. अधिकारी के हस्ताक्षर।

भाग ख
उत्पादन पट्टे का रजिस्टर

1. क्रम संख्या।
2. पट्टेदार का नाम।
3. पट्टेदार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास स्थान का पता।
4. उत्पादन पट्टे की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना की संख्या और तारीख तथा अधिनियम की धारा 8 के अधीन आरक्षण की अधिसूचना की तारीख।
5. (क) उत्पादन पट्टा मंजूर करने की संख्या और तारीख।
(ख) उत्पादन पट्टा विलेख निष्पादित करने की तारीख।
(ग) उत्पादन पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख।
6. अपतट क्षेत्र के भू-निर्देशांक।
7. कुल अपतट क्षेत्र जिसके लिए उत्पादन पट्टा मंजूर किया गया है।
8. नीलामी का प्रीमियम (प्रतिशत में)।
9. वह खनिज या वे खनिज जिसके/जिनके लिए मूल रूप से उत्पादन पट्टा मंजूर किया गया है।
10. उत्पादन पट्टे में तारीख के साथ जोड़ा गया खनिज या जोड़े गए खनिज।
11. अपतट क्षेत्र के ब्यौरे जिसके लिए मूलतः उत्पादन पट्टा मंजूर किया गया था।
12. वह अवधि जिसके लिए उत्पादन पट्टा मंजूर किया गया है।
13. पट्टेदार के नाम, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बहुसंख्यक स्वामियों या अन्य विवरणों में हुए परिवर्तन के ब्यौरे के साथ परिवर्तन की तारीख।
14. उत्पादन पट्टे के अंतरण की तारीख, यदि कोई हो, तथा अंतरिती का नाम और पता (प्रत्येक अंतरण के लिए अलग प्रविष्टि करें)।
15. रॉयल्टी तथा अन्य कोई संदाय, यदि संदेय हो।
16. कार्य-संपादन सुरक्षा के ब्यौरे।
17. समाप्ति या पर्यवसान या परित्याग या अभ्यर्पण की तारीख।
18. वह तारीख जिससे अपतट क्षेत्र पुनः मंजूर करने के लिए उपलब्ध होगा।
19. प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।
20. टिप्पणियां।
21. अधिकारी के हस्ताक्षर।

अनुसूची

[नियम 7(2)(क)(i) और (ii) देखें]

अनुज्ञप्ति क्षेत्र से हटाए जाने योग्य अयस्कों और खनिजों की अधिकतम मात्राएं

वर्ग	खनिज	वे मात्राएं जिन्हें किसी संदाय के बिना ले जाया जा सकता है	वह अधिकतम जिसे मात्रा रॉयल्टी का संदाय करके ले जाया जा सकता है
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 1	सिलिका रेत, कैल्केरियस रेत, चूना मिट्टी।	5 टन	200 टन
वर्ग - 2	फॉस्फेटिक तलछट, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, मैंगनीज	5 टन	200 टन

	नोड्यूल, कोबाल्ट परिपूर्ण पर्पटी, फॉस्फेटिक नोड्यूल दुर्लभ मृदा समूह के खनिज।		
वर्ग - 3	अन्य सभी खनिज जिनको ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।	3 टन	200 टन

[फा.सं. एम. VI-1/3/2024-खान VI]

विवेक कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) and in supersession of the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

Preliminary

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) **2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);
 - (b) “auction premium” means the amount payable by the lessee under sub-rule (2) of rule 13 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024;
 - (c) “Form” means form appended to these rules;
 - (d) “illegal mining” means any reconnaissance operation or exploration operation or production operation undertaken by any person or company in any offshore area without holding an operating right as required under sub-section (1) of section 5 of the Act or, outside the boundaries of the offshore area for which the operating right has been granted:

Provided that violation of any rules, other than the rules made under clause (pa) of sub-section (2) of section 35 of the Act, within the licence area or lease area, by a licensee or a lessee shall not be construed as illegal mining;
 - (e) “incidental mineral extraction” means any extraction or excavation of minerals from an offshore area while undertaking any infrastructure project or other works by the Government or any person duly authorised by the Government to undertake such project or works and shall not include extraction by a holder of operating right in the area for which the operating right has been granted to him;
 - (f) “lease area” means the area for which a production lease has been granted in accordance with the Act and the rules made thereunder;
 - (g) “licence area” means the area for which a composite licence has been granted in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
 - (h) “run-of-mine” means the raw unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after dredging or mining, from the mineralised zone of a lease area;
 - (i) “Schedule” means the Schedule appended to these rules; and
 - (j) “threshold value in respect of atomic minerals” means the grade of atomic mineral, specified as percentage of weight of the prescribed substances contained in the ore, as

specified and notified in Schedule A of the Atomic Mineral Concession Rules, 1966 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) as the threshold value for the particular atomic mineral occurring as such, or in association with one or more minerals.

- (2) The words and expressions used herein but not defined herein but in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.

3. Application. — These rules shall apply to all minerals in the offshore areas, except—

- (i) mineral oils and hydrocarbons as specified in sub-section (1) of section 3 of the Act; and
- (ii) atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.

4. Saving of rules made under other enactments. — Nothing in these rules shall affect the provisions of rules made under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) in respect of licensing relating to minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).

CHAPTER II

AVAILABILITY OF OFFSHORE AREAS FOR GRANT OF OPERATING RIGHT

5. Availability of offshore areas for grant of operating right.— (1) No offshore area shall be available for grant of any operating right unless the availability of the area for grant is notified by the administering authority in the Official Gazette specifying a date from which such area shall be available for grant under section 10 of the Act.

- (2) The Central Government shall consult the Ministry of Defence; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Home Affairs; Ministry of External Affairs; Department of Space; Department of Telecommunications; Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Ministry of Earth Sciences; Ministry of Ports, Shipping and Waterways; Ministry of Petroleum and Natural Gas; Ministry of Science and Technology; Ministry of New and Renewable Energy; Department of Atomic Energy and any other Ministry or Department as may be considered necessary by the Central Government, before notifying any offshore area under sub-rule (1).
- (3) Where a reconnaissance operation or exploration operation is to be undertaken by any agency specified or notified under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act, no notification under sub-rule (1) shall be required:

Provided that the administering authority shall issue an order thirty days prior to the commencement of the operations giving details of the offshore area and period for which the reconnaissance operation or exploration operations are to be undertaken and a copy of such order shall be endorsed to the Ministries or Departments as specified under sub-rule (2).

CHAPTER III

OPERATING RIGHTS TO GOVERNMENT, GOVERNMENT COMPANIES OR CORPORATIONS

6. Grant of operating rights to Government, Government companies or corporations.— (1) The administering authority may grant operating rights for any offshore area reserved under sub-section (1) of section 8 of the Act, or any part thereof, to the Government, or a Government company or a corporation, in accordance with sub-section (3) of section 8 of the Act.

- (2) The Central Government shall consult the Ministries or Departments as specified under sub-rule (2) of rule 5 before grant of any operating rights under sub-rule (1).
- (3) All production leases granted to the Government, Government company or corporation for minerals under sub-section (3) of section 8 of the Act shall be for a period of fifty years.
- (4) All composite licences granted to the Government, Government company or corporation for minerals under sub-section (3) of section 8 of the Act shall be for a period of three years:

Provided that the administering authority may, on an application made by the licensee within a period of three months before the lapse of the said period, for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as may be specified, grant an extension for a period of two years to the licensee for satisfactory completion of the exploration operations:

Provided further that no further extension shall be granted upon expiry of the extended period, if any, granted under the first proviso.

- (5) All the terms and conditions, including payment of amounts under the Act, applicable to a licensee or a lessee, selected in accordance with the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024 shall, except for the procedure for grant of composite licence or a production lease, apply *mutatis mutandis* to the Government, or a Government company, or a corporation which has been granted composite licence or a production lease under sub-section (3) of section 8 of the Act.

CHAPTER IV TERMS AND CONDITIONS OF OPERATING RIGHTS

7. **Terms and conditions of a composite licence.**— (1) An exploration licence deed of the composite licence containing the terms of the composite licence shall be executed in Form I with a successful bidder under sub-rule (4) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.
- (2) Every composite licence granted under these rules, shall, in addition to any other conditions that may be specified therein, be subject to the following conditions, namely:—
- (a) for mineral block, the licensee may win and carry, for purposes other than commercial purposes-
 - (i) any quantity of such minerals within the limits specified in column (3) of the Schedule without any payment;
 - (ii) any quantity of such minerals not exceeding the limits specified in column (4) of the Schedule on payment of royalty specified in the First Schedule to the Act in respect to those minerals:

Provided that if any quantity in excess of the quantities referred to in this clause is won and carried away, the administering authority shall recover the value of the excess quantity of minerals won and carried away and may initiate action under section 23 of the Act;
 - (b) with the prior approval of the administering authority, the licensee may carry away quantities of minerals in excess of the limits specified in the Schedule, on payment of royalty specified in the First Schedule to the Act, for chemical, metallurgical, beneficiation or ore-dressing and other test purposes;
 - (c) if the licensee is convicted of illegal mining and there are no orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction, the Central Government may, without prejudice to any other proceedings that may be initiated under the Act or the rules made thereunder, terminate such composite licence and forfeit the performance security submitted by the licensee, after giving such licensee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the licensee;
 - (d) the licensee shall take all necessary steps and measures for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
 - (e) the licensee shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;
 - (f) the licensee shall make available all exploration data, reports, samples, including the data pertaining to quantum of such samples won and extracted, and other relevant information collected by him pursuant to an exploration operation, and shall submit the following reports, namely:—
 - (i) quarterly report within a period of thirty days after the close of the quarter;
 - (ii) annual report within a period of sixty days after the close of the year;
 - (iii) any other report as may be specified in the composite licence,

to the Geological Survey of India, administering authority, Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified;
 - (g) the licensee shall not share any data collected during the course of exploration operations with any third party for storage, processing or interpretation without the prior approval of the administering authority;

- (h) the licensee shall allow any officer authorised by the administering authority or the Central Government to enter upon any vessel, platform, installation or any other infrastructure in the licence area for the purpose of inspecting the same;
- (i) the licensee shall maintain an accurate and true account of all the expenses incurred by it on exploration operations, and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their dispatch;
- (j) the licensee shall maintain a daily log of data collected during the course of exploration operations on the vessel or installation whereby such operations are being carried out in the licence area and shall allow any officer authorised by the Central Government or the administering authority in this behalf to inspect such data logs and the licensee shall also comply with any other reporting requirements specified in the composite licence;
- (k) the licensee shall have the right to deploy vessels, drones and bring upon the licence area all such temporary buoys, structures, steam and other engines, machineries, conveniences, and effects as may be deemed proper and necessary for effectively carrying on its exploration operations or for the employment of workmen thereon;
- (l) the licensee shall comply with all applicable laws and regulations pertaining to movement and deployment of vessels, installations, machineries, engine, platforms, drones and other installations or implements in the offshore areas;
- (m) the licensee shall ensure that any vessel, installation, machinery, engine, platform, drone and other installations or implements that have been deployed by it in the offshore areas have on board, and use equipments, such as satellite tracking equipments and voyage data recorder, that monitors and reports their activity;
- (n) the licensee shall, within a period of six months after the expiry or termination of the composite licence or date of abandonment of operations or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, whichever is earlier-
 - (i) take all necessary steps enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government; and
 - (ii) remove expeditiously at his own cost, all vessels, structures, buoys, engines, machineries, implements, equipments and other property and effects erected or brought by the licensee on or in the licence area together with all minerals won by the licensee:

Provided that the provisions of this clause shall not apply, in the case of the area over which the licensee has been granted a production lease on or before the expiry or termination of the composite licence, as the case may be;

- (o) the licensee shall give at least two months' notice prior to commencement of the exploration operation to the administering authority, the Indian Bureau of Mines and Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, to ensure that such operations do not interfere with any naval exercise in the area;
- (p) in case foreign domiciled entities or foreign entities or contractors, personnel, vessels or equipments are engaged or deployed, for undertaking exploration operations, prior approval shall be obtained from the Government authorities, including any specific approvals mandated by the Central Government; any data collected and work carried out shall be under the supervision and control of Indian representatives of the licensee, who shall ensure appropriate security safeguards;
- (q) the licensee shall ensure that the data generated during exploration operations, including any geological data, is processed, by foreign entities or contractors, in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign entity only with prior approval of the administering authority;
- (r) prior to their deployment all vessels, to be deployed and installations to be erected, for exploration operations by the licensee himself or contracted companies, shall undergo and clear security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore

Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the licensee to the said officers to facilitate such inspection and clearance;

- (s) all vessels to be deployed for exploration operations by the licensee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder;
- (t) intimation regarding award of contracts to contracted companies or persons along with relevant details of the contracts, including the name of the contracted entity, duration of the contract, subject matter of the contract, nature of equipment employed and data to be collected, if any, shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, along with a copy to the administering authority, before commencement of the operations by the licensee, providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;
- (u) visa, and such other permissions as may be required under the law for the time being in force, shall have to be obtained from the Government authority for all foreign personnel on board the vessel;
- (v) the licensee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels and equipments deployed for exploration operations and the personnel onboard;
- (w) the licensee shall, for issuing the marine safety warnings, immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations or platforms, equipments and machineries deployed within the licence area, and thereafter its new location as and when it is shifted;
- (x) the licensee shall not interfere with any right of way in recognised sea lanes for the purposes of navigation or any other purpose as may be authorised by the Central Government;
- (y) the licensee shall allow reasonable facilities of access to the licensees or lessees over any area which is comprised in or adjoins or is reached by the licence area held by the licensee:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by the licensees or lessees to the operations of the licensee and fair compensation, as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority, shall be paid by them to the licensee for any loss or damage sustained by the licensee;

- (z) the licensee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority, within the licence area;
- (za) failure on the part of the licensee to fulfil any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the composite licence shall not give the Central Government or the administering authority any claim against the licensee or be deemed a breach of the composite licence, in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a *force majeure* and in the event of any delay by the licensee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the composite licence on account of a *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the composite licence;

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression “*force majeure*” means act of god, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the licensee could not reasonably prevent or control;

- (zb) the licensee shall ensure that all personnels, vessels, installations, equipments and infrastructure deployed for the purposes of exploration operations in the licence area shall, at all times during the term of the composite licence, be insured by the licensee in accordance with such regulatory requirements, as applicable under any law for the time being in force, and such other terms and conditions as may be specified by the Central Government or the administering authority;

- (zc) the Central Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the licence area in respect of which the composite licence has been granted:

Provided that the average sale price as published by the Indian Bureau of Mines prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the licensee for all such minerals;

- (zd) the licensee shall not carry on or allow to be carried on, any exploration operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

- (ze) the Central Government, or any lessee or person authorised by it in that behalf by the administering authority or the Central Government, shall have the right to enter into or upon the licence area and lay upon or maintain, repair or replace, over or through the same, any pipelines, cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused to, or with, the liberties, powers and privileges of the licensee, and fair compensation, as may be mutually agreed upon, or in the event of disagreement, as may be decided by the administering authority, shall be made –

- (i) to the licensee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to the licensee by such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;

- (ii) by the licensee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;

- (zf) the licensee shall forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, administering authority and any other Government authority, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its exploration operations;

- (zg) the licensee shall not employ, in connection with the exploration operations, any person who is not an Indian national except with prior approval of the administering authority;

- (zh) the licensee shall not carry on his operations in a manner that would injure any person or prejudicially affect any installations, vessels, works, property or rights of other persons and no offshore area shall be used by the licensee for exploration operations for works or purposes not included in the composite licence;

- (zi) the licensee shall ensure the safety of vessels, installations or any other implements in the licence area, to the satisfaction of the administering authority or any other Government authority, as the case may be; and

- (zj) the licensee shall work and carry on the exploration operations in a proper, skilful and workman-like manner.

- (3) In addition to the conditions specified in sub-rule (2), a composite licence may contain following conditions, as the administering authority or the Central Government as may deem fit to impose, namely:-

- (i) indemnity to the Central Government and administering authority against claims of third parties;

- (ii) measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;

- (iii) restrictions on exploration operations in any area prohibited by any competent authority;

- (iv) the reporting of accidents;
 - (v) conditions regarding entry in certain parts of offshore areas;
 - (vi) facilities to be given by the licensee for working other minerals, mineral oil and hydrocarbon resources in the licence area or adjacent areas; and
 - (vii) any other conditions specified in the tender document for auction for grant of composite licence.
- (4) The administering authority may, either with the prior approval of the Central Government or at the instance of the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of minerals.
- (5) In the case of breach of any condition imposed on any licensee under the Act and the rules made thereunder, the Central Government, by order in writing, terminate the composite licence and forfeit, in whole or part, the performance security submitted by the licensee and take such other action in accordance with the Act and the rules made thereunder:

Provided that no such order shall be made without giving the licensee a reasonable opportunity of being heard and without recording the reasons in writing.

8. Terms and conditions of a production lease.— (1) The production lease granted by way of a production lease deed to-

- (a) a successful bidder under sub-rule (7) of rule 10 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024; or
- (b) the holder of a composite licence under sub-rule (9) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, who has made an application for grant of production lease under clause (b) of sub-rule (6) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024 in Form II,

shall be, in each case, in Form III.

(2) Every production lease shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) the lessee shall pay, for every year of the production lease period, such yearly fixed rent at the rates specified in the Second Schedule to the Act, and if the production lease permits the working of more than one mineral in the same area, the Central Government shall not charge separate fixed rent in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay the fixed rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher;

- (b) the lessee shall also pay for any area used by it for the purposes of production operations, surface rent and other applicable charges, fees, taxes, cess, duties and levies, applicable for such area, as may be specified or imposed by the Central Government;
- (c) the lessee shall commence production operations within a period of two years, as specified under clause (c) of section 14 of the Act, from the date of execution of the production lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skilful and workman-like manner;

Explanation.— For the purposes of this clause, “production operations” shall include deployment of any vessel, erection of buoys, operation of engines or machineries, implementation of equipments, construction of artificial island or platform and premises in the lease area or any other operation undertaken for the purpose of winning of minerals;

- (d) the lessee shall not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;
- (e) the lessee shall keep accurate and true accounts showing the quantity and other particulars of –

- (i) all minerals obtained and dispatched from the lease area;
 - (ii) waste material excavated from the lease area;
 - (iii) the number and nationality of persons employed therein;
 - (iv) complete plans of the lease area, and shall allow any officer authorised by the Central Government or administering authority in this behalf to examine at any time any accounts, plans, data logs and records maintained by him and shall furnish the administering authority with such information and returns as it or any officer authorised by it in this behalf may require; and
 - (v) any other reporting requirements specified in the production lease;
- (f) the lessee shall keep accurate records of all excavations, pits and drillings made by the lessee in the course of production operations carried on by the lessee under the production lease and shall allow any officer authorised by the Central Government or administering authority to inspect the same and such records shall contain the following particulars, namely:-
- (i) the subsoil and strata below the seabed through which such excavations, pits or drillings pass;
 - (ii) details of any mineral encountered; and
 - (iii) such other particulars as the Central Government or administering authority may require;
- (g) the lessee shall comply with all applicable laws and regulations pertaining to movement and deployment of vessels, installations, machineries, engines, platforms, drones and other installations or implements in the offshore areas;
- (h) the lessee shall ensure that any vessel, installation, machinery, engine, platform, drone and other installations or implements that have been deployed by it in the offshore areas have on board, and use equipment, such as satellite tracking equipment and voyage data recorder, that monitors and reports their activity;
- (i) the lessee shall allow any officer authorised by the administering authority or the Central Government to enter upon any vessel, platform, installation or any other infrastructure in the lease area for the purpose of inspecting the same;
- (j) the Central Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the lease area in respect of which the production lease has been granted:
- Provided that the average sale price as published by the Indian Bureau of Mines prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee for all such minerals;
- (k) the lessee shall store and maintain accounts properly within the lease area of the unutilised or non-saleable sub-grade ores or minerals for future beneficiation;
- (l) the lessee shall take all necessary steps and measures enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
- (m) the lessee shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;
- (n) the lessee shall not carry on his operations in a manner that would injure any person or prejudicially affect any installation, vessel, work, property or right of other persons and no offshore area shall be used by the lessee for production operations for works or purposes not included in the production lease;
- (o) the lessee shall not interfere with any right of way in recognised sea lanes for the purposes of navigation or any other purpose authorised by the Central Government;
- (p) the lessee shall allow reasonable facilities of access to any licensees or lessees over any area which is comprised in or adjoins or is reached by the lease area held by the lessee:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by the licensees or lessees to the operations of the lessee and fair compensation, as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement, as may be decided by the

administering authority, shall be paid by them to the lessee for any loss or damage sustained by the lessee;

- (q) the lessee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operation pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority, within the lease area;
- (r) the Central Government, or any lessee or person authorised by it in that behalf by the administering authority or the Central Government, shall have the right to enter into or upon the lease area and lay upon or maintain, repair or replace, over or through the same, any pipelines, cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused to, or with, the liberties, powers and privileges of the lessee, and fair compensation, as may be mutually agreed upon, or in the event of disagreement, as may be decided by the administering authority, shall be made –

- (i) to the lessee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to the lessee by such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;
- (ii) by the lessee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;
- (s) the lessee shall at his own expense, erect, maintain, display and keep in repair all notices or floaters or signage or buoys, marking the boundary of the lease area to the satisfaction of the administering authority and other concerned Government authorities, including the Indian Coast Guard and the Indian Navy;
- (t) the lessee shall maintain daily logs of data collected during the course of production operations on the vessel or installation whereby such operations are being carried out in the lease area and shall allow any officer authorised by the Central Government or the administering authority in this behalf to inspect such data logs and the lessee shall also comply with any other requirements specified in the production lease;
- (u) the lessee shall make available all production data, reports, samples, including the data pertaining to number of persons engaged, geological and geophysical data relating to production fields, engineering surveys, investigation of atomic minerals, quantum of minerals won and extracted, and other relevant information collected by him pursuant to a production operation, and shall submit the following reports, namely:–
 - (i) annual report within a period of sixty days after the close of the year;
 - (ii) any other report as may be specified in the production lease,
 to the Geological Survey of India, administering authority, Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified;
- (v) the lessee shall not share any data collected during the course of production operations with any third party for storage, processing or interpretation without the prior approval of the administering authority;
- (w) the lessee shall pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury or disturbance which may be caused by him and shall indemnify and keep indemnified, the administering authority and the Central Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;
- (x) in case foreign domiciled entities or foreign entities or contractors, personnels, vessels or equipments are engaged or deployed, for undertaking production operations, prior approval shall be obtained from the Government authorities, including any specific approval mandated by the Central Government, and any data collected and work carried out shall be under the supervision and control of Indian representatives of the lessee, who shall ensure appropriate security safeguards;

- (y) the lessee shall ensure the safety of vessels, installations or any other implements in the lease area, to the satisfaction of the administering authority or any other Government authority, as the case may be;
- (z) the lessee shall ensure that data generated during the production operations, including any geological data, is processed, by foreign entities or contractors, in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign entity only with prior approval of the administering authority;
- (za) the lessee shall give at least two months' notice prior to commencement of the operations to the administering authority, the Indian Bureau of Mines and the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, to ensure that such operations do not interfere with any naval exercise in the area;
- (zb) prior to their deployment, the lessee shall ensure that all vessels to be deployed and installations to be erected in the lease area by the lessee or by the contracted companies, shall undergo and clear naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and clear one month's notice shall be given by the lessee to the aforesaid officers to facilitate such inspection and clearance;
- (zc) all vessels to be deployed for production operations by the lessee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder;
- (zd) the lessee shall ensure that intimation regarding award of contracts to contracted companies or persons along with relevant details of the contracts, including the name of the contracted entity, duration of the contract, subject matter of the contract, nature of equipment employed and data to be collected, if any, shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, along with a copy to the administering authority, before commencement of the operations by the lessee, providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;
- (ze) visa, and such other permissions as may be required under the law for the time being in force, shall have to be obtained from the Government authority for all foreign personnel on board the vessel;
- (zf) the lessee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels and equipments deployed for production operations and the personnel onboard;
- (zg) the lessee shall, for issuing the marine safety warnings, immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations or platforms, equipments and machineries deployed within the lease area, and thereafter its new location as and when it is shifted;
- (zh) the lessee shall forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, administering authority and any other Government authority, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its production operations;
- (zi) the lessee shall maintain a copy of the production plan at the vessel or installation by way of which production operations are being carried out in the lease area, or at an earmarked site;
- (zj) the lessee shall not employ, in connection with the production operations, any person who is not an Indian national except with the prior approval of the administering authority;
- (zk) the lessee shall allow any officer authorised by the Central Government or the administering authority as the case may be, to enter upon any portion of lease area to inspect the lease area at all reasonable times and shall also supply, on demand all applicable plans and sections of the lease area as also the quantity of reserves grade-wise;
- (zl) the lessee shall, unless specifically exempted by the administering authority, provide, and at all times keep, within the lease area or at point of discharge from the lease area and at the port of unloading or discharge in India, at which the minerals shall be brought, a properly constructed and efficient weighing or measurement system, which may be specified;

- (zm) the lessee shall weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all the produced and dispatched minerals in accordance with the manner as may be specified:

Provided that the lessee shall at the close of each day ensure that the total data on production and dispatch of minerals, including all weights and measurements be entered in the books of accounts maintained by the lessee:

Provided further that the lessee shall at all times during the term of the production lease, permit the administering authority and the Central Government to employ any person or persons to be present at the weighing or the measurement of the said minerals as aforesaid, and to keep accounts thereof, and to check the accounts kept by the lessee and the lessee shall give seven days prior notice in writing to the administering authority and authorised officer of the Indian Bureau of Mines for every such weighing, or measuring, in order that he or some officer on his behalf may be present thereat;

- (zn) the lessee shall at any time during the term of the production lease, allow any person or persons appointed in that behalf by the administering authority or the Central Government to examine and test every weighing machine or measurement system to be provided and kept as aforesaid and the weights or systems used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order:

Provided that if upon any such examination or testing, any such weighing machine or weights or measurement system is found incorrect, or out of order, the administering authority may require that the same be adjusted and put in order, by and at the expense of the lessee and if such requisition is not complied with within a period of fourteen days after the same has been made, the administering authority or any person authorised by the Central Government in this behalf may not grant transit permit till such weighing machine or weights or measurement system is calibrated and put in order;

- (zo) if upon any such examination or testing as aforesaid, any error is discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the administering authority or the Central Government, such error shall be regarded as having existed for a period of three months prior to the discovery thereof or from the last occasion of examining and testing the same weighing machine, weights and measurement system, in case such occasion is within the said period of three months, and the lessee shall, in addition to any other penalty or civil liability which may be imposed under the Act or rules made thereunder, pay the rent, royalty, auction premium or any such other payment as applicable, accounted for accordingly;

- (zp) if the lessee fails to carry out or perform any of its obligations under this sub-rule or under the production lease deed within the time specified in that behalf, the administering authority may, at its discretion, cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay the administering authority, on demand, all expenses incurred in this regard by the administering authority and the decision of the administering authority as to such expenses shall be final;

- (zq) failure on the part of the lessee to fulfil any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the production lease shall not give the Central Government or administering authority any claim against the lessee or be deemed a breach of the production lease, in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a force majeure and in the event of any delay by the lessee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the production lease on account of a force majeure, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the production lease.

Explanation. – For the purposes of this clause the expression “force majeure” means act of god, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the lessee could not reasonably prevent or control;

- (zr) the lessee may, after paying the rents, rates and royalties payable under the Act and the rules made thereunder or under the production lease deed, at the expiry or termination of the production lease term or within a period of six months thereafter (unless the production lease is terminated for default of the lessee, and in that case at any time not less than three months nor more than six months after such termination) dismantle and remove for its own benefit, all or any ore mineral excavated during the term of the production lease, vessels,

- installations, engines, machineries, pipelines, structures, equipments, platforms, and infrastructure, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in or upon the lease area and which the lessee is not bound to deliver to the Central Government or which the Central Government does not desire to purchase;
- (zs) if at the end of a period of six months after the expiry or termination of the production lease term there shall remain in or upon the lease area, any ore or mineral, engine, machinery, pipeline, structure, equipment, platform, and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee, the same shall, if not removed by the lessee within a period of one month of being notified to do so by the administering authority, be deemed to become the property of the Central Government and may be sold or disposed of, at the cost of the lessee, in such manner as the administering authority or the Central Government as may deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee in respect thereof; and
- (zt) the lessee shall ensure that all personnels, vessels, installations, equipments and infrastructure deployed for the purposes of production operations in the lease area shall, at all times during the term of the production lease, be insured by the lessee in accordance with such regulatory requirements, as applicable under any law for the time being in force, and such other terms and conditions as may be specified by the Central Government or the administering authority.
- (3) The lessee shall report to the administering authority, the discovery in the lease area of any mineral not specified in the production lease as soon as reasonably practicable, and in no event later than a period of sixty days from the date of such discovery, and shall not win and dispose of such discovered mineral without inclusion of such discovered mineral in the production lease deed.
- (4) In addition to the conditions specified in sub-rule (2), a production lease may contain following conditions as the administering authority or Central Government as may deem fit to impose, namely:—
- (a) the time-limit, mode and place of payment of rents and royalties;
 - (b) measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be notified by the Central Government;
 - (c) restrictions on production operations in any area prohibited by any competent authority;
 - (d) the notice by lessee for:—
 - (i) entering into the lease area prior to commencement of production operations; and
 - (ii) commencement of production operations;
 - (e) the provision of proper weighment of mineral dispatched;
 - (f) the reporting of accidents;
 - (g) the indemnity to Central Government and administering authority against claims of third parties;
 - (h) the delivery of possession of lease area on the surrender, expiration or termination of the production lease;
 - (i) the forfeiture of property left after termination of the production lease;
 - (j) the power to take possession of the lease area, vessels, installations and other infrastructure in the event of war or emergency; and
 - (k) any other conditions specified in the tender document for auction for grant of production lease.
- (5) The administering authority may, either with the prior approval of the Central Government or at the instance of the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of minerals.
- (6) When a production lease is granted by the Central Government, arrangements shall be made by the administering authority, at the expense of the lessee, for the survey and demarcation of the lease area.

- (7) Subject to the conditions specified in this rule, the lessee for the purposes of production operations on lease area shall have the right to –
- (a) work the mines, win and carry away the mineral;
 - (b) sink pits;
 - (c) erect, install or deploy, as the case may be, any vessel, platform, equipment, installation and other infrastructure;
 - (d) use sea water if required for production operations or transportation;
 - (e) use any part of offshore lease area for storage purpose; and
 - (f) do any other thing specified in the production lease.
- (8) If the lessee does not allow entry, or inspection under clauses (e), (f), (i), (r), (t), (zk), (zm) or (zn) of sub-rule (2), the administering authority shall give notice in writing to the lessee requiring him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why the production lease should not be terminated and the performance security submitted by the lessee be forfeited and if the lessee fails to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the administering authority, the administering authority may terminate the production lease and forfeit the whole or part of the performance security submitted by the lessee, and take such other action in accordance with the Act and the rules made thereunder.
- (9) If the lessee is convicted of illegal mining and there are no orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction, the Central Government may, without prejudice to any other proceedings that may be initiated under the Act or the rules made thereunder, terminate such production lease and forfeit the performance security submitted by the lessee, after giving such lessee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and shall communicate to the lessee.
- (10) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under sub-section (1) of section 16 of the Act or payment of fixed rent as required under sub-section (1) of section 17 of the Act or contribution towards the International Seabed Authority as required under section 18 of the Act or contribution to the Offshore Areas Mineral Trust as required under sub-section (5) of section 16A of the Act or commits a breach of any of the conditions specified in sub-rules (2), (3) and (6), the administering authority shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or fixed rent or contribution to the International Seabed Authority or to the Offshore Areas Mineral Trust to remedy the breach, as the case may be, within a period of sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or fixed rent or contribution to the International Seabed Authority or to the Offshore Areas Mineral Trust is not paid or the breach is not remedied within the said period, the Central Government may, without prejudice to any other proceedings that may be initiated against him, terminate the production lease and forfeit the whole or part of the performance security submitted by the lessee.

CHAPTER V

EXPIRY, LAPSE, SURRENDER OR TERMINATION

9. **Auction.**— On the expiry of the production lease period, the lease area may be put up for auction as per the procedure specified in section 13 of the Act and the Chapter II of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, and the process of such auction may be commenced one year in advance of such expiry.
10. **Lapsing of composite licence.**— (1) Where the licensee fails to commence exploration operation within a period of one year after the grant of composite licence, or upon commencement, discontinues the operation for a period of two years, the administering authority shall, subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 12, by an order, declare the composite licence, as lapsed from the date of execution of the composite licence or, as the case may be, discontinuance of the operation, and communicate the declaration to the licensee.
 - (2) The administering authority may forfeit the performance security submitted by the licensee, in full or in part, upon the lapse of a composite licence.
 - (3) The licensee shall pay for any expenditure incurred by the administering authority, over and above the performance security, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or measures, as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the exploration operations.
 - (4) The administering authority shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about such lapse of a composite licence.
11. **Lapsing of production lease.**— (1) Where the lessee fails to commence production operations within a period of two years after the grant of production lease, or upon commencement, discontinues the production operations for a period of two years, the administering authority shall, subject to sub-rule (1) of rule 12, by an order, declare the production lease as lapsed from the date of execution of the production lease or, as the case may be, discontinuance of the operation, and communicate the declaration to the lessee.
 - (2) Where production and dispatch has not commenced within a period of four years after the execution of the production lease, or is discontinued for a period of two years after commencement of production and dispatch, the administering authority shall, subject to sub-rule (1) of rule 12, by an order, declare the production lease as lapsed on the expiry of the period of four years from the date of its execution or, as the case may be, two years from the date of discontinuance of the production and dispatch, and communicate the declaration to the lessee.
 - (3) The administering authority may forfeit the performance security submitted by the lessee, in full or in part, upon the lapse of a production lease.
 - (4) The lessee shall pay any expenditure incurred by the administering authority, over and above the performance security, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures, as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations.
 - (5) The administering authority shall intimate the Indian Bureau of Mines in writing about such lapse of a production lease.
12. **Application for extension of periods.**— (1) Where –
 - (a) a licensee is unable to commence exploration operation or upon commencement, discontinues the operation within the period specified under sub-rule (1) of rule 10;
 - (b) a lessee is –
 - (i) unable to commence production operations or upon commencement, discontinues the operation within the period specified under sub-rule (1) of rule 11; or
 - (ii) unable to commence the production and dispatch, or upon commencement, such production and dispatch is discontinued for the period specified under sub-rule (2) of rule 11,

in each case, for reasons beyond its control, it may submit an application to the administering authority at least three months before the expiry of such period, seeking an extension of such period duly explaining the reasons for the same:

Provided that where the licensee or the lessee has failed to make the application within such time due to the reasons beyond its control but has made application before the lapse of the

composite licence, or the production lease, as the case may be, the administering authority may condone the delay in making such application.

- (2) Every application made under sub-rule (1) shall specify –
 - (a) the reasons on account of which it was not possible for the licensee or lessee, as the case may be, to undertake exploration operations or production operations or production and dispatch, as the case may be, or continue exploration operations or production operations or production and dispatch, as the case may be;
 - (b) the manner in which such reasons were beyond the control of the licensee or lessee; and
 - (c) the steps that have been taken by the licensee or lessee to mitigate the impact of such reasons.
- (3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of rupees one lakh.
- (4) The administering authority shall after examining the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of exploration operations or production operations, or production and dispatch, or discontinuance thereof, as the case may be, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (1) or before the date on which the composite licence or production lease, as the case may be, would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such application:

Provided that any such extension shall not be granted for a period exceeding one year and such extension shall not be granted for more than once during the entire period of the composite licence or the production lease, as the case may be.

13. Surrender of production lease.— (1) The lessee may make an application to the administering authority for surrendering of the entire or a part of the lease area after giving a notice in writing of not less than a period of six months from the intended date of surrender.

- (2) The administering authority may allow surrender of a production lease under sub-rule (1) subject to the following conditions, namely:—
 - (a) every application for surrender of lease area, or part thereof, shall be accompanied by an approved final mine closure plan;
 - (b) the lessee has submitted documents to evidence implementation of the approved final mine closure plan;
 - (c) surrender of a part of the lease area shall comprise only contiguous standard blocks along the boundaries of the existing lease area and such area shall have been properly surveyed;
 - (d) all dues with respect to the production lease have been settled;
 - (e) the lessee shall deposit an amount equal to the estimated expenditure (in excess of the existing performance security), if any, to be incurred by the Central Government or the administering authority, as determined by the administering authority, towards protective measures or take any necessary steps or such other measures, as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations in the lease area;
 - (f) the provisions regarding systematic development of mineral deposit provided in the production plan including the measures for protection of environment have been complied with.
- (3) In case of surrender of the entire lease area before the exhaustion of the mineral resources, the performance security submitted by the lessee shall stand forfeited:

Provided that the performance security submitted by the lessee shall not be forfeited in case –

- (i) the lessee faces hindrances in production operations due to operations of other lessees of petroleum or offshore wind power projects or operations of Government security agencies or other government agencies; or
- (ii) ten years have elapsed after execution of production lease and the lessee finds the production operations are uneconomic.

- (4) The administering authority may refuse to accept such surrender of the entire or a part lease area for the reasons to be communicated in writing to the lessee.
- (5) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security to be incurred by the administering authority as determined by the administering authority, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or measures, including as specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations in the lease area which has been surrendered.

14. Termination.— (1) The Central Government, after consulting with the administering authority, may terminate a production lease or composite licence under the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Act, if it is of the opinion that such termination is expedient in public interest, strategic interest of the country, in the interest of development and regulation of offshore mineral resources, preservation of natural environment and prevention of pollution, avoidance of danger to public health or communication, ensuring safety of any offshore structure or conservation of mineral resources or for any other reason.

- (2) Without prejudice to sub-rule (1) and subject to clause (za) of sub-rule (2) of rule 7 or clause (zq) of sub-rule (2) of rule 8, as the case may be, the Central Government may terminate a composite licence or production lease, if such licensee or lessee, as the case may be, at any time during the term of the composite licence or production lease-
 - (a) fails to fulfil, or contravenes, any of the terms, covenants and conditions contained therein or in the Act or the rules made thereunder; or
 - (b) fails to use the offshore area covered by it for bonafide purpose for which it has been granted; or
 - (c) uses such offshore area for a purpose other than for which it has been granted; or
 - (d) fails to comply with Indian laws and regulations, international conventions or treaties to which India is a party including those applicable for environmental protection, pollution control, hazardous wastes; or
 - (e) fails to abide by the directives of the administering authority, the Central Government or Government security agencies.
- (3) No order for premature termination of operating right under this rule shall be made except after giving the lessee or the licensee, as the case may be, a reasonable opportunity of being heard, except in cases where premature termination is being done on the grounds of strategic interest of the country.
- (4) Notwithstanding anything contained in this rule, if any failure, contravention or use referred to in sub-rule (2), is of a remediable nature, the Central Government may give notice to such person requiring him to remedy the same within a period of sixty days from the date of receipt of the notice and informing him that his composite licence or production lease, may be terminated without any further notice, in case such failure, contravention or use is not remedied within such period specified above.
- (5) In the event of termination of a production lease or composite licence, the administering authority may forfeit the performance security submitted by the lessee or the licensee.
- (6) The lessee or the licensee shall deposit an amount equal to the estimated expenditure (in excess of the forfeited performance security), if any, to be incurred by the Central Government or the administering authority, as determined by the administering authority, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures, as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the exploration operations or production operations, as the case may be.

CHAPTER VI

TRANSFERS

15. Transfer of production lease or composite licence.— (1) The holder of a production lease or composite licence (hereinafter referred to as the transferor) may transfer his production lease or composite licence, as the case may be, to any person eligible to hold a production lease or composite licence in accordance with the provisions of section 13B of the Act and the rules made thereunder (hereinafter referred to as the transferee) with the prior approval of the administering authority.

- (2) The transferor and the transferee shall, prior to the transfer, jointly submit an application to the administering authority in Form IV which shall contain details of the consideration payable by the

transferee for the transfer, including the consideration in respect of the exploration operations or production operations or both, as the case may be, already undertaken and the reports and data generated during the operations.

- (3) The administering authority shall, subject to approval of the Central Government, convey its decision to approve or reject such transfer for the reasons to be recorded in writing:

Provided that no such transfer of a production lease or of a composite licence shall be made in contravention of any condition subject to which the production lease or the composite licence was granted.

- (4) All transfers effected under this rule shall be subject to the condition that all dues with respect to the composite licence or the production lease, as the case may be, shall be settled prior to such transfer, and that the transferee has accepted all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a production lease or composite licence, as the case may be.
- (5) On and from the date of transfer, the transferee shall be liable towards the administering authority and the Central Government with respect to any and all liabilities with respect to the composite licence or the production lease, as the case may be.
- (6) The transferor and the transferee shall jointly submit a registered deed, in Form V within a period of thirty days from the date of receipt of a letter of approval from the administering authority as specified in sub-rule (3).
- (7) If a registered transfer deed is not submitted to the administering authority in accordance with sub-rule (6), then the transfer application made under sub-rule (2) shall become ineligible.
- (8) The date of commencement of the transfer deed shall be the date on which an executed transfer deed is registered.
- (9) Every holder of a composite licence or a production lease who transfers such composite licence or production lease, in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, to any other person, shall, within a period of thirty days of the date of such transfer, send an intimation thereof in Form VI to the Controller General, Indian Bureau of Mines and the administering authority.
- (10) The administering authority shall intimate the Indian Bureau of Mines, Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and such other authority or department as specified by the Central Government, in writing about any transfer of a composite licence or a production lease, as the case may be.
- (11) The Central Government on the recommendation of the administering authority may, by an order in writing terminate any production lease or composite licence, as the case may be, and forfeit the performance security, at any time if the lessee or licensee has, in the opinion of the Central Government, committed a breach of any of the provisions of this rule or has transferred such production lease or composite licence or any right, title, or interest therein otherwise than in accordance with this rule:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee or licensee a reasonable opportunity of being heard.

- 16. Mutation of production lease or composite licence.**— (1) In case of death of a lessee or licensee during the term of the production lease or composite licence, the legal heirs may apply to the administering authority for mutation of their name in the production lease or composite licence in place of the deceased lessee or licensee, as the case may be.

- (2) The administering authority within a period of ninety days from the date of receiving such application for mutation shall enter the names of such legal heirs in the records in place of the deceased lessee or licensee or reject such mutations for the reasons to be recorded in writing:

Provided that no such mutation of name in a production lease or a composite licence shall be made in contravention of any condition subject to which such production lease or composite licence was granted.

- (3) The administering authority shall intimate the Indian Bureau of Mines, Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and such other authority or department as specified by the Central Government, in writing about any mutation under this rule.

17. Encumbrance and enforcement of security interest.— (1) A person holding a composite licence or a production lease may create any encumbrance over such composite licence or production lease.

- (2) In the event of enforcement of security interest with respect to such encumbrance, the operating right shall be assigned only to such transferee who meets all the eligibility conditions which were required to be met by the transferor for grant of such composite licence or production lease and in the manner as specified in rule 15:

Provided that in such cases the creditors enforcing the security interest may submit the transfer application on behalf of the transferee.

CHAPTER VII MINERALS VALUATION

18. Sale value.— Sale value is the gross amount payable by the purchaser as indicated in the sale invoice where the sale transaction is on an arm's length basis and the price is the sole consideration for the sale, excluding taxes and contribution to International Seabed Authority, if any.

Explanation.— For the purposes of computing sale value, no deduction from the gross amount shall be made in respect of fixed rent, royalty, payments to the Offshore Areas Mineral Trust.

19. Payment of royalty.— (1) Royalty shall be charged on the run-of-mine irrespective of its processing within or outside the lease area:

Provided that the royalty shall be payable at the time of dispatch from the lease area.

- (2) Where the First Schedule to the Act specifies that the royalty in respect of any mineral is to be paid on an *ad valorem* basis, the royalty shall be calculated at the specified percentage of the average sale price of such mineral grade or concentrate, for the month of removal or consumption, as published by the Indian Bureau of Mines *minus* the amount payable towards royalty and the Offshore Areas Mineral Trust, as calculated on the average sale price published by the Indian Bureau of Mines.
- (3) Where the First Schedule to the Act specifies that the royalty in respect of any mineral, including polymetallic nodules and crusts, is to be paid based on the London Metal Exchange or the London Bullion Market Association price or any other index, publication or exchange, the royalty shall be calculated at the specified percentage of the average sale price of the metal for the month as published by the Indian Bureau of Mines, for the metal contained in the ore removed or the total by-product metal actually produced, as the case may be, of such mineral for the month:

Provided that deduction of amount payable towards royalty and Offshore Areas Mineral Trust as stipulated under sub-rule (2) shall not be applicable for minerals covered under this sub-rule.

- (4) Where the First Schedule to the Act specifies that the royalty of any mineral is to be paid on tonnage basis, the royalty shall be calculated as product of mineral removed or consumed from the lease area and the specified rate of royalty.

20. Provisional assessment and adjustment.— (1) At the time of removal or consumption of mineral from the lease area, the lessee shall calculate the amount of royalty and payments to the Offshore Areas Mineral Trust based on the latest available average sale price of the said mineral grade and pay the same to the Central Government as provisional payment for the same.

- (2) After the publication of the average sale price of the minerals for the month by the Indian Bureau of Mines, due adjustment of the actual amounts payable against the provisional payment may be made.

21. Royalty chargeable on dry basis.— The royalty shall be chargeable on the weight of the mineral removed, measured on dry basis.

22. Computation of average sale price.— (1) The ex-mine price shall be used to compute average sale price of mineral grade or concentrate.

- (2) **The ex-mine price of mineral grade or concentrate shall be —**

- (a) where export has occurred, the free-on-board price of the mineral less the actual expenditure incurred beyond the lease area towards transportation charges by sea, road, loading and unloading charges, railway freight (if applicable), port handling charges, export duty, charges for sampling and analysis, rent for the plot at the stocking yard, handling charges in port,

charges for stevedoring and trimming, any other incidental charges incurred outside the lease area as notified by the Indian Bureau of Mines, divided by the total quantity exported;

- (b) where domestic sale has occurred, sale value of the mineral less the actual expenditure incurred towards transportation, loading, unloading, rent for the plot at the stocking yard, charges for sampling and analysis and any other charges beyond the lease area as notified by the Indian Bureau of Mines, divided by the total quantity sold;
- (c) where sale has occurred, between related parties or where the sale is not on arms' length basis, or where the mineral has been used for its own consumption by the lessee, then such sale shall not be recognised as a sale for the purpose of this rule:

Provided that where no declaration for sale between related parties or for sale not on arms' length basis or for own consumption has been made by the lessee or subsequently and before publication of average sale price for that month, such declaration is discovered to be factually incorrect or misrepresented, such quantity of mineral shall be considered as sold and the latest available average sale price published monthly by the Indian Bureau of Mines for that mineral grade or concentrate shall be considered as the ex-mine price for this quantity;

- (d) where sale has not occurred, the latest available average sale price published monthly by the Indian Bureau of Mines for that mineral grade or concentrate.
- (3) The average sale price of any mineral grade or concentrate in respect of a month shall be the weighted average of the ex-mine prices computed in accordance with sub-rules (1) and (2), the weight being the quantity dispatched from the lease area of mineral grade or concentrate relevant to each ex-mine price.

23. Publication of average sale price.— The Indian Bureau of Mines shall publish the average sale price of each mineral grade or concentrate removed from the lease area in a month within a period of thirty days from the due date for filing the monthly returns.

24. Average sale price of metal.— The Indian Bureau of Mines shall publish every month, the average sale price of the metals, elements or their compounds in Indian Rupees, whose prices are available in the London Metal Exchange or the London Bullion Market Association or any other publication, exchange or index, as may be specified by the Central Government, in the following manner, namely:—

- (a) in case daily price is available, such price available during all the days of the month shall be multiplied by the reference rate, for the day, of the Reserve Bank of India or any other agency authorised by such bank, for the currency in which the price is obtained;
- (b) in case price is not available on daily basis, but available on weekly basis, such weekly prices published in a month shall be multiplied by, the reference rate of the Reserve Bank of India or any agency authorised by such bank, for the currency in which the price is obtained, for the day of publication of such weekly price;
- (c) in case price is not available on daily or weekly basis, but available on monthly basis, such monthly price shall be multiplied by the monthly average of the reference rate of the Reserve Bank of India or any agency authorised by such bank, for the currency in which the price is obtained;
- (d) where the Reserve Bank of India reference rate is not available for any day on which the price of publication, exchange or index is available, the Reserve Bank of India reference rate for the immediately preceding day shall be used;
- (e) the Central Government may specify any conversion factor to be applied for certain ore or compound of a metal or element for arriving at monthly average sale price of a metal or element on case to case basis, which shall be used by the Indian Bureau of Mines to publish the average sale price.

25. Average sale price of polymetallic nodules and crusts.— The average sale price of polymetallic nodules and crusts shall be the sum of percentage of individual element contained in the polymetallic nodules and crusts multiplied by average sale price of that element or metal as published by the Indian Bureau of Mines based on the London Metal Exchange or the London Bullion Market Association price or any other index, publication or exchange as per the following formula: —

$$\text{Average sale price} = \sum (Q_i \times P_i)$$

Where:

Q_i = Percentage of i^{th} element or metal in the polymetallic nodules and crusts;

P_i = Average sale price of i^{th} element or metal in the polymetallic nodules and crusts:

Provided that, where average sale price of relevant element or metal is not published by the Indian Bureau of Mines under these rules, the average sale price of the highest grade of ore of such element or metal published under the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 shall be considered:

Provided further that, for a mine or a group of mines, the Indian Bureau of Mines shall specify the elements which contribute five per cent. or more weightage by value to the calculation of average sale price which shall be included for calculation of average sale price.

26. **Power to issue directions by Controller General.**— The Controller General, Indian Bureau of Mines may issue directions, as and when necessary, to give effect to the provisions of this Chapter.

CHAPTER VIII PAYMENTS

27. **Fees and deposit to be made.**— Any amount payable under the Act or the rules made thereunder, shall be paid in such manner as the Central Government may specify in this behalf.
28. **Payment of interest.**— The Controller General, Indian Bureau of Mines may, without prejudice to the provisions contained in the Act or the rules made thereunder, charge simple interest at the rate of twelve per cent. per annum on any rent, royalty or fee or other sum due to the Central Government under the Act or rules made thereunder or terms and conditions of composite licence or production lease from the expiry of the date fixed by the administering authority or the Central Government, as the case may be, for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent, fee or other sum is made.
29. **Payments under section 16A and section 18 of the Act.**— In addition to the payments specified herein, the holder of a production lease shall be required to pay to the Offshore Areas Mineral Trust and International Seabed Authority in accordance with the provisions of section 16A and section 18 of the Act, and the rules made thereunder.
30. **Payments under rule 13 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.**— In addition to the payments specified in this Chapter, the holder of a production lease shall pay the auction premium to the Central Government, on a monthly basis, on the average sale price of the mineral grade or concentrate published by the Indian Bureau of Mines for the relevant month *minus* the amount payable towards royalty and Offshore Areas Mineral Trust, as calculated on the average sale price published by the Indian Bureau of Mines:

Provided that deduction of amount payable towards royalty and the Offshore Areas Mineral Trust shall not be applicable for minerals, including polymetallic nodules and crusts, for which average sale price is published on the basis of the London Metal Exchange or the London Bullion Market Association price or any other index, publication or exchange.

31. **Payment for overburden or waste not sold or consumed economically.**— Notwithstanding anything contained in rules 19, 29 and 30, no payment towards royalty, the Offshore Areas Mineral Trust or auction premium shall be payable in case of removal of overburden or waste from a mine if such overburden or waste is not sold or consumed economically.

CHAPTER IX PENALTY

32. **Penalty.**— Whoever contravenes the provisions of rules 7 and 8, sub-rule (5) of rule 13, sub-rule (6) of rule 14, rules 15, 17, 20, 29, 30, 39, 40, 41, 42 and 44 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine of fifty lakh rupees, which may extend to one crore rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to five lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

CHAPTER X APPEAL

33. **Application for appeal.**— (1) Any person aggrieved by any order passed by the administering authority or any officer in exercise of the powers conferred on it by the Act or any rules made thereunder may prefer an appeal to the Central Government in triplicate in Form VII, within a period of three months from the date of receipt of the order:

Provided that any such appeal may be entertained after the period of three months if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the stipulated time.

- (2) The appeal shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees payable either by way of a bank draft drawn on a Scheduled Bank in the name of "Pay and Accounts Officer, Ministry of Mines" payable at New Delhi or by any other mode of payment specified by the Central Government.
- (3) Every appeal made under sub-rule (1) shall be made only after impleading all the necessary parties and serving a copy of the memorandum of appeal on such parties by way of advance service and furnish proof thereof.
- (4) The appellant shall, along with the memorandum of appeal under sub-rule (1), submit as many copies thereof as may be specified by the Central Government.
- (5) On receipt of the memorandum of appeal, the Central Government shall send a notice to each of the parties impleaded under sub-rule (3) specifying a date on or before which he may make his representations, if any, against the appeal.
- (6) The Central Government shall be empowered to specify any applicable procedures or requirements for deciding appeals under this rule.

34. Orders on appeal.— (1) On receipt of a memorandum of appeal under rule 33, the Central Government shall forward the copies of such memorandum of appeal to the administering authority or other authority calling upon them to make such comments as they may like to make within a period of three months from the date of issue of the communication, and the administering authority or other authority, while furnishing comments to the Central Government shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.

- (2) The comments received from any party under sub-rule (1) shall be forwarded to the other parties for making such further comments as they may like to make within a period of one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties.
- (3) The application for appeal, the communications containing comments and counter comments referred to in sub-rules (1) and (2) shall constitute the records of the case.
- (4) After considering the records referred to in sub-rule (3), and after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, the Central Government may confirm, modify or reverse the order appealed against or send back the case with such directions as it may deem fit for a fresh order after taking additional evidence, if necessary.
- (5) During the pendency of appeal, the Central Government may, for sufficient cause, stay the execution of the order against which an appeal has been preferred.

CHAPTER XI MISCELLANEOUS

35. Amalgamation of production leases.— (1) The Central Government may, in the interest of mineral development and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining production leases held by a lessee:

Provided that the period of amalgamated production leases shall be co-terminus with the production lease whose period shall expire first.

- (2) Without prejudice to the provisions of the Act or any rules made thereunder or the terms and conditions of a production lease, every holder of a production lease shall, within a period of thirty days of the date of amalgamation of production leases carried out under sub-rule (1), send an intimation thereof to the Indian Bureau of Mines and the administering authority.

36. Power to rectify apparent mistakes.— Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Central Government or the administering authority or any other authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may, within a period of two years from the date of the order, be corrected by such Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

37. List of operating rights, copies of composite licences and production leases, annual returns and reports to be supplied to other authorities.— (1) Upon grant of any operating right, a list containing the details of the offshore areas for which such operating right has been granted by the Central Government shall be furnished by the administering authority to the Ministries and Departments as specified under sub-rule (2) of rule 5.

- (2) A copy of every production lease or composite licence granted under the Act and the rules made thereunder shall be furnished by the administering authority within a period of two months of such grant to the Controller General, Indian Bureau of Mines and the Director General, Directorate General of Mines Safety.
- (3) A consolidated annual return of all production leases and licences granted under the Act and the rules made thereunder shall be furnished by the administering authority to the Controller General, Indian Bureau of Mines in such form as may be specified by him, not later than the 30th day of June following the year to which the return relates, a copy of which shall also be furnished by the administering authority to the Director General, Directorate General of Mines Safety at the same time.
- (4) All relevant data, reports, samples and other relevant information pertaining to exploration operations and production operations as submitted by the licensee under clause (f) of sub-rule (2) of rule 7 and by the lessee under clause (u) of sub-rule (2) of rule 8, shall be submitted by the administering authority to the Chief Hydrographer to the Government of India within one month from the date of receipt.

38. Registers relating to operating rights.— A register of operating rights granted by the Central Government shall be maintained by the administering authority in the format specified in Form VIII.

39. Supply of certain information to new operating right holder.— Where any area has previously been held under an operating right, the person who was granted such operating right shall make available to the new operating right holder the original or certified copies of all plans, including abandoned workings, in that area.

40. Change of name, nationality, etc. to be intimated.— (1) The licensee or lessee shall intimate to the administering authority within a period of sixty days any change that may take place in its name, nationality, registered office and details of majority owners or other particulars furnished to the administering authority.

- (2) If licensee or lessee fails without sufficient cause to furnish the information referred to in sub-rule (1), the Central Government may impose a fine of five lakhs rupees which may extend to ten lakh rupees and in the case of continued contravention of the provisions of sub-rule (1) the Central Government may terminate the operating right and forfeit the performance security:

Provided that no such order shall be made without giving the licensee or the lessee, as the case may be, a reasonable opportunity of stating his case.

41. Change in majority ownership or control.— (1) Any change in majority ownership or change in control of the lessee or the licensee may only be effected with the prior approval of the administering authority.

- (2) The lessee or the licensee shall submit an application to the administering authority containing the existing shareholding pattern, the shareholding pattern that would result following a change in majority ownership or control and the following details of the incoming owner, namely:—

- (a) Permanent Account Number or Tax Deduction and Collection Account Number;
- (b) registered office or office address; and
- (c) copy of certificate of incorporation and constitutional documents, in case of body corporates.

- (3) The lessee or the licensee shall provide such additional information as may be sought by the administering authority.

- (4) The administering authority shall, subject to the approval of the Central Government, convey its decision on the application made under sub-rule (2) within a period of ninety days.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “control” shall have the meaning assigned to it in clause (27) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

42. Furnishing of geophysical data, etc.— (1) An operating right holder shall furnish—

- (a) all geophysical data relating to exploration or production or engineering surveys such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging collected by him during the course of exploration operations or production operations, to the Director General, Geological Survey of India and any other authority as may be specified by the Central Government;
- (b) all information pertaining to incidental investigations of atomic minerals discovered and stored by him during the course of exploration operations or production operations to the

Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, and as may be specified by the Central Government.

- (2) Data or information referred to in sub-rule (1) shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the operating right.

- 43. Ownership and confidentiality of exploration data.**— (1) All data obtained as a result of exploration operations or production operations including, but not limited to, all geophysical data relating to exploration or production or engineering surveys such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, reports, samples, including the data pertaining to quantum of such samples won and extracted, shall be the sole property of the Central Government:

Provided that such licensee or lessee or agency specified or notified under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act may make use of such data, free of cost, for the purpose of such exploration operations or production operations, as the case may be.

- (2) While submitting reports under clause (f) of sub-rule (2) of rule 7, the licensee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided that the Central Government may use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that if the licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-section (6) of section 12 of the Act, or if an application for production lease is submitted by the licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the composite licence, or abandonment of operations or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, all reports and data submitted by the said licensee shall become the sole property of the Central Government.

- (3) While submitting reports under clause (u) of sub-rule (2) of rule 8, the lessee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as it may deem fit:

Provided that the Central Government may use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that upon termination or expiration or surrender or abandonment of the production lease, all reports and data submitted by the said lessee shall become the sole property of the Central Government.

- 44. Discovery of new minerals.**— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the exploration operations or production operations shall be subject to the following conditions, namely:—

- (a) if a lessee or licensee discovers any mineral (including any atomic mineral) in the lease area or licence area which is not specified in the production lease or composite licence, the discovery of such mineral shall be reported to the administering authority or, in the case of any atomic mineral to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research and Department of Atomic Energy, as soon as practically possible, but in no case later than a period of sixty days from the date of discovery of such mineral:

Provided that consequent upon such reporting, the lessee or licensee may subject to clause (b), apply for inclusion of such newly discovered mineral in the production lease or composite licence to the concerned authority specified at clause (a), and subject to the receipt of approval of the concerned authority, such mineral shall be included in the production lease or composite licence, as the case may be, except for the minerals to which these rules do not apply:

Provided further that the administering authority shall obtain prior approval of the Central Government before approving inclusion of such newly discovered mineral in the composite licence or production lease;

- (b) the lessee or licensee shall not win and dispose of any atomic mineral having grade equal to, or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, so discovered, and the same shall be dealt in accordance with the first proviso to section 6 of the Act:

Provided, that in case the lessee or licensee is the Government, or a Government company or a corporation, the said lessee or licensee shall, upon discovery of an atomic mineral having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, apply to the Department of Atomic Energy through the administering authority, for grant of a lease or licence to handle such minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the Act, including the rules made thereunder and the Department of Atomic Energy shall intimate the administering authority regarding any issue of a production lease or composite licence, as the case may be;

- (c) the quantities of atomic minerals recovered incidental to such exploration operations or production operations shall be collected and stored separately and a report to that effect shall be sent to the Department of Atomic Energy and the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research every three months for such further action by the lessee or licensee as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Department of Atomic Energy.
- (d) the licensee or lessee shall, if encountered during exploration operations or productions operations, as the case may be, in the licence area or the lease area, report indications of any form of mineral oil, namely, oil, gas, gas hydrate, oil sands or any other hydrocarbon compound, to the administering authority within a period of sixty days from the date of such encounter, who in turn shall pass on the information to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

45. Incidental mineral extraction.— (1) Notwithstanding anything contained in these rules or any other rules made under the Act, any person whose operations or activities may result in incidental mineral extraction shall-

- (a) give an intimation to the administering authority thirty days prior to commencement of any such operations or activities;
- (b) obtain approval of the administering authority prior to the removal or consumption of any mineral from its authorised area:

Provided that no approval shall be required in case, removal of any mineral is done for the purpose of maintenance of ports or installation of any infrastructure or any such activity and the mineral thus removed is not being sold or consumed.

- (2) The intimation under clause (a) of sub-rule (1) shall include the following, namely:-
 - (a) name of the infrastructure project or other works to be undertaken and the date of commencement of such projects or works and duration thereof; and
 - (b) copy of work order or concession agreement issued by the appropriate authority.
- (3) The application for approval under clause (b) of sub-rule (1) shall include the following, namely:-
 - (a) details pertaining to the nature of infrastructure project or other works to be undertaken and the date of commencement of such projects or works and duration thereof;
 - (b) copy of work order or concession agreement issued by the appropriate authority;
 - (c) proposed quantity and minerals for which such application is being made;
 - (d) proposed plan for removal or consumption of any mineral from its authorised area; and
 - (e) report of a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory on the composition of such mineral.

- (4) On receipt of application, the administering authority may grant its approval for removal or consumption of such mineral subject to such terms and conditions as it may specify:

Provided that the administering authority may seek such additional information or data as it may require including a no-objection from Department of Atomic Energy.

- (5) In case, it is found that the mineral extracted pursuant to incidental mineral extraction contains any atomic mineral, such person shall not be permitted to remove or consume such minerals, and the same shall be dealt with in the manner as directed by the Department of Atomic Energy.
- (6) Any mineral removed or consumed by such person pursuant to incidental mineral extraction shall be subject to payment of applicable royalty in the manner as specified by the administering authority or the Central Government:

Provided that no royalty shall be payable in case, removal of any mineral is done for the purpose of maintenance of ports or installation of any infrastructure or any such activity and the mineral thus removed is not being sold or consumed.

(7) The Central Government shall at all times have the right of pre-emption of the minerals extracted pursuant to incidental mineral extraction.

46. **Lease period for more than one mineral in an area.**— Where more than one mineral is found in an area granted through auction, the period of production lease for all minerals shall be co-terminus with that for which the production lease was originally granted.

47. **Completion of any requirement on a public holiday.**— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression ‘public holiday’ includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.

48. **Boundaries below sea level.**— The boundaries of a composite licence or a production lease shall be indicated by the longitudes and latitudes and shall run vertically downwards below the sea surface towards the centre of the earth.

49. **Place of dispute resolution.**— The courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over any disputes arising under any composite licence or production lease granted under the Act.

Form I

[See rule 7(1)]

EXPLORATION LICENCE

This deed for grant of an exploration licence of composite licence (“**Licence**”) is made by and between the following:

PARTIES:

2 **The President of India**, acting through Ministry of Mines (the “**Central Government**”) represented by the administering authority.

AND

3 **[Name of the Licensee]** incorporated in India under the Companies Act, 2013 with Corporate Identity Number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] **OR** [an individual who is a citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] **OR** [persons listed in Schedule A organised as a [firm/association of persons] in the name of [name of the firm or association of individuals], all of whom are Indian citizens and resident in India] (the “**Licensee**”).

BACKGROUND:

A. The Licensee had participated in an electronic auction for grant of a composite licence for [insert details of licence area], as more specifically described in Schedule B, pursuant to which the Licensee has become eligible for grant of a composite licence and the Licensee has completed the requirements under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (“**Act**”) and the rules made thereunder for grant of a composite licence.

B. Accordingly, the Central Government is now executing this deed for grant of a Licence to the Licensee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Licence to be paid, observed and performed.

1. DEFINITIONS

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and the rules made thereunder.

2. GRANT OF LICENCE

The Central Government hereby grants the Licence to the Licensee over an area described in Schedule B (“**Licence Area**”) for conducting exploration operations for a period of 3 (three) years, commencing from the date of the registration of the duly executed licence deed with respect to the following mineral(s) :— [name of the minerals] (“**Minerals**”).

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The rights and obligations of the Central Government and the Licensee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder, including, without limitation, the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024.

3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,

(a) the Licensee shall-

- (i) at all times comply with the provisions of the Act, the rules made thereunder and any other applicable law;
- (ii) make prompt payment of royalty and any charges or other payment required to be made by the Licensee;
- (iii) pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury, or disturbance which may be done by the Licensee and to indemnify and keep indemnified the Central Government and administering authority against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;
- (iv) take all necessary steps and measures for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
- (v) without delay forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Directorate General of Mine Safety, administering authority and any other Government authority, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Licence;
- (vi) weigh or measure, or cause to be weighed or measured upon some part of the Licence Area, all minerals won from the Licence Area, with [seven days] prior notice in writing being given to the administering authority and authorised officer of the Indian Bureau of Mines for every such weighing or measuring in order that he or some person on his behalf may be present thereat;
- (vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this Licence;
- (viii) enter in the Licence Area and carry out exploration operations for minerals specified in this deed in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (ix) work and carry on the exploration operations in a proper, skilful and workman-like manner;
- (x) comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;
- (xi) submit the following reports, namely:-
 - (a) a quarterly report of the work done by the Licensee stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical, or other data collected during the period. The report shall be submitted within a period of thirty days after the close of the quarter to which it relates;
 - (b) an annual report, containing the full details of the work done by the Licensee and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Licence. The report shall be submitted within a period of sixty days after the close of the year to which it relates;

to the Geological Survey of India, administering authority, Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified;

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Licensee may specify that the whole or any part of reports and data furnished pursuant to this sub-clause shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that if the Licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-section (6) of section 12 of the Act or if an application for production lease preferred by the Licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the Licence or abandonment of exploration operations or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Licensee shall become the sole property of the Central Government.

- (xii) submit to the Central Government, at any time before the performance security is returned to it or transferred to any other account, or within a period of three months after the termination or expiration of the Licence, or abandonment of the exploration operations, or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024 whichever is earlier, a full report of the work done by the Licensee, and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the exploration operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the Licence Area:

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Licensee may specify that the whole or any part of the full report and data submitted by him shall be kept confidential, and the Central Government shall thereupon keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that if the Licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-section (6) of section 12 of the Act or if an application for production lease preferred by the Licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the Licence or abandonment of exploration operations or surrender of excess area in accordance with the first proviso to sub-rule (7) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024, whichever is earlier, all exploration data submitted by the said Licensee shall become the sole property of the Central Government;

- (xiii) ensure that the equipments or vessels deployed for the purpose are so placed, marked, buoyed and lighted as not to constitute danger to shipping;
 - (xiv) ensure that no interference is caused to any right of way in any recognised sea lanes for the purposes of navigation, or for any other purpose as may be authorised by the Central Government;
 - (xv) take appropriate steps and measures as specified by the Central Government to ensure systematic disposal of solid or liquid waste, including hazardous waste, arising out of exploration operations within the licence area;
 - (xvi) take measures, as specified by the Central Government pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government.
 - (xvii) not carry on or allow to be carried on, any exploration operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable.
- (b) the Central Government shall-
- (i) have the right, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever, liberty to enter into and upon the Licence Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Licence are hereby expressly

conferred upon the Licensee, including without limitation, to deploy on, over or through the Licence Area such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, as shall be considered necessary or expedient for any purposes, and to obtain from and out of the Licence Area such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for deploying, repairing or maintaining such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, to pass and repass at all times over such area for all purposes and as occasion shall require;

- (ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Licensee in accordance with terms of such performance security and require the Licensee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit, after termination of the Licence and fulfilment of all obligations of the Licensee, such security deposit shall be returned to the Licensee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest;
- (iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Licensee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Licensee shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in carrying out or performance of the same;
- (iv) have power to authorise any other licensee/lessee or person in its behalf to enter into and upon the Licence Area and (i) to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas; (ii) lay upon or maintain, repair or replace offshore wind turbine generators, offshore power substations; (iii) for these purposes or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be, to sink, drive, erect, construct, maintain, and use such plant, installations, pipeline, cables, waterways, engines, machineries and conveniences as may be deemed necessary:

Provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the Licensee under these presents and that fair compensation, as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority, shall be paid—

(i) by such licensee/lessee or such other person to the Licensee for any loss or damage sustained by the Licensee by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be;

(ii) to such licensee/lessee or such other person by the Licensee for any loss or damage sustained by such licensee/lessee or such other person by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be; and

- (v) have the power to grant and demise to any other licensee or lessee or operator duly authorised by the government authority the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by such licensee or lessee or operator duly authorised by the government authority and the Licensee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority within the Licence Area.

3.3. If the Central Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral(s), the Central Government shall pay the average sale price of such minerals as published by the Indian Bureau of Mines prevailing at the time of pre-emption.

3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the Central Government shall at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the Licensee) to forthwith take possession and control of the vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments and premises of the Licensee on or in connection with the Licence Area or the operations under this Licence and during such possession or control, the Licensee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in

default of agreement by the Central Government shall be paid to the Licensee for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.

- 3.5. Every notice required to be given to the Licensee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Licensee and such nomination shall be informed to the administering authority in writing. If no such nomination is made then the notice shall be sent to the Licensee by registered post/ speed post/ e-mail addressed to the Licensee at the address shown in the application for the Licence or at such other address in India as the Licensee may designate and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Licensee and shall not be questioned or challenged by him.
- 3.6. If in any event the orders of the administering authority are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, the Licensee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Licensee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Licensee by these presents.

4. **FORCE MAJEURE**

- 4.1. In this clause the expression “*force majeure*” means act of god, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the Licensee could not reasonably prevent or control.
- 4.2. Failure on the part of the Licensee to fulfil any of the terms and conditions of this Licence shall not give the Central Government any claim against the Licensee or be deemed a breach of this Licence, in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a *force majeure*, and if the fulfilment by the Licensee of any of the terms and conditions of this Licence be delayed from *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by this Licence.
- 4.3. The administering authority or the Central Government shall not be liable in any manner, whatsoever, to the Licensee in respect of any loss relating to, or arising out of, the occurrence or existence of any *force majeure*.

5. **GOVERNING LAW**

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. Subject to the provisions contained in section 28 of the Act, the courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over disputes arising under this deed.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE A *

LIST OF PERSONS

S. No	Name	PAN Number	Address

* To be deleted if the Licensee is not an association of individuals.

SCHEDULE B**AREA OF EXPLORATION LICENCE**

(Description of offshore area, including latitudes and longitudes, to be provided.)

Form II

[See rule 8(1) (b)]

FORMAT OF APPLICATION BY HOLDER OF COMPOSITE LICENCE FOR GRANT OF PRODUCTION LEASE

To

[Address]

I/We request that a production lease under these rules be granted to me/us.

S.No. (1)	Item Detail (2)	Particulars (3)
1.	Name of applicant with address (In case of a firm or other association of individuals, provide names of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
2.	Address of the applicant (In case of a firm or other association of individuals, provide addresses of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
3.	Status of the applicant • Individual • Firm • Other association of individuals • Company	
4.	Composite licence number	
5.	Date of registration of exploration licence deed of composite licence and the date of expiry	
6.	Application fee payable (to be calculated at the rate of rupees five lakh per standard block.)	
7.	Name of bank, demand draft or challan number with date, through which application fee has been paid.	
8.	Mineral (s) for which the production lease is being applied for	
9.	Extent of the area for which production lease is required [Nos of standard blocks included in the Licence Area and boundary co-ordinates of the proposed area to be under production lease]	Yes/No
10.	Geo co-ordinates of the area	
11.	NHO Chart number	
12.	Particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the area applied for	
13.	Whether the area applied for, forms part of a marine national park or marine sanctuary or other protected areas, as specified by the Central Government.	Yes/No
14.	If yes, enclose the map of marine national park or marine sanctuary or other protected areas, as specified by the Central Government with area under application marked. If such map is not available, the area should be marked on sketch plan drawn to scale showing all the features.	
15.	Subject to the provisions of section 13A of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002, particulars of the area mineral-wise in the offshore areas for which the applicant individually or jointly- (a) already holds under a production lease; (b) has applied for a production lease but not granted; and	

S.No. (1)	Item Detail (2)	Particulars (3)
	(c) being applied for a production lease simultaneously.	
16.	Has the applicant carried out the exploration operations over the area held under the composite licence and prepared the geological report in conformity with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024?	Yes/No
17.	Has the copy of geological report been attached with the application form?	Yes/No
18.	Has the applicant committed any breach of the terms and conditions of the composite licence?	Yes/No
19.	Has the applicant become ineligible under the provisions of the Act?	Yes/No
20.	Has the applicant made an application within the time period specified in clause (c) of first proviso to sub-section (6) of section 12 of the Act?	Yes/No
21.	Has the applicant been convicted for illegal mining by any court?	Yes/No

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details including accurate plans and 1st instalment of Upfront Payment, as may be required by you.

Yours faithfully

Date:

Place:

Signature of the applicant

Instructions to applicants:

- (a) The applicant must submit a valid clearance certificate in the form specified by the administering authority, of payment of dues, such as royalty or fixed rent and other payment payable under the Act or the rules made thereunder, along with the application:

Provided that in case the applicant is a firm or association of individuals such certificate shall be furnished by all partners of the firm or, as the case may be, all members of the association of individuals:

Provided further that where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the administering authority stating that he does not hold and has not held an operating right other than the composite licence, it shall not be necessary for him to produce the said valid clearance certificate:

Provided also that the grant of a clearance certificate shall not discharge the holder of such certificate from the liability to pay any dues which may subsequently be found to be payable by him under the Act or the rules made thereunder.

- (b) The application must be signed by a duly authorised representative of the applicant, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the application.
- (c) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the administering authority.

Form III

[See rule 8(1)(b)]

FORMAT OF PRODUCTION LEASE

This deed for grant of a production lease (“**Lease**”) is made by and between the following:

PARTIES:

- 2 **The President of India**, acting through Ministry of Mines (the “**Central Government**”) represented by the administering authority.

AND

- 3 **[Name of the Lessee]** [incorporated in India under the Companies Act, 2013 with Corporate Identity Number [CIN], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] **OR** [an individual who is a citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] **OR** [persons listed in Schedule A organised as a [firm/association of persons] in the name of [name of the firm or association of individuals], all of whom are Indian citizens and resident in India] (the “**Lessee**”).

BACKGROUND:

- क. The Lessee [had participated in an electronic auction for grant of a production lease, pursuant to which the Lessee has become eligible for grant of a production lease] **OR** [had participated in an electronic auction for grant of a composite licence, pursuant to which he/it has completed the exploration operations and has become eligible for grant of a production lease] under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (“**Act**”) and the rules made thereunder for grant of a production lease].
- ख. Accordingly, the Central Government is now executing this deed for grant of a Lease to the Lessee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed.

1. DEFINITIONS

The expressions used in this Lease shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and the rules made thereunder.

2. GRANT OF LEASE

- 2.1. The Central Government hereby grants the Lease to the Lessee over an area described in Schedule B (“**Lease Area**”) for conducting production operations for a period of 50 (fifty) years, commencing from the date on which this duly executed production lease deed is registered with respect to the following mineral(s):— [name of the minerals] (“**Minerals**”).
- 2.2. The Lease shall be with respect to all deposits of the Minerals situated, lying or being in or under the Lease Area.
- 2.3. Subject to the Lessee paying the royalties and making other payments required to be paid and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the Lessee to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises of the Lease Area for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the Central Government, or any person rightfully claiming under it.

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS

- 3.1. The rights and obligations of the Central Government and the Lessee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder, including without limitation to the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024 and the Offshore Mineral Development and Production Agreement dated [date].
- 3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,
- (a) the Lessee shall—
- (i) at all times comply with the provisions of the Act, the rules made thereunder and any other applicable law;
 - (ii) make prompt payment of royalty and any charges or other payment required to be made by the Lessee;
 - (iii) pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury, or disturbance which may be done by the Lessee and to indemnify and keep indemnified the Central Government and administering authority against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;
 - (iv) take all necessary steps and measures, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, including any measures as may be specified by the Central Government;
 - (v) without delay forward to the Directorate General of Shipping, Director General,

Indian Coast Guard, Directorate General of Mine Safety, administering authority and any other Government authority, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Lease;

- (vi) weigh or measure, or cause to be weighed or measured upon some part of the Lease Area, all the produced and dispatched minerals from the Lease Area with seven days prior notice in writing being given to the administering authority and authorised officer of the Indian Bureau of Mines for every such weighing or measuring in order that he or some person on his behalf may be present thereat;
- (vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this deed;
- (viii) during the term of the Lease, enter upon the Lease Area and carry out production operations for minerals specified in this deed, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (ix) comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;
- (x) prior to their deployment, ensure that all vessels, to be deployed and installations to be erected in the Lease Area by the Lessee or by the contracted companies, shall undergo and clear naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the Lessee to the aforesaid offices to facilitate such inspection and clearance;
- (xi) take measures, as specified by the Central Government pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;
- (xii) not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority, and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;
- (xiii) furnish -
 - (a) an annual report, containing the full details of the work done by the Lessee and disclose all information acquired by the Lessee in the course of the operations carried on under this Lease regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Lease to the Geological Survey of India, administering authority, Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified. The report shall be submitted within a period of sixty days after the close of the year to which it relates;
 - (b) submit to the Central Government, at any time before the performance security is returned to it or transferred to any other account, or within a period of three months after the expiration or termination or abandonment or surrender of the Lease, whichever is earlier, a full report of the work done by the Lessee, and disclose all information acquired by the Lessee in the course of the production operations carried on under this Lease regarding the geology and mineral resources of the Lease Area:

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Lessee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him pursuant to clause 3.2 (a) (xiii) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that upon termination or expiration or surrender or abandonment of the Lease, whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Lessee shall become the sole property of the Central Government.

- (xiv) ensure that no interference is caused to any right of way in any recognised sea lanes for the purposes of navigation, or for any other purpose as may be authorised by the Central Government;
 - (xv) erect, maintain, display and keep in repair all notices or floaters or signage or buoys, marking the boundary of the Lease Area to the satisfaction of the administering authority and other concerned government authorities, including the Indian Coast Guard and the Indian Navy; and
 - (xvi) take appropriate steps and measures as specified by the Central Government to ensure systematic disposal of solid or liquid waste, including hazardous waste, arising out of production operations, beneficiation or processing operations within the lease area;
 - (xvii) work and carry on the production operations in a proper, skilful and workman-like manner.
- (b) the Central Government shall—
- (i) have the right, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever, liberty to enter into and upon the Lease Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Lease are hereby expressly conferred upon the Lessee, including without limitation, to deploy on, over or through the Lease Area such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements as shall be considered necessary or expedient for any purposes, and to obtain from and out of the Lease Area such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for deploying, repairing or maintaining such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, to pass and repass at all times over such area for all purposes and as occasion shall require;
 - (ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Lessee in accordance with terms of such performance security and require the Lessee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit, after termination of the Lease and fulfilment of all obligations of the Lessee, such security deposit shall be returned to the Lessee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest; and
 - (iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Lessee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Lessee shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in carrying out or performance of the same.
 - (iv) have power to authorise any other licensee/lessee or person in its behalf to enter into and upon the Lease Area and (i) to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas; (ii) lay upon or maintain, repair or replace offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations; (iii) for these purposes or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be, to sink, drive, erect, construct, maintain, and use such plants, installations, pipeline, cables, waterways, engines, machineries and conveniences as may be deemed necessary;

Provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the Lessee under these presents and that fair compensation, as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority, shall be paid—

- (i) by such licensee/lessee or such other person to the Lessee for any loss or damage sustained by the Lessee by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be;
 - (ii) to such licensee/lessee or such other person by the Lessee for any loss or damage sustained by such licensee/lessee or such other person by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be; and
 - (v) have the power to grant and demise to any other licensee or lessee or operator duly authorised by the government authority the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by such licensee or lessee or operator duly authorised by the government authority and the Lessee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority within the Lease Area.
- 3.3. If the Central Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral(s), the Central Government shall pay the average sale price of such minerals as published by the Indian Bureau of Mines prevailing at the time of pre-emption.
- 3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the Central Government shall at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the Lessee) to forthwith take possession and control of the vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments and premises of the Lessee on or in connection with the Lease Area or the operations under this Lease and during such possession or control, the Lessee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the Central Government shall be paid to the Lessee for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.
- 3.5. Every notice required to be given to the Lessee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Lessee and such nomination shall be informed to the administering authority in writing. If no such nomination is made, then the notice shall be sent to the Lessee by registered post/speed post/ e-mail addressed to the Lessee at the address shown in the application for the Lease or at such other address in India as the Lessee may designate and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Lessee and shall not be questioned or challenged by him.
- 3.6. If in any event the orders of the administering authority are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, the Lessee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Lessee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Lessee by these presents.

4. **FORCE MAJEURE**

- 4.1. In this clause the expression “*force majeure*” means act of god, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the Lessee could not reasonably prevent or control.
- 4.2. Failure on the part of the Lessee to fulfil any of the terms and conditions of this Lease shall not give the Central Government any claim against the Lessee or be deemed a breach of this Lease, in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a *force majeure*, and if the fulfilment by the Lessee of any of the terms and conditions of this Lease be delayed from *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by this Lease.
- 4.3. The administering authority or the Central Government shall not be liable in any manner, whatsoever, to the Lessee in respect of any loss relating to, or arising out of, the occurrence or existence of any *force majeure*.

5. GOVERNING LAW

This Lease and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws of India. Subject to the provisions contained in section 28 of the Act, the courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over disputes arising under this deed.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE A ***LIST OF PERSONS**

S. No	Name	PAN Number	Address

* To be deleted if the Lessee is not an association of individuals.

SCHEDULE B**AREA OF PRODUCTION LEASE**

(Description of offshore area, including latitudes and longitudes, to be provided.)

Form IV

[See rule 15(2)]

FORMAT OF TRANSFER APPLICATION

To

[Address]

I/We request for seeking transfer of production lease/composite licence.

S. No.	Item Detail	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the transferor	
2.	Address of the transferor	
3.	Name of the transferee	
4.	Address of the transferee	
5.	Production lease/composite licence number	
6.	Particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the area applied for	
7.	Date of registration of production lease/composite licence	
8.	Whether the transferee is eligible to hold the production lease/composite licence in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder?	Yes/No
9.	The consideration payable by the transferee, including the consideration in respect of the exploration operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.	
10.	Whether the transferee is agreeable to accept all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a production lease/composite licence.	Yes/No

We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

The transferee and transferor also undertake to comply with the provisions of section 13B of the Act and the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024 with respect to the transfer of the production lease/composite licence.

Yours faithfully,

Transferor

.....

Transferee

.....

Place:

Date:

Instructions to applicants:

- (a) The application must be signed by a duly authorised representative of the applicants, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the application.
- (b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the Central Government.
- (c) Documentary evidence to confirm eligibility of the transferee to hold the production lease/composite licence in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, must be submitted along with the application.

Form V

[See rule 15(6)]

TRANSFER DEED

PART A

FORMAT OF TRANSFER DEED FOR COMPOSITE LICENCE

The Transfer Deed ("**Deed**") is made on this [day] day of [month], [year] between:

1. (Name of the person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns); or

(Name of person with address and occupation) and (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns); or

(Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at [address] (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns; or

(Name of Company), a company registered under the (Act under which incorporated) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part;

AND

2. (Name of person with the address and occupation) (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns; or

(*Name of the person with address and occupation*) and (*Name of person with address and occupation*) (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns; or

(*Name and address of all the partners*) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (*Name of the firm*) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at [address] (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns; or

(*Name of the Company*), a company registered under (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part;

AND

3. The President of India acting through Ministry of Mines represented by the administering authority (hereinafter referred to as the "**Central Government**" which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

WHEREAS:

- A. The Transferor has been granted a Composite Licence by the Central Government through auction on [date] ("**Composite Licence**") and a copy of the Exploration Licence Deed of the Composite Licence in attached hereto as **Annexure A**.
- B. In terms of the Composite Licence, the Transferor is entitled to conduct Exploration Operations of the area under the Composite Licence (more particularly set out in **Annexure B**) ("**Licence Area**") to ascertain existence of mineral resources in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, for the term and subject to the payment of the applicable fees and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Composite Licence including a covenant not to transfer the Composite Licence in violation of applicable laws.
- C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [date], requested the administering authority for its approval in connection with transfer of the Composite Licence to the Transferee.
- D. The administering authority has, pursuant to its letter dated [date] conveyed approval of the Central Government to the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Composite Licence or the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002, ("**Act**") and the rules made thereunder as the case may be.
2. The Transferee hereby covenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the Composite Licence, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Composite Licence in the same manner in all respects as if the Composite Licence had been granted to the Transferee as the licensee thereunder and he/ it had originally executed it as such.
3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:
 - 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the Composite Licence.
 - 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the Licence Area for which the Composite Licence is being transferred vest in the Central Government.
 - 3.3. The Transferee acknowledges that he/ it has received a copy of, and has read and understands the Composite Licence, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Composite Licence as if it was an original party thereto.
 - 3.4. The Transferor hereby declares that he/ it has not assigned or in any other manner transferred the Composite Licence now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present Composite Licence being transferred.

- 3.5. The Transferee hereby declares that he/ it has accepted all the conditions and liabilities which the Transferor was having in respect of such Composite Licence.
- 3.6. The Transferee further declares that he/ it is financially capable of and shall directly undertake exploration operations.
- 3.7. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all maps, sections, plans of exploration and abandoned area in the Licence Area.
- 3.8. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him/ it under operating rights are not in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.
- 3.9. The Transferor has paid all fees, royalties, and other dues towards the Central Government till the date, in respect of the Composite Licence.

In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.

For and on behalf of the Central Government:

Name:

Designation:

For and on behalf of the Transferor:

Name:

For and on behalf of the Transferee:

Name:

ANNEXURE A:

Copy of Exploration Licence Deed of the Composite Licence

ANNEXURE B:

Location and area of the Composite Licence

[Particulars of area, including Geo-coordinates, latitude and longitude, to be provided]

PART B

FORMAT OF TRANSFER DEED FOR PRODUCTION LEASE

The Transfer Deed (“**Deed**”) is made on this [day] day of [month], [year] between:

1. *(Name of the person with address and occupation)* (hereinafter referred to as the “**Transferor**” which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns); or

(Name of person with address and occupation) and *(Name of person with address and occupation)* (hereinafter referred to as the “**Transferor**” which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns); or

(Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of *(Name of the firm)* registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at [address] (hereinafter referred to as the “**Transferor**” which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns); or

(*Name of Company*), a company registered under the (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [*address*] (hereinafter referred to as the “**Transferor**” which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part;

AND

2. (*Name of person with the address and occupation*) (hereinafter referred to as the “**Transferee**” which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns; or

(*Name of the person with address and occupation*) and (*Name of person with address and occupation*) (hereinafter referred to as the “**Transferee**” which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns; or

(*Name and address of all the partners*) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (*Name of the firm*) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at [*address*] (hereinafter referred to as the “**Transferee**” which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns; or

(*Name of the Company*), a company registered under (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [*address*] (hereinafter referred to as the “**Transferee**” which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the second part;

AND

3. The President of India acting through Ministry of Mines represented by the administering authority (hereinafter referred to as the “**Central Government**” which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

WHEREAS:

- A. The Transferor has been granted a production lease by the Central Government in respect of which the Central Government and the Transferor have executed: (a) a Offshore Mineral Development and Production Agreement, dated [*date*]; and (b) a lease deed dated [*date*] and registered as no. [*number*] on [*date*] [at the office of the Sub-Registrar] of [*address*] in connection with the production lease (collectively “**Concession Documents**”) and the same is attached hereto as **Annexure A**.
- B. In terms of the Concession Documents, the Transferor is entitled to search for, win and work offshore mines and minerals in respect of (*Name of minerals*) in the offshore area described in the schedules to the Concession Documents (more particularly set out in **Annexure B**) (“**Lease Area**”), for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Concession Documents including a covenant not to transfer the production lease in violation of applicable laws.
- C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [*date*], requested the administering authority for its approval in connection with transfer of the production lease to the Transferee.
- D. The administering authority has, pursuant to its letter dated [*date*] conveyed approval of the Central Government to the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Concession Documents or the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (“**Act**”) and the rules made thereunder as the case may be.
2. The Transferee hereby covenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the production lease, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Concession Documents in the same manner in all respects as if the production lease had been granted to the Transferee as the lessee thereunder and he/ it had originally executed the Concession Documents as such.
3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:
 - 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the production lease.

- 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the Lease Area for which the production lease is being transferred vest in the Central Government.
- 3.3. The Transferee acknowledges that he/ it has received a copy of, and has read and understands the Concession Documents, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Concession Documents as if it was an original party thereto.
- 3.4. The Transferor hereby declares that he/ it has not assigned or in any other manner transferred the production lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present production lease being transferred.
- 3.5. The Transferee hereby declares that he/ it has accepted all the conditions and liabilities which the Transferor was having in respect of such production lease.
- 3.6. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all maps, sections and plans of abandoned workings in the Lease Area.
- 3.7. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him/ it under operating rights are not in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.
- 3.8. The Transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards the Central Government till the date, in respect of the production lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.

For and on behalf of the Central Government:

Name:

Designation:

For and on behalf of the Transferor:

Name:

For and on behalf of the Transferee:

Name:

ANNEXURE A:

Copy of Concession Documents

ANNEXURE B:

Location and area of the production lease

[Particulars of area, including Geo-coordinates, latitude and longitude, to be provided]

Form VI

[See rule 15(9)]

(Notice of transfer of composite licence or production lease)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- (i) This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within a period of thirty days of the date of such transfer, by online or Email.
- (ii) This should also be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the operating right falls as notified by the Controller General .
- (iii) The Form should be digitally signed by the concerned person.

1.	Type of Operating Right		<i>Check which is applicable</i>				
	(a) Composite licence						
	(b) Production lease						
2	IBM Registration Number						
3.	Unique IBM Operating Right Number						
	(a) Composite licence						
	(b) Production lease Code						
4.	Mine Code						
5.	Name of Mine						
6.	Name of the mineral or minerals for which composite licence or production lease has been granted		<i>(Information will be system generated)</i>				
7.	Name and address of the Operating Right holder		<i>(Information will be system generated)</i>				
8.	Particulars of the Operating Right		<i>(Information will be system generated)</i>				
9.	Location of the lease area/ licence area		<i>(Information will be system generated)</i>				
10.	Name and address of the Transferee or Assignee						
	Name	Address	Email	PAN number and TAN number (if applicable)	Aadhar number/Registration Number (in case of company or LLP)	Passport number/ GST number (in case of company or LLP)	Mobile number
11.	Letter number and date of transfer order issued by the administering authority						

Place:	<i>Signature</i>
Date:	
	Name in full:
	Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer

Form VII

[See rule 33(1)]

FORMAT OF MEMORANDUM OF APPEAL

To

[Address]

I/We submit the following appeal with the following particulars.

S. No.	Item Detail	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of appellant (In case of a firm or other association of individuals, provide names of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	

S. No.	Item Detail	Particulars
2.	Address of the appellant (in case of a firm or other association of individuals, provide addresses of each person constituting the firm or the association of individuals, as the case may be.)	
3.	Status of the appellant • Individual • Firm • Other association of individuals • Company	
4.	Whether the appeal is filed within the prescribed time period	Yes/No
5.	If not, the reasons for not presenting it within the prescribed limit and seeking condonation of delay.	
6.	Purpose of the appeal	
7.	Appellant to specify- (a) number and date of communication of the order to the appellant and authority passing the order against which an appeal is preferred. (b) whether in relation to composite licence or production lease; (c) any other matter	
8.	Fee payable for the appeal	
9.	Name of bank, demand draft or challan number with date, through which the fee has been paid.	
10.	Mineral or minerals for which the appeal is filed	
11.	Details of area with respect to which the appeal is filed (give latitude and longitude covering the area).	
12.	Name and complete address of the party/parties impleaded	
13.	Number of copies of memorandum of appeal attached (Memorandum of appeal is to be submitted in triplicate if no party is impleaded. Besides these, for each party impleaded one additional copy is to be enclosed)	
14.	Grounds of appeal	
15.	Prayer(s) sought	

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

Yours faithfully

Place:

Date:

Signature of the appellant

Instructions to appellants:

- The appeal must be signed by a duly authorised representative of the appellant, in case the appellant is a company. In case the appellant is an individual, the appellant must personally sign the appeal. In case of a firm or association of individuals, all the persons constituting the firm or association of individuals shall sign the appeal.
- The corporate authorisation of the authorised signatory of the appellant (which is a company) must be enclosed with the appeal. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the administering authority.

Form VIII

[See rule 38]

PART A**Register of Composite Licences**

1. Serial number.
2. Name of the licensee.
3. Address of registered office and residence of the licensee.
4. Number and date of notice inviting tender for auction of the composite licence and date of the notification of reservation under section 8 of the Act.
5. (a) Number and date of grant of the composite licence.
(b) Date of execution of exploration licence deed of the composite licence.
(c) Date of registration of exploration licence deed of the composite licence.
6. Geo co-ordinates of the offshore area.
7. Total offshore area for which composite licence has been granted.
8. Auction premium (in percentage).
9. The mineral or minerals for which composite licence has been originally granted:
10. Mineral or minerals added to the composite licence with date.
11. The details of the offshore area for which composite licence was originally granted.
12. Period for which composite licence is granted.
13. Date of change together with details of change that take place in name, nationality, registered office, majority owners or other particulars of the licensee.
14. Date of transfer of the composite licence, if any and the name and address of the transferee. (make separate entry for each transfer).
15. Royalty and any other payments, if payable.
16. Details of performance security.
17. Date of application for production lease (if any).
18. Date of expiry or termination of composite licence or abandonment of operations or surrender of any excess area or grant of production lease.
19. Date from which the area is available for regant.
20. Any other information as may be required by administering authority.
21. Remarks.
22. Signature of the officer.

PART B**Register of Production Lease**

1. Serial number.
2. Name of the lessee.
3. Address of registered office and residence of the lessee.
4. Number and date of notice inviting tender for auction of the production lease and date of the notification of reservation under section 8 of the Act.
5. (a) Number and date of grant of production lease.
(b) Date of execution of production lease deed.
(c) Date of registration of production lease deed.

6. Geo co-ordinates of the offshore area.
7. Total offshore area for which production lease has been granted.
8. Auction premium (in percentage).
9. The mineral or minerals for which production lease has been originally granted.
10. Mineral or minerals added to the production lease with date.
11. The details of the offshore area for which production lease was originally granted.
12. Period for which the production lease is granted.
13. Date of change together with details of change that take place in name, nationality, registered office, majority owners or other particulars of the lessee.
14. Date of transfer of the production lease, if any and the name and address of the transferee. (make separate entry for each transfer).
15. Royalty and any other payments, if payable.
16. Details of performance security.
17. Date of expiry or termination or abandonment or surrender.
18. Date from which the offshore area is available for regrant.
19. Any other information as may be required by administering authority.
20. Remarks.
21. Signature of the officer.

SCHEDULE

[See rule 7(2)(a)(i) and (ii)]

MAXIMUM QUANTITIES OF ORES AND MINERALS REMOVABLE FROM LICENCE AREA

Class	Mineral	Quantities that can be carried away without any payment	Maximum quantity that can be carried away by payment of royalty
(1)	(2)	(3)	(4)
Class - I	Silica sand, Calcareous sands, Lime mud	5 tonnes	200 tonnes
Class - II	Phosphatic sediment, Polymetallic nodules, manganese nodules, cobalt rich encrustation, phosphatic nodules minerals of rare earths group.	5 tonnes	200 tonnes
Class - III	All other minerals not specified above	3 tonnes	200 tonnes

[F. No. M.VI-1/3/2024-Mines VI]

VIVEK KUMAR BAJPAI, Jt. Secy.